174

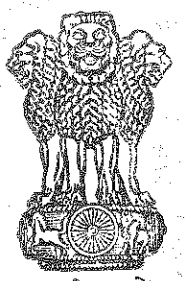

सत्यमेव जयते

भारत का विधि आयोग

महिलाओं के संपत्ति अधिकार : हिन्दू विधि के अधीन प्रस्तावित सुधारों

पर

174वीं रिपोर्ट

मई, 2000

न्यायमूर्ति
बी० पी० जीवन रेड्डी
चैयरमैन
भारत का विधि आयोग

भारत का विधि आयोग
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001
दूरभाष: 3384475
नि०:
1 जनपथ, नई दिल्ली-110 001
दूरभाष : 3019465

अर्ध शा०सं० 6 (3)(59)/99-एल सी (एल एस) 5 मई, 2000

प्रिय श्री जेठमलानी जी,

मैं एतद्द्वारा "महिलाओं के संपत्ति अधिकार : हिन्दू विधि के अधीन प्रस्तावित संशोधनों" विषय पर 174वीं रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूं ।

2. अपने निदेश पदों के अनुसरण में, जो अन्य बातों के साथ-साथ आयोग को विधि संबंधी विसंगतियां, संदिग्धार्थ तथा असमानताएं दूर करने हेतु सिफारिशें करने की शक्ति प्रदान करते हैं, आयोग ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधीन हिन्दू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के बारे में कतिपय उपबंधों का अध्ययन किया है । आयोग ने संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति की विरासत/उत्तराधिकार संबंधी विधियों में महिलाओं के विरुद्ध विद्यमान व्यापक विभेद को ध्यान में रखते हुए, उक्त विषय का स्वयेंव ही चयन किया है ।

3. सामाजिक न्याय की मांग है कि महिला को आर्थिक तथा सामाजिक दोनों क्षेत्रों में समान व्यवहार प्राप्त होना चाहिए । पुत्रियों को, मात्र लिंग भेद के कारण, सहदायिकी संपत्ति स्वामित्व में भागीदारी से वंचित रखना अनुचित है । आयोग ने मिताक्षर सहदायिकी संपत्ति की अवधारणा में पांच राज्यों में अर्थात केरल, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य अधिनियमितियों के माध्यम से किए गए परिवर्तनों पर भी दिया है । आयोग का विचार है कि पुरुष तथा महिला दोनों को संपत्ति का समान वितरण करने की दृष्टि से सहदायिकी विधि में और सुधार करने की आवश्यकता है । रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों का आशय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में परिवर्तनों का सुझाव देना है ताकि पैत्रक संपत्ति में महिलाओं को समान भागीदारी प्राप्त हो सके ।

4. सिफारिशों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से "हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन" विधेयक, 2000 नामक विधेयक रिपोर्ट के साथ अनुबंध-क के रूप में संलग्न किया जा रहा है ।

5. हम आशा करते हैं कि उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में रिपोर्ट में की गयी सिफारिशें पर्याप्त रूप में सहायक सिद्ध होंगी।

सादर,

भवदीय

(ह०)

(बी० पी० जीवन रेड्डी)

श्री राम जेठमलानी
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

विषय सूची

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1.	अध्याय I (प्रस्तावना)	1
2.	अध्याय II (हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6—एक अध्ययन)	5
3.	अध्याय III (सहदायिकी : सुसंगति तथा अनुकल्प)	12
4.	अध्याय IV (प्रश्नावली तथा उत्तर)	17
5.	अध्याय V (निष्कर्ष तथा सिफारिशें)	19
6.	परिशिष्ट-क (हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2000)	22
7.	अनुबंध I (प्रश्नावली—भारत का विधि आयोग)	24
8.	अनुबंध II (विधि आयोग की प्रश्नावली का विश्लेषण)	30
9.	अनुबंध III (हिन्दू विधि के अधीन पुत्रियों के सहदायिकी अधिकारों पर कार्यपत्र)	34
10.	अनुबंध IV केरल संयुक्त परिवार प्रणाली (निरसन) अधिनियम, 1975 हिन्दू उत्तराधिकार आन्ध्र प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 1986	44 48
	हिन्दू उत्तराधिकार तमिलनाडु (संशोधन) अधिनियम, 1989	51
	हिन्दू उत्तराधिकार कर्नाटक (संशोधन) अधिनियम, 1994	54
	हिन्दू उत्तराधिकार महाराष्ट्र (संशोधन) अधिनियम, 1994	57

2—3 M of L & J/ND/2001

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 विस्तार

महिलाओं के विरुद्ध भेद-भाव इतना व्यापक है कि कभी-कभी तो यह विधान मंडल द्वारा अधिनियमित विधि का अवलोकन मात्र करने पर ही स्पष्ट हो जाता है। संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति की विरासत/उत्तराधिकार विषयक विधियों के बारे में विशेषकर ऐसा है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह विभेद—इतनागहन है और क्रमबद्ध है कि इसने महिलाओं संपत्ति प्राप्ति में सब से अन्त में रखा है। इस स्थिति को स्वीकार करते हुए, विधि-आयोग ने अपने निदेश पदों के अनुसरण में, जो, अन्य बातों के साथ-साथ आयोग को विधि संबंध विसंगतियों, संदिग्धार्थ तथा असमानताएं दूर करने के लिए सिफारिशें करने की शक्ति प्रदान करते हैं, आयोग हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधीन हिन्दू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के बारे में कतिपय उपबंधों का अध्ययन करने का निर्णय किया । इस अध्ययन का आशय अधिनियम परिवर्तनों का सुझाव देना है ताकि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सामान भागीदारी प्राप्त हो सके ।

1.2. प्रश्नावली जारी करना तथा वर्कशाप आयोजित करना.—वर्तमान विधि में सुधार करने की दृष्टि से किसी संशोधन का सुझाव देने से पूर्व प्रस्तावित संशोधनों को जनता के समक्ष रख कर और यदि संभव हो तो वर्कशाप आदि आयोजित करके उन पर जनता के विचार जानना उचित है । इस प्रकार आयोग ने प्रश्नावली जारी करके न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, विद्वानों, गैर सरकारी संगठनों आदि सहित समाज के विभिन्न वर्गों से व्यापक रूप में विचार विमर्श करने का निर्णय किया । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 संशोधन करके हिन्दू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के बारे में कतिपय राज्य विधान मंडलों द्वारा पुनःस्थापित किए गए विभिन्न उपबंधों के बारे में भी उनके विचार मांगे गए । प्रश्नावली (अनुबंध–I के रूप में संलग्न) में मुख्यतया निम्नलिखित तीन बातों के बारे में विचार आमंत्रित किए गए :

(i) पैतृक संपत्ति में पुत्रियों को सहदायिकी अधिकार देना; या केवल पुरुषों को दिए गए जन्म सिद्ध अधिकारों को पूर्णतया समाप्त करना ।

(ii) अपने पैतृक निवास गृह में पुत्रियों को निवास करने के पूर्ण अधिकार देना ।

(iii) किसी व्यक्ति को संपत्ति के आधे या एक तिहाई भाग को वसीयती व्ययन के रूप में संपत्ति की वसीयत करने की शक्ति को निर्बन्धित करना ।

1.2.1 आयोग को प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए । इन उत्तरों का विश्लेषण किया गया और इन्हें सारणीबद्ध करके अनुबंध - दो के रूप में संलग्न किया गया है ।

1.2.2 व्यापक और गहन विचार-विमर्श के आशय से विधि आयोग के आई० एल० एस० ला कालिज तथा वेंकठराव ट्रस्ट, गोआ के सहयोग से "हिन्दू महिलाओं के संपत्ति अधिकार: प्रस्तावित सुधार" विषय पर दो दिवसीय वर्कशाप का आयोजन किया । इस वर्कशाप में विधि आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों ने सुविख्यात अधिवक्ताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा आई०एल०एस० ला कालिज, पुणें के शिक्षकों के साथ विस्तार से चर्चा की । हिन्दू विधि के अधीन पुत्रियों को सहदायिकी अधिकारों के विषय में एक कार्यपत्र, प्रारूप विधेयक सहित परिचालित किया गया । यह अनुबंध—II के रूप में संलग्न है ।

1.2.3 विधि आयोग ने पैत्रक संपत्ति में महिलाओं के समान अधिकार देने की दृष्टि से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन करने हेतु अपनी सिफारिश तैयार करने से पूर्व प्राप्त हुऐ सभी उत्तरों तथा पुणे में हुए वर्कशाप के निर्णयों पर सावधानी-पूर्वक विचार किया है ।

1.3 पृष्ठभूमि

अत्यन्त प्राचीनकाल से ही सभी संपत्ति विधियां केवल पुरुषों के लाभार्थ बनाई गई है और महिलाओं को अनुसेवी, तथा पुरुषों की सहायता पर निर्भर माना गया है। संपत्ति का अधिकार मानव की स्वतंत्रता और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1956 के अधिनियम से पूर्व, हिन्दू शास्त्रीय और प्रथागत विधियों से शासित थे जो प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न थी और कहीं-कहीं तो एक ही क्षेत्र में जातिगत आधार पर भिन्न-भिन्न थीं । क्योंकि देश बहुत विशाल था और भूतकाल में संचार व्यवस्था और परस्पर सामाजिक विचार–विमर्श दुर्लभ था इस कारण से विधि में विविधता आयी। परिणामत: उत्तराधिकार के मामले में भी विभिन्न शाखाएं थी, जैसे बंगाल तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में दायाभाग बम्बई, कोंकण तथा गुजरात में मयूख, केरल में मरुमक्कटायम या नम्बूदरी तथा भारत के अन्य भागों में मिताक्षरा । इनमें थोड़ी-थोडी भिन्नता थी । भारत में उत्तराधिकार विधियों की विविधता ने जो अपने भिन्न उद्‌गमों के कारण अपने स्वरूप में भिन्न थी, संपत्ति संबंधी विधियों को और जटिल बना दिया ।

1.3.1 एक संयुक्त हिन्दू परिवार में, जिसमें पुरुष और स्त्रियों दोनों ही थे, किसी महिला को केवल जीवन-निर्वाह का अधिकार था परन्तु संपत्ति पर नियंत्रता और उसका स्वाभित्व उसमें निहित नहीं होता था। हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा की भांति, पैत्रक प्रणाली में किसी महिला को पारिवारिक संपत्ति में पुत्र की भांति जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं था ।

1.3.2 मिताक्षरा विधि के अधीन, जन्म से ही पुत्र को परिवार की संपत्ति में अधिकार और हित प्राप्त हो जाता है । इस शाखा के अनुसार, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, परिवार में जन्म के आधार पर सहदायकों के वर्ग में आते हैं। मिताक्षरा विधि में कोई महिला सहदायिकी की सदस्य नहीं है । मिताक्षरा प्रणाली के अधीन, संयुक्त परिवार की संपत्ति सहदायिकी के अन्तर्गत उत्तर-जीविता द्वारा विकसित होती है । इसका अर्थ यह है कि परिवार में पुरुष के जन्म या मृत्यु पर प्रत्येक जीवित पुरुष सदस्य का भाग घटता या बढ़ता हैं। यदि एक सहदायिकी में पिता और उसके दो पुत्र है तो प्रत्येक संपत्ति के एक तिहाई भाग का स्वामी होगा। यदि परिवार में एक और पुत्र का जन्म होता है तब प्रत्येक का भाग स्वंयेव ही कम होकर एक चौथाई रह जाएगा ।

1.3.3 मिताक्षरा विधि में भी केवल किसी पुरुष या महिला द्वारा पृथक रूप से अर्जित संपत्ति के बारे में उत्तराधिकार द्वारा विरासत को मान्यताप्राप्त है । मिताक्षरा विधि में इस प्रकार की संपत्ति के लिए महिलाएं भी उत्तराधिकारियों के रूप में सम्मिलित हैं। हिन्दू विरासत (संशोधन) अधिनियम, 1929 से पूर्व, मिताक्षरा की बंगाल, बनारस तथा मिथिला उप-शाखाओं में केवल पांच महिला संबंधियों को अर्थात विधवा, पुत्री, माता, मातामही (दादी) प्रमातामही (परदादी) विरासत का हकदार माना गया। मद्रास शाखा में अधिक महिला उत्तराधिकारियों को, अर्थात पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्रिओं बहन विरासत में भागीदारी के अधिकार प्राप्त थे और इन्हें हिन्दू विरासत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1929 में स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारियों के रूप में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया था। बम्बई तथा मद्रास में पुत्र की पुत्री तथा पुत्री की पुत्री को बंधुओं के रूप में मान्यता प्राप्त थी । बम्बई शाखा में, जो महिलाओं के बारे में अधिक उदार थी, अन्य महिला उत्तराधि-कारियों को, अर्थात अर्धरक्त बहिन, पिता की बहिन और परिवार में विवाहित महिलाओं जैसे सौतेली माता, पुत्र की विधवा, भाई की विधवा तथा बंधुओं रूप में वर्गीकृत अन्य बहुत सी महिलाएं, मान्यता दी गई थी ।

1.3.4 दयाभाग शाखा में न तो जन्म से और न ही उत्तर-जीविता के आधार पर कोई अधिकार दिया गया था यद्यपि संयुक्त परिवार और संयुक्त संपत्ति को मान्यता प्राप्त थी। इसके अन्तर्गत उत्तराधिकार केवल एक पद्धति है और दाय के लिए भी वही नियम लागू होते हैं चाहे परिवार विभाजित हो या अविभाजित और संपत्ति भी चाहे पैत्रक हो या स्व-अर्जित । न ही पुत्र और न ही पुत्रियां जन्म के आधार पर सहदायक बन पाते हैं और पिता के जीवित रहते इन्हें परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था । तथापि पिता की मृत्यु के पश्चात वे सामान्यिक अभिधारी के रूप में दाय के अधिकारी हो जाते थे । दयाभाग शाखा की यह एक विशेषता है कि पुत्रियों को भी अपने भाईयों के समान भागीदारी प्राप्त होती है । क्योंकि यह स्वामित्व पिता का स्वामित्व समाप्त हो जाने पर ही प्राप्त होता है इसलिए इनमें से कोई भी अपने पिता को उनके जीवन-काल में संपत्ति विभाजित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । वह अपनी संपत्ति को उनकी सहमति के बिना ही देने अथवा बेचने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए दयाभाग विधि के अधीन, उत्तर-जीवित की तुलना में उत्तराधिकार ही नियम है । यदि किसी पुरुष उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी, महिलाओं सहित जैसे उसकी पत्नि, पुत्री, संयुक्त संपत्ति के सदस्य हो जाएंगे, अपने अधिकार के कारण नहीं अपितु मृतक का प्रतिनिधित्व करने के कारण क्योंकि महिलाएं सहदायक हो सकती है, तो वे कर्ता के रूप में कार्य भी कर सकेगी और दयाभाग शाखा के अन्य सदस्यों की ओर से संपत्ति का प्रबंध भी कर सकेगी ।

1.3.5 मुरुमक्कोटायम विधि में, जो केरल में संयुक्त परिवारों में प्रचलित थी, एक गृह माता तथा उसके बच्चों से गठित माना जाता था जिन्हें संपत्ति में संयुक्त अधिकार प्राप्त होते थे । इस पद्धति में नारी परम्परा के माध्यम से अवजनन गिना जाता है । इसलिए पुत्रियों तथा उनके बच्चे किसी गृहस्थी तथा संपत्ति स्वामित्व के अभिन्य अंग माने जाते थे क्योंकि परिवार मातृ जनित माना जाता था ।

1.4. तथापि, ब्रिटिश शासन काल में देश का राजनैतिक तथा सामाजिक रूप से एकीकरण हुआ परन्तु ब्रिटिश सरकार ने हिन्दूओं तथा अन्य समुदायों की विधियों में कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया तथापि, इस अवधि में, समाज सुधार आन्दोलनों में समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने का मामला उठाया गया । सर्वप्रथम विधान, जिसमें महिलाओं को दाय योजना के अन्तर्गत लाया गया, हिन्दू विरासत, अधिनियम, 1929 था। इस अधिनियम में तीन महिला उत्तराधिकरियों को, अर्थात पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री और बहिन, दाय अधिकार प्रदान किए गए (इस प्रकार उत्तर-जीवित के नियम पर एक सीमित नियंत्रण रखा गया)। एक अन्य विशिष्ट विधान, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व के अधिकार दिए गए, हिन्दू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम (XVIII का) 1937 था। इस अधिनियम हिन्दू विधि की समस्था शाखाओं में व्यापक परिवर्तन हुए । इससे न केवल सहदायिकी विधि में अपितु विभाजन, सपदि के अन्य संक्रामण, दाय तथा तत्संक विधियों से भी परिवर्तन हुए ।[3]

1.4.1 1937 के अधिनियम में विधवा को भी पुत्र के साथ उत्तराधिकारी बनाया गया और पुत्र के समान ही संपत्ति में उसकी भागीदारी निश्चित की गई। परन्तु विधवा सहदायक नहीं बन पायी यद्यपि उसे संपत्ति में सहदायिकी हित के ही समान अधिकार प्राप्त हुए और वह संयुक्त परिवार की सदस्य भी रही परन्तु विधवा को मृतक की संपत्ति में विभाजन के दावे के अधिकार के साथ सीमित सम्पदा का हक प्राप्त था।[4] किसी पुत्री को वास्तव में दाय संबंधी कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे । इन अधिनियमितियों द्वारा कतिपय महिलाओं को उत्तराधिकार के नए अधिकार प्रदान करके उत्तराधिकार विधि में लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के उपरांत भी ये कई प्रकार से असंबद्ध तथा दोषपूर्ण पाए गए और इनसे बहुत से विसंगतियां पैदा हुयीं और महिलाओं के विरुद्ध भेद-भाव जैसी महत्वपूर्ण बात अछूती ही रही । अधिनियमितियां अब निरस्त हो चुकी हैं।

1.5 भारत के संविधान निर्माताओं ने समाज में महिलाओं की प्रतिकूल तथा विभेदकारी स्थिति को देखा और यह बात सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया कि राज्य महिलाओं को समान स्तर प्रदान करने के लिए ठोस उपाय करें । इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 14, 15(2) और (3) तथा, 16, न केवल महिलाओं के प्रति भेद-भाव का निषेध करते हैं अपितु उपयुक्त परिस्थितियों में महिलाओं के पक्ष में संरक्षणात्मक विभेदकारी उपाय करने के लिए राज्य को स्वतंत्रता प्रदान भी करते हैं । ये उपबंध संविधान के द्वारा गारंटी दिए गए मूल अधिकारों का ही भाग हैं। संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्विष्ट हैं जो, राज्य के शासन के लिए अपेक्षाकृत कम मूलभूत नहीं है और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी किया गया है कि राज्य पुरुषों और महिलाओं को समान स्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा । 50 वर्ष पूर्व किए गए इन संवैधानिक उपबंधों निर्देशों के होते हुए भी एक महिला स्वीय विधियों की घोर अवहेलना तथा अनुचित उल्लंघन के कारण अपने जन्म के परिवार में तथा उस परिवार में भी जहां उसका विवाह होता है, अभी तक उपेक्षित है ।

1.5.1 भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने हिन्दू महिलाओं द्वारा भोगी गई असमानताओं और अयोग्यताओं को दूर करने के प्रयोजन से सुधार करने के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की । इसी के परिणाम स्वरूप हिन्दूओं के रुढिवादी वर्ग के विरोध के उपरांत भी, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया गया और यह 17 जून 1956 से प्रभावी हुआ । यह बौद्ध, जैन, सिख सभी हिन्दूओं के लिए प्रभावी है । इसमें दाय की एक समान तथा विस्तृत प्रणाली निर्धारित की गई है और यह मिताक्षरा तथा दयाभाग दोनों शाखाओं से शासित तथा दक्षिण भारत में मुरुमक्कटायम, अलिमसन्तान, नम्बूदरी तथा हिन्दू विधियों की प्रणालियों के लिए भी लागू होती है । इसमें महिलाओं को अधिक अधिकार देते हुए बहुत से परिवर्तन किए गए, परन्तु मिताक्षरा सहदायिकी से संबंधित धारा 6 फिर भी रखी गई ।

1.6 विधि आयोग, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अधीन मिताक्षरा सहदायिकी में व्याप्त विभेद से चिन्तित है क्योंकि इसमें केवल पुरुष सदस्य ही होते हैं। आयोग ने इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों के विचार प्राप्त किए कि क्या मिताक्षरा सहदायिकी की धारा 6 के उपबंध की भांति ही बनी रहनी चाहिए अथवा इसमें परिवर्तन किए जाने चाहिए अथवा इसे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए । आयोग का उद्देश्य अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देकर लिंग भेद को समाप्त करना है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में स्पष्ट है । तदनुसार इस रिपोर्ट के आने वाले दो अध्यायों में आयोग ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6, हिन्दू उत्तराधिकार राज्य संशोधन (अधिनियम, आन्ध्र प्रदेश (1986), तमिलनाडु (1989), महाराष्ट्र (1994), और कर्नाटक (1994) तथा केरल संयुक्त परिवार प्रणाली (निरसन) अधिनियम, 1975 के बारे में अध्ययन किया है । ये अधिनियम एक साथ अनुबंध-चार के रूप में संलग्न किए गए हैं।

पाद टिप्पण

1. मुल्ला **"प्रिंसपिल्स आफ हिन्दू ला"** (1998 17वां संस्करण, एस० ए० देसाई) पृष्ठ 168 ।

2. –वही–

3. मेनस **"ट्रीटीज डान हिन्दू ला एण्ड यूसेज"** (1996, 14वां संस्करण सम्पादक—अल्लादी कुप्पुस्वामी) पृष्ठ 1065।

4. एक इन्दिरा देवी "वीमेन्स एसर्शन आफ लीगल राइट्स टू ओनरशिप आफ प्रापर्टी" इन **"वीमेन एण्ड ला कन्टेम्प्रेरी प्राब्लम्स"** (1994 संस्करण द्वारा एल० सरकार और बी० शिवरामैया) पृष्ठ 174, हिन्दू महिलाओं के सम्पत्ति अधिकार, अधिनियम, 1937 भी देखें ।

अध्याय II

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6—एक अध्ययन

2.1 हिन्दूओं में निर्वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 17 जून, 1956 से प्रभावी हुआ । इस अधिनियम से उत्तराधिकार विधि में परिवर्तन हुए और महिला को संपति के बारे में इसने ऐसे अधिकार दिए जो अब तक उपलब्ध नहीं थे। तथापि, इस अधिनियम के द्वारा मिताक्षरा सहदायिकी के सदस्यों के विशेष अधिकारों में, कतिपय मामलों में मृतक के हित के न्यागमन के लिए नियमों की व्यवस्था करने के सिवाय, कोई हस्ताक्षेप नहीं किया गया । अधिनियम में दाय की एक समान तथा विस्तृत प्रणाली निर्धारित की गई है और अन्य बातों के साथ-साथ, मिताक्षरा तथा दयाभाग शाखाओं से शासित लोगों के साथ दक्षिण भारत के कतिपय क्षेत्रों के उन लोगों के लिए भी लागू होती है जो पहले मरुमक्कटयाम, अलिपसन्तान तथा नम्बूदरी प्रणाली से शासित होते थे । यह अधिनियम हिन्दू धर्म के, वीरशैव, लिंगायत तथा ब्रहमों प्रार्थना तथा आर्य समाज के अनुयायिओं या बौद्ध, जैन, सिख धर्म के सभी लोगों सहित जो धारा 2 के अनुसार मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं सभी वर्ग के लोगों के लिए लागू होता है । यह अधिनियम वसीयती प्रवृति के बारे में लागू नहीं होता है और मृतक का हित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 से शासित होता है ।

2.2 इस अधिनियम की धारा 4 महत्वपूर्ण है और यह हिन्दू विधि के किसी पाठ या नियम या विधि का प्रभाव रखने वाली किसी रुढ़ि या प्रथा को, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट सभी मामलों के बारे में प्रभाव शून्य बनाते हुए, अधिनियम के उपबंधों को अध्यारोही प्रभाव प्रदान करती है । इस अधिनियम ने हिन्दू स्वीय विधि में सुधार किया है और नारी को संपत्ति में अधिक अधिकार प्रदान किए हैं और उसे सीमित सम्पदा के बजाय जो संपत्ति वह अधिनियम की धारा 14 के अधीन तथा धारा 15 और 16 के अधीन वंश के नए उत्तराधिकारियों के साथ दाय या अन्य रूप में प्राप्त करती है उसकी पूर्ण स्वामिनी बनाया गया है। पुत्रियों को भी पिता की सम्पदा में संपति के अधिकार दिए गए है। किसी हिन्दु पुरुष के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उसकी संपति के उत्तराधिकार के बारे में धारा 8 से 13 तक में सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं।

2.3 सहदायिकी संपत्ति में हित का न्यागमन

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में सहदायिकी संपति में हित के न्यागमन के बारे में यह प्रावधान है :—

> "जब कोई हिन्दु पुरुष अपनी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी संपति में हित रखते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात मर जाए तब उस संपति में उसका हित समांशिता के उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता के आधार पर न्यागमन होगा, इस अधिनियम के अनुसार नहीं परन्तु यदि मृतक अनुसूची के वर्ग I में विनिर्दिष्ट किसी महिला संबंधिनी को या उस में उल्लिखित किसी ऐसे पुरुष संबंधी को जो ऐसी संबंधिनी के माध्यम से दावा करता हो, अपना उत्तरजीवी छोडे तो मिताक्षरा सहदायिकी संपति में मृतक का हित इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति, वसीयत या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा, उत्तराजीविता द्वारा नहीं ।

स्पष्टीकरण I—इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति में अंश समझा जाएगा जो उसे बंटवारे से मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व संपत्ति का विभाजन किया गया होता इस बात का विचार किए गए बिना कि वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं ।

स्पष्टीकरण II—इस धारा के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उस व्यक्ति को जिसने पूतक की मृत्यु से पूर्व सहदायिकी से अपने को पृथक कर लिया हो उसे या उसके किन्हीं वारिसों को निर्वसीयती की दशा में अंश पाने का दावा करने में लिए योग्य बनाती है जिसके प्रति उस परन्तुक में निदेश दिया गया है।

2.3.1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व, जिसमें उत्तराधिकार के नियमों के संहिताबद्ध किया गया है, विधि को मिताक्षरा शाखा के अधीन हिन्दू परिवार की अवधारण सामान्यता, न केवल सम्पदा के मामले अपितु धार्मिक मामलों में भी, एक संयुक्त परिवार के रूप में थी । सहदायिकी संपत्ति, किसी व्यक्तिगत, सहदायक की पूर्ण तथा पृथक संपत्ति के विपरीत, परिवार के उत्तरजीवी सहदायकों पर, उत्तरजीविता द्वारा न्यागम के नियमों के अनुसार, न्यागत होगी ।

2.3.2 सहदायिकी संपत्ति में हिन्दू पुरुष के हित के न्यागमन के बारे में धारा 6 में, जहां सहदायिकी के सदस्यों के बीच उत्तरजीविता द्वारा न्यागमन के नियम को मान्यता दी गई है वहां परन्तुक में नियम के लिए अपवाद भी रखा गया है। परन्तुक के अनुसार यदि मृतक अनुसूची के वर्ग–1 में विनिर्दिष्ट किसी महिला संबंधिनी को या उसमें उल्लिखित किसी ऐसे पुरुष संबंधी को, जो ऐसी संबंधिनी के माध्यम से दावा करता हो, अपना उत्तरजीवी छोड़े तो मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में मृतक का हित इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति, वसीयत या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा, उत्तरजीविता द्वारा नहीं। इसके अतिरिक्त, धारा 30 के अधीन कोई सहदायक संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने अविभाजित हित की वसीयत कर सकता है ।

2.3.3 उत्तरजीविता का नियम तभी लागू होता है जब (i) मृतक अनुसूची के वर्ग–1 में विनिर्दिष्ट किसी महिला संबंधिनी या उसमें उल्लिखित किसी ऐसे पुरुष संबंधी को जो ऐसी संबंधनी के माध्यम से दावा करें, उत्तरजीवी न छोड़ें और (ii) जब मृतक ने सहदायिकी संपति के अपने भाग की वसीयत न की हो । धारा 8 के साथ पठित, अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित बारह संबंधियों को वर्ग–1 के उत्तराधिकारी माना है ये हैं, पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृतक पुत्र का पुत्र, पूर्वमृतक पुत्र की पुत्री, पूर्व मृतक पुत्री का पुत्र, पूर्व मृतक पुत्री की पुत्री, पूर्व मृतक पुत्र की विधवा, पूर्व मृतक पुत्र के पूर्व मृतक पुत्र का पुत्र, पूर्व मृतक पुत्र के पूर्व मृतक पुत्र की पुत्री, मृतक पुत्र के पूर्व मृतक पुत्र की विधवा ।

2.3.4 धारा 6 में सहदायिकी संपत्ति तथा उत्तरजीविता द्वारा न्यागमन का नियम लागू होने के लिए एक से अधिक सहदायकों के विद्यमान होने की अवधारण है । धारा 6 का शीर्षक है "सहदायिकी संपत्ति हित का न्यागमन" । मुख्य परन्तुक में प्रयुक्त भाषा "संपत्ति में उसके हित का न्यागमन उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा होगा" यह दर्शाती है कि उत्तरजीविता द्वारा न्यागमन केवल मृतक सहदायक के हित से संबंधित है । इस प्रावधान से तथा मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में मृतक सहदायक का हित सुनिश्चित करने के लिए इस धारा में स्पष्टीकरण–I में अवधारित काल्पनिक विभाजन से यह ज्ञात होता है कि समस्त सहदायिकी का विभाजन नहीं हो सकता । इससे यह अर्थ निकलता है कि अन्य सहदायिकी संपत्ति में अन्य सहदायकों का संयुक्त हित रहेगा जब तक कि कोई विभाजन नहीं होता ।

2.3.5 यह ऊपर बताया जा चुका है कि इस धारा के मुख्य उपबंध निर्वसीयती मृतक सहदायक के हित के उत्तरजीविता के नियम द्वारा न्यागमन से संबंधित हैं और परन्तुक में मिताक्षरा सहदायिकी संपति में मृतक के हित के बारे में बताया गया है । अब यह जानने के लिए कि मृतक सहदायक का हित क्या है, हमें परन्तुक के नीचे दिए गए दोनों स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखना होगा । ये दोनों स्पष्टीकरण मिताक्षरा सहदायिकी संपति में मृतक सहदायक का हित निश्चित करने में आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। स्पष्टीकरण-एक में यह कल्पना करते हुए जो कि मृतक सहादाक की मृत्यु से तुरन्त पूर्व विभाजन हो

चुका है, काल्पनिक विभाजन हो चुका है, काल्पनिक विभाजन के आधार पर हित निश्चित करने का प्रावधान है । स्पष्टीकरण––दो में यह उल्लेख किया गया है कि उस व्यक्ति को जिसने मृतक की मृत्यु से पूर्व सहदायिकी से अपने को पृथक कर लिया हो उसे या उसके किन्ही वारिसों को निर्वसीयती की दशा में धारा में उल्लिखित हित में किसी अंश का दावा करने का हक नहीं होगा ।

2.3.6 परन्तुक के अधीन अनुसूची के वर्ग––एक में यदि कोई स्त्री संबंधी या उस वर्ग में स्त्री संबंधी के माध्यम से दावा करने वाला कोई पुरुष संबंधी मृतक का उत्तरजीवी है, केवल तभी उत्तराधिकारी द्वारा अपने हित का दावा करने का प्रश्न उठा सकेगा । धारा 6 के स्पष्टीकरण–I को, बम्बई, दिल्ली, उड़ीसा और गुजरात उच्च न्यायालयों ने ऐसे मामलों में जहां सहदायक मृत्यु के समय जीवित स्त्री संबंधी पति या माता थी, भिन्न-भिन्न व्याख्या की है । इस विषय में अब चर्चा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1978 में **गुरुपद** बनाम **हीरा बाई**[2] में दिए गए निर्णय और बाद में वर्ष 1934 में **श्यामा देवा** बनाम **मंजू शुक्ला** में उसकी पुनरावृत्ति से इस विवाद का अन्तिम रूप से समाधान हो गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 6 के परन्तुक में दावेदार का अंश निर्धारित करने का फरमूला दिया गया है और अंश का निर्धारण, यह समझते हुए कि मृत्यु से विभाजन हो चुका है जो मृतक के अंश का निश्चित करने की दिशा में संकेत करता है, स्पष्टीकरण––I के अनुसार किया जाएगा ।

2.3.7 उच्चतम न्याय ने गुरुपद के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की :––

> किसी मृतक सहदायक की संपत्ति में उत्तराधिकारियों का अंश सुनिश्चित करने की दृष्टि से पहले कदम के रूप में ही सहदायिकी संपत्ति में मृतक का अंश ज्ञात होना आवश्यक है क्योंकि केवल ऐसा करने पर ही किसी दावेदार का अंश निश्चित किया जा सकेगा । धारा 6 के स्पष्टीकरण––I में सरल, उपयुक्त, निःसंदेह काल्पनिक भागीदारी की व्यवस्था है कि हिन्दू मिताक्षरा सहदायक का हित संपत्ति में वह अंश समझा जाएगा जो उसे बटवारे से मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व संपत्ति का विभाजन किया गया होता । आवश्यकता यह बात मानने की है कि मृत्यु से ठीक पूर्व मृतक तथा सहदायकों के बीच बटवारा वास्तव में हो गया था । एक बार ऐसी अभिधारणा कर लिए जाने पर यह अपरिवर्तनीय होगी । दूसरे शब्दों में, सहदायिकी संपत्ति में मृतक का अंश सुनिश्चित करने के लिए एक बार ऐसी अभिधारणा कर लिए जाने पर इसे नकारा नहीं जा सकता और इसका निदेश किए बिना उत्तराधिकारियों का अंश निश्चित नहीं किया जा सकता । वास्तविक विभाजन के फलस्वरूप सभी परिणामों का न्यायोचित आकलन करना होगा, जिसका अर्थ यह होगा कि उत्तराधिकारियों के अंश को निश्चय इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वे एक दूसरे से पृथक हो चुके है और उन्हें मृतक के जीवन काल में हुए बटवारे में उनका अंश प्राप्त हो गया हैं। इस अंश का आवंटन कोई ऐसी प्रक्रियात्मक कार्रवाही नहीं है जो किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बनाई गई हो । इसे एक सुदृढ वास्तविकता के रूप में जिसे इसी प्रकार वापस नहीं किया जा सकेगा जिस प्रकार कि वास्तविक विभाजन को सामान्यता वापस नहीं किया जा सकता । इस स्थिति का अनिवार्य उपरित यह है कि उत्तराधिकारी को (स्त्री हो या पुरुष) काल्पनिक विभाजन[4] में जो अंश उसने प्राप्त किया था या प्राप्त किया समझा गया था उसके अतिरिक्त हित में उसका वही अंश मिलेगा जो अपनी मृत्यु के समय सहदायिकी संपति में मृतक का था"।

2.3.8 इसके पश्चात **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **नारायण राव**[5] मामले में उच्चतम न्यायालय ने गुरुपद के मामले में दिए गए निर्णय पर सावधानीपूर्वक विचार किया और कहा कि "गुरुपद" के मामले को (केवल) ऐसी स्थिति में प्राधिकार मान। जाना चाहिए जहां कोई नारी सदस्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन संयुक्त परिवार की संपत्ति में हित की

दायद है और परिवार से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए विभाजन के लिए वाद दायर करती है वहां वह अपने दायद हित और अधिनियम की धारा 6 के स्पष्टीकरण—I में कथित उसे काल्पनिक रूप में आवंटित किए जाने वाले उसके अंश दोनों की हकदार होगी परन्तु ऐसी स्थिति के लिए यह प्राधिकार नहीं समझा जाएगा जहां परिवार के पुरुष सदस्य की मृत्यु स्त्री परिवार की सदस्य नहीं रहती परिवार की संपत्ति में मृतक के हित का न्यागमन स्त्री में तभी होता है जब वह परिवार से पृथक होने की इच्छा व्यक्त नहीं करती। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसी विधिक कल्पना को उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिसके लिए वह अधिनियमित की गई है, न्यायसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए परन्तु उससे परे इसे नहीं ले जाया जा सकता। निःसंदेह यह सच है कि किसी महिला उत्तराधिकारी का परिवार की संपत्ति में दायद हित का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अधीन, पुरुष सदस्य की मृत्यु की तिथि को ही निश्चित हो जाता है परन्तु उसकी इच्छा के बिना यह नहीं समझा जा सकता कि वह परिवार की सदस्य नहीं रही है क्योंकि अन्यथा इसके ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम हो सकते हैं जिनकी इस उपबंध के अधिनियम के समय संसद ने भी कल्पना न की होगी और जो ऐसी महिलाओं के हित में भी नहीं होंगे।

2.4 महिलाओं के प्रति विभेदकारी असमानताएं और विसंगतियां

संविधान में महिलाओं के प्रति समानता की गारंटी के उपरांत भी, हिन्दू विधि में संपत्ति अधिकारों के क्षेत्र में अभी तक बहुत सी विभेदकारी तत्व विद्यमान हैं। हमारे समाज में, पति के परिवार में महिला के प्रति दुर्व्यवहार उदाहरणार्थ, दहेज की मांग पूरा करने में विफल रहने पर, के परिणाम महिला की मृत्यु होता है। परन्तु दुखद बात यह है कि उसके अपने जन्म के परिवार के सदस्यों द्वारा भी उसके प्रति विभेदकारी व्यवहार किया जाता है।

2.4.1 हिन्दू प्रणाली में पूर्वजों की संपत्ति परंपरागत रूप में पुरुष सहदायकों के संयुक्त हिन्दू परिवार द्वारा अभिधारित की जाती है। सहदायिकी, जैसाकि वर्तमान कृति में देखा गया है तथा चर्चा की गई है, संयुक्त परिवार के व्यक्तियों का एक छोटा निकाय है जिसमें पिता, पुत्र, पुत्र का पुत्र तथा पुत्र के पुत्र का पुत्र सहदायिकी में पितामह तथा पौत्र, या भाई या चाचा तथा भतीजा आदि भी हो सकते हैं। इस प्रकार, पैतृक संपत्ति पूर्ण रूप से पैतृक कुल द्वारा शासित होती आ रही है जहां संपत्ति केवल पुरुष वर्ग के माध्यम से उत्तराधिकार में प्राप्त होती है क्योंकि संयुक्त या सहदायिकी संपत्ति में संयुक्त हिन्दू परिवार के पुरुष सदस्यों को ही जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त था। क्योंकि कोई महिला सहदायक नहीं हो सकती थी, इसलिए उसे पैतृक संपत्ति में जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं था। पिता की निर्वसीयती मृत्यु हो जाने पर संपत्ति में पुत्र का अंश, जन्म के कारण उसके अंश के अतिरिक्त था।

2.5 यही नहीं किसी हिन्दू नारी की निर्वसीयती मृत्यु पर जो विधियां प्रवर्तनीय हैं उनमें भी पैतृक कुल की पुरुष प्रबल विचारधारा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उसके मामले में विधि हिन्दू पुरुषों की तुलना में भिन्न है। संपत्ति का न्यागमन पहले उसके बच्चों और पति को होगा, दूसरे उसके पति के उत्तराधिकारियों को और तीसरे, उसके पिता के उत्तराधिकारियों को और अन्त में, उसकी माता के उत्तराधिकारियों को[6]। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) में भी पुरुष वर्ग की ओर ही झुकाव है क्योंकि इसमें यह व्यवस्था है कि उसे अपने पिता या माता से दाय की जो संपत्ति प्राप्त होती है, किसी बच्चे के न होने पर, उसका न्यागमन पिता के उत्तराधिकारियों को होगा। इसी प्रकार उसे अपने पति से या ससुर से दाय के रूप में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसका न्यागमन उसके पति के उत्तराधिकारियों को होगा। इन उपबंधों में यह व्यवस्था है कि पुरुष वर्ग के माध्यम से दायद संपत्ति या तो पिता के परिवार को या पति के परिवार को वापस चली जाती है।

2.6 प्रश्न मत है कि क्या हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है या ऐसा करने की प्रव्यंजना ही करता है। यह बताना महत्वपूर्ण है कि डा०अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए, हिन्दू कोड बिल में उत्तराधिकार संबंधी उपबंध, बी० एन० रा० समिति द्वारा बनाए गए मूल रूप में, मिताक्षरा सहदायिकी तथा इसमें

अंतर्विष्ट उत्तरजीविता और संयुक्त परिवार की संपत्ति में पुत्र के जन्म सिद्ध अधिकार को समाप्त करने और उसके स्थान पर उत्तराधिकार द्वारा दाय के सिद्धान्त को प्रतिस्थापित करने की अवधारणा से बनाए गए थे। इन प्रस्तावों को रूढ़िवादी विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस या तत्कालीन सरकार में विरोध की सीमा को इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि तत्कालीन विधि मंत्री श्री बिस्वास ने पुत्रियों द्वारा अपने जन्म के परिवारों से संपत्ति के दाय के विरुद्ध सभा में ही अपना विरोध प्रकट किया। मध्य भारत के श्री सीताराम एस० जाजू ने इस विरोध के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि "हम ऐसा इसलिए महसूस कर रहे हैं कि इसका भार हमारी जेबों पर पड़ रहा है। इस सभा में हमारे पुरुष सदस्यों का भारी बहुमत है। मैं नहीं चाहता कि बहुसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इस सभा के महिला सदस्यों पर, अत्याचार करें।"[7] तथापि, बहुसंख्यक वर्ग का अत्याचार फिर भी बना रहा जब विधेयक 1956 में अन्तिम रूप से पारित हुआ। निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए गए :—

(1) पुरुषों को सहदायक मानते हुए मिताक्षरा सहदायिकी को बनाए रखा गया;

(2) संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने हित की वसीयत करने का सहदायक को अधिकार दिया गया है (यह उपबंध संशोधन के रूप में तत्कालीन विधि मंत्री श्री पलस्कार द्वारा 1956 में जब विधेयक पारित किया जाना था, विधेयक पर खंड वार विचार के दौरान प्रतिस्थापित किया गया। इसे चारों ओर, यहां तक कि प्रेस में भी, सरकार का समर्पण समझा गया।

(3) मुरुमक्काटायम तथा अलिसन्तान समुदायों को प्राप्त छूट को अर्थात एकमात्र प्रणाली जिसमें महिलाएं पूर्ण सहदायकों के समतुल्य थीं; समाप्त कर दिया गया।

(4) निर्वसीयत मृत्यु पर पिता की स्वर्जित संपत्ति में पुत्र के आधे अंश के समान अंश पाने के पुत्री के अधिकार संबंधी मूल उपबंध में परिवर्तन कर दिया गया। प्रवर समिति ने पुत्र के अंश के समान ही पुत्री के अंश को भी पूर्ण बनाने का निर्णय किया।

2.7 जब डा० अम्बेडकर से यह पूछा गया कि प्रवर समिति में यह किस प्रकार हुआ तब उन्होंने बताया "यह कोई समझौता नहीं था। मेरे शत्रु मेरे समर्थकों के साथ मिल गए और मेरे शत्रुओं ने सोचा था कि वे विधेयक की तभी निन्दा कर सकेंगे जब यह विधेयक उससे भी अधिक खराब प्रतीत हो जितना यह नहीं था।"[9]

2.8 महिलाओं को सम्मिलित किए बिना मिताक्षरा सहदायिकी को बनाए रखने का अर्थ यह था कि महिलाएं पैतृक संपत्ति दाय में प्राप्त नहीं कर सकेंगी जैसा कि पुरुष कर सकेंगे। यदि संयुक्त परिवार का विभाजन हो गया है तो प्रत्येक पुरुष सहदायक को उसका अंश मिलता है और महिलाओं को कुछ भी नहीं मिलता। केवल किसी सहदायक की मृत्यु हो जाने पर उसके अंश का भाग मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में महिला को प्राप्त होता है। इस प्रकार सहदायिकी स्वामित्व में भागीदारी से पुत्रियों को वंचित रखने (उनके लिंग के कारण ही) संबंधी विधि न केवल महिलाओं के प्रति असमानता के योगदान करती है अपितु समानता के उनके अधिकार का दमन और निराकरण भी होता है और इससे संविधान में गारंटी किए गए मूल अधिकारों का उपहास होता भी प्रतीत होता है।

2.9 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 के अनुसार एक और प्रत्यक्ष असमानता यह उपबंध है जिसमें विवाहित पुत्री को जब तक वह विधवा परित्यक्ता या अपने पति से पृथक हुई न हो, अपने पिता के घर में निवास का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि घर में परिवार के पुरुष सदस्य रहते हैं तो भी पुत्री के घर में अपने अंश की मांग करने का अधिकार नहीं है। पुत्र इस अधिकार से वंचित नहीं है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य विभाजन पर नियंत्रण लगाकर व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में परिवार के अधिकारों को प्राथमिकता देता है। परिवार के अधिकार को प्राथमिकता परिवार के केवल महिला सदस्यों को ध्यान में रखकर ही क्यों दी गई है।

2.10 भारत में महिलाओं के स्तर के बारे में राष्ट्रीय रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि विभाजन की मांग के बारे में इस विभेद को दूर किया जाना चाहिए ताकि पुत्री को पुत्र के समान अधिकार प्राप्त हो सकें।[10]

2.11 तथापि, **नरसिम्हामूर्ति बनाम सुशीला बाई मामले** में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी हिन्दू की निर्वसीयती मृत्यु पर उसके निवास गृह के विभाजन के दावे का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 के अधीन, महिला उत्तराधिकार का अधिकार मृतक के एकमात्र उत्तरजीवी पुरुष उत्तराधिकारी के जीवन काल में भी आस्थगित या निलम्बित रहेगा जब तक कि वह अपने अंश को पृथक करना नहीं चाहता, घर में रहना बंद नहीं कर देता या उसे किराए पर देना नहीं चाहता हो। इस धारा के पीछे आशय निवास गृह को, उसमें रहने वाले पुरुष उत्तराधिकारी के हित के प्रतिकूल महिला उत्तराधिकारी के कहने पर आवास गृह को विभाजन से बचाना है पुरुष उत्तराधिकारी बेघर बार/आश्रम स्थल विहीन होने से बचाना है ।

2.12 विधि द्वारा किया गया पक्षपात का एक अन्य उदाहरण संपत्ति की वसीयत करने का नया अधिकार स्थापित करना था। अधिनियम ने पुरुषों को ऐसा अधिकार दे दिया जिससे हिन्दू विधि की कतिपय धाराओं के अधीन महिला को पहले प्राप्त अपने अधिकार से वंचित हो गई। वसीयत करके संपत्ति का अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा दिया गया था। 1925 के अधिनियम का कोई भी खंड, वसीयत के अतिरिक्त, हिन्दुओं के लिए लागू नहीं होता है।

2.13 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से पूर्व एक सुस्थापित नियम यह था। कि कोई हिन्दू वसीयत करके संपत्ति का उत्तराधिकार विनिर्दिष्ट नहीं कर सकता, जिससे स्वामित्व का स्थानांतरण उसने जीवित्त व्यक्तियों के बीच दान करके न किया हो तथापि, दयाभाग विधि के अधीन कोई सहायक, उन दावों के अत्यधीन जिन्हें वह पोषित करने का हकदार है, दान करके अपनी समस्त संपत्ति का चाहे पैतृक हो चाहे स्वार्जित, निपटान कर सकता है । तथापि, मिताक्षरा विधि के अधीन सहदायक को अपनी सहदायिकी को हित का दान के द्वारा या उत्तराधिकार की वसीयत करके इस प्रकार निपटान करने की कोई शक्ति प्राप्त नही हैं कि अन्य सदस्यों के अधिकार समाप्त हो जाएं। सहदायिकी प्रणाली में संपत्ति का स्वामित्व हस्थांतरित करने के कर्ता के अधिकार भी नियंत्रित है और इस प्रकार संपत्ति के अन्य सदस्यों के अधिकार, संयुक्त परिवार की संपत्ति से पोषित किए जाने वाले बच्चों सहित, सुरक्षित बनाए गए हैं।

2.14 यद्यपि परिवार के कर्ता या पुरुष मुखिया को, जिससे संपत्ति का व्यवहार सभी सदस्यों के हित में किए जाने की अपेक्षा की गई हैं, बहुत सी शक्तियां प्राप्त है, फिर भी परिवार की संपत्ति के निपटान का निर्णय सामूहिक रूप से सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा। संपत्ति में प्रत्येक पुरुष की समान भागीदारी है परन्तु व्यय का विभाजन केवल पुरुष में ही नहीं अपितु महिलाओं को भी सम्मिलित करके किया जाएगा। इच्छा पत्र द्वारा संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण परम्परागत रूप से हिन्दुओं में नहीं किया जाता था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के द्वारा इसे विधि में स्थान दिया गया। इस धारा के अनुसार कोई हिन्दू ऐसी संपत्ति को इच्छा पत्र द्वारा अथवा अन्य वसीयतों व्ययन द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार व्ययन कर सकेगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा व्ययन किए जा सकने योग्य है। इसमें मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में, स्पष्टीकरण के अनुसार उसका अविभाजित हित भी सम्मिलित है । वसीयती व्ययन के इस अधिकार से पुत्री के उत्तराधिकार अधिकार की अवहेलना होती है। इससे विधवा का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। यह इस प्रकार पति/विधवा के स्तर को कम करती है।

2.15 मुस्लिम विधि के अनुसार कोई व्यक्ति इच्छा पत्र द्वारा अपनी समस्त संपत्ति का व्ययन नहीं कर सकता । इच्छा पत्र द्वारा वह अपनी संपत्ति के अधिक से अधिक एक तिहाई भाग का व्ययन कर सकता है। शेष संपत्ति का बंटवारा शरीअत या कुरान के अनुसार उत्तराधिकारियों के बीच किया जा सकता है ।

2.16 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के परन्तुक में लिंग के आधार पर एक और संपत्ति की व्यवस्था अन्तर्विष्ट है। इसमें यह प्रावधान किया गया है यदि कोई मृतक अनुसूची के वर्ग एक में उल्लिखित किसी नारी संबंधिनी को या उस वर्ग में उल्लिखित ऐसे पुरुष संबंधी को जो ऐसी संबंधिनी के माध्यम से दावा करता हो, अपना उत्तरजीवी छोड़ें तो मिताक्षरा सहदायिकी संपति में मृतक का हित निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा । लिंग भेद संबंधी पक्षपात को जानने की दृष्टि से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अधीन हित का न्यागमन देखना आवश्यक है । किसी निर्वसीयती मृतक हिन्दू की संपत्ति का न्यागमन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार होता है और सर्वप्रथम अनुसूची के वर्ग-I में विनिर्दिष्ट संबंधियों को वारिस माना गया है। अर्थात्, अनुसूची के वर्ग-I में केवल चार प्रमुख वारिस माने गये हैं अर्थात्, माता, विधवा, पुत्र तथा पुत्री। शेष आठ किसी ऐसे वारिस का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी यदि मृत्यु न होती तो वह (नारी/पुरुष) प्रमुख वारिस होता। प्रतिनिधित्व का यह सिद्धान्त पुरुष वर्ग में दो वंश क्रमों तक जाता है और नारी वर्ग में केवल एक ही वंश क्रम तक। तदनुसार पुत्र के पुत्र और पुत्र के पुत्र की पुत्री को अंश प्राप्त होगा परन्तु पुत्री की पुत्री का पुत्र या पुत्री, पुत्री की पुत्री की पुत्री को कुछ भी नहीं मिल पाएगा । इसके अतिरिक्त एक कमी और हैं और वह है कि पूर्व–मृतक पुत्र या पौत्र की विधवाएं वर्ग–I वारिसों में आती है परन्तु मृतक पुत्री या पौत्री के पति वारिस नहीं हैं।[2]

पाद–टिप्पणी

1. **देखें, शिरामाबाई बनाम कोल गोंडा;** 1964 मुम्बई 263;
   कन्हैया लाल बनाम जमना; 1973 दिल्ली, 160;
   रंगूबाई लालजी बनाम लक्ष्मन लाल जी; 1966 बम्बई, 169;
   आनन्द बनाम हरिबंधु, 1967 उड़ीसा, 90;
   विद्याबेन बनाम जगदीश चन्द्र, 1974 गुजरात, 23 ;
   सुशीला बाई बनाम नारायण राव, 1975 मुम्बई, 257 ।
2. (1978) 3, **एस० सी० सी०** पृष्ठ 383 **ए० आई०** आर० 1978 **सु०** को० 1239।
3. (1994) 6० **एस० सी० सी०** पृष्ठ 342–343।
4. उपर्युक्त एन 2 पृष्ठ 389–390 पर (पैरा 13) 1243 पर।
5. **ए० आई०** आर० 1985 सु० को० 716, पृष्ठ 721 (पैरा 9) ।
6. रत्नकपूर एण्ड ब्रेंडा कोसमैवन **फैमिनिस्ट एंगेजमेंट्स विद-ला इन इन्डिया, सबवर्सिव-साइटस,** 1996, पृष्ठ 134।
7. **कान्स्टीट्युएन्ट एसेम्बली आफ इन्डिया (लैजिस्लेटिव),** वाद विवाद—खंड VI 1949 भाग दो।
8. मधुकिस्वार "कोडीफाइड हिन्दू लॉ मिफ एण्ड रिएलिटी" **इकानामिक एण्ड पालिटिकल वीकली,** सं० 33, अगस्त, 1994।
9. दी कान्स्टीट्युएन्ट एसेम्बली आफ इन्डिया (लैजिस्लेटिव), विवाद खंड-VI 1994 भाग–दो, पृष्ट 841 ।
10. **स्टेट्स आफ वीमैन इन इन्डिया, रिपोर्ट आफ नेशनल कमेटी** का सारांश (1971–74), पृष्ठ 53–54,
11. **ए० आई०** आर० 1996, सु० को० 1826।
12. **हिन्दू ला,** डा० ताहिर महमूद (1986, दूसरा संस्करण), पृष्ठ 57।

5—3 M of L & J/ND/2001

अध्याय III

सहदायिकी : सुसंगति तथा अनुकल्प

3.1 पिछले अध्याय के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संपत्ति अधिकारों के संबंध में महिलाओं के साथ बहुत अधिक भेद-भाव किया गया है। सामाजिक न्याय की मांग है कि महिला के साथ आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र दोनों में ही समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सहदायिकी संपत्ति स्वामित्व में, पुत्रियों को केवल लिंग भेद के कारण, भागीदारी से वंचित रखना अनुचित है। जन्म से ही समान अधिकार प्रदान करने की सामाजिक आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही हैं। निःसंदेश, सहदायिकी की मिताक्षरा विधि में सुधार किए जाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें मृतक की न केवल पृथक या स्वार्जित संपत्ति में अपितु सहदायिकी संपत्ति में उसके अविभाजित हित में भी समान भागीदारी प्राप्त हो सके।

3.2 राज्य अधिनियमों के अधीन नई सहदायिकी : (आंध्र प्रदेश पद्धति)

किसी महिला को सहदायिक बनाने का सुझाव बहुत से व्यक्तियों तथा ग्रुपों द्वारा हिन्दू विधि समिति को प्रस्तुत किए गए लिखित कथनों में 1945 में ही दिया गया था। इसके पश्चात 1956 में भी, जब हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के अधिनियम से पूर्व इस पर अन्तिम चरण का वाद-विवाद चल रहा था, हिन्दू सहदायिकी में पुत्र तथा उसके बच्चों के समान ही पुत्री तथा उसके बच्चों को भी सदस्य बनाने के लिए एक संशोधन पेश किया गया था। परन्तु इस प्रगतिशील विचार को बाद में अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया और मिताक्षरा संयुक्त परिवार की धारणा को बनाए रखा गया।

3.2.1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन रखी गयी मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति की अवधारणा में अधिनियम बनाए जाने के समय से अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। यद्यपि, यह थोडे संतोष की बात है कि भारत के केरल, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों ने इस तथ्य का संज्ञान किया है कि महिला को आर्थिक तथा सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होने चाहिएं। इनमें से राज्यों की विधियों में (केरल को छोड़कर) मिताक्षरा विधि से शासित संयुक्त हिन्दू परिवार में, किसी सहदायिक की पुत्री, पुत्र की भांति पुत्री अपने अधिकार स्वरूप जन्म से ही सहदायिक बन जाती है। केरल ने एक और प्रगतिशील कदम उठाते हुए पैतृक संपत्ति में, इस आधार पर कि उसने (स्त्री अथवा पुरुष) परिवार में जन्म लिया है, किसी हित को दावा करने के अधिकार को ही समाप्त कर दिया है। वास्तव में वहां से मिताक्षरा, मरुमक्कत्तायम, अलियसन्तान नम्बूदरी प्रणालियां सहित संयुक्त हिन्दू परिवार की प्रणाली को ही समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार अधिनियमितियों में संयुक्त अभिधारियों के स्थान पर सामाजिक अभिधारी प्रतिस्थापित किया है।

3.2.2 आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक विधान मंडलों का दृष्टिकोण केरल से भिन्न है और इन राज्यों ने जन्मसिद्ध अधिकार को समाप्त करने के बजाय, मिताक्षरा सहदायिकी में व्याप्त मूलभूत लिंग विभेद को समाप्त करते हुए, इसे और सुदृढ़ बनाया है। इनमें से प्रत्येक राज्य के अधिनियम में मूल तत्व एक समान भाषा में लगभग समान ही हैं। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के संशोधनकारी अधिनियमों में तीन धाराएं अर्थात् 29 क, 29 ख और 29 ग, जोडी गयी है परन्तु कर्नाटक के अधिनियम में इन्हें धारा 6 क, 6 ख तथा 6 ग के रूप में संख्यांकित किया गया है।

3.2.3 इन राज्य अधिनियमितियों में सहदायिकी संपत्ति में पुत्री को समान अधिकार दिए गए है और इनमें एक सर्वोपरि खंड अन्तर्विष्ट किया गया है। इन चार राज्यों में :

(क) मिताक्षरा विधि से शासित किसी संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी सहदायक की पुत्री अपने स्वयं के अधिकार स्वरूप जन्म से ही पुत्र ही की भांति सहदायक बन

जाएगी और उसे सहदायिकी संपत्ति में समान दायित्वों और निर्योग्यताओं के अधीन समान अधिकारी प्राप्त होंगे ;

(ख) संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी संपत्ति के विभाजन पर उसे (पुत्री को) पुत्र के समान अंश का आवंटन किया जाएगा। पूर्व-मृतक पुत्र या पूर्व-मृतक पुत्री का अंश विभाजन के समय, यदि जीवित हों, तो ऐसे पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के उत्तरजीवी बच्चों को आवंटित किया जाएगा।

(ग) वह (पुत्री) इस संपत्ति को सहदायिकी स्वामित्व के रूप में अभिधारित करेगी और इसका वह इच्छा पत्र द्वारा अन्य वसीयती विलेख द्वारा व्ययन कर सकेगी ;

(घ) राज्य अधिनियमितियों पूर्वेक्षित स्वरूप की हैं और उस पुत्री के लिए लागू नहीं होती जिसका विवाह इस अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व हुआ या संपत्ति का विभाजन इस अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व हुआ हो।

3.2.4 तथापि, इन चार हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियमों की आलोचना हुई हैं क्योंकि इनके कार्यकरण और प्रवर्तन से बहुत सी कठिनाईयां पैदा हुई हैं। इन चार संशोधनकारी अधिनियमों से, जिनसे पुत्री को सहदायक की स्थिति प्रदान की गई है, मिताक्षरा संयुक्त परिवार तथा सहदायिकी की अवधारणा में पर्याप्त परिवर्तन आया है। एक बार पुत्री के सहदायक बन जाने पर वह स्वयं ही अपने जन्म के संयुक्त परिवार की सदस्य बन जाती है और विवाह के पश्चात वह अपने विवाह के संयुक्त परिवार की भी सदस्य बनी रहेगी।

3.2.5 इस संबंध में, श्री पटास्कर की टिप्पणियों को देखना संगत होगा जो उन्होंने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत किए जाने के समय संसदीय वाद-विवाद में भाग लेते समय की थी। उन्होंने कहा था।

> "मिताक्षरा संयुक्त परिवार को देखते हुए पुत्री को पुत्र के समान ही जन्मसिद्ध अधिकार, उत्तराधिकार अधिकार और किसी भी समय विभाजन का दावा करने का अधिकार देने से एक ऐसा संयुक्त परिवार सामने आयेगा जिसका विधि में कोई उल्लेख नहीं होगा और यह प्रत्यक्ष रूप में अव्यवहार्य भी होगा।

3.2.6 यह देखा गया है कि तमिलनाडु राज्य में सहदायकों के बीच बहुत सी संपत्तियों का विभाजन तमिलनाडु (हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रभावी होने से पूर्व ही पुत्री के सहदायक बनने के अधिकार को पराजित करने के उद्देश्य से किया गया। ये अधिकांशतः "कपटपूर्ण विभाजन" थे जो पहले की तिथियों के थे ताकि पुत्री को सहदायिकी संपति उपलब्ध न हो सके। इस प्रकार के कदाचार को रोकना था अन्यथा मिताक्षरा सहदायिकी में अन्तर्निहित पुत्रियों के प्रति विभेद को दूर करने का अधिनियम का मूल उद्देश्य ही पराजित हो जाएगा। यद्यपि तमिलनाडु अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति 15-1-1990 को प्राप्त हो गई और इसे 18-1-1990 को राजपत्र में प्रकाशित भी कराया गया परन्तु अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि 25-3-89 के पश्चात अधिनियम के विरुद्ध हुए विभाजन शून्य माने जाएगे। विधि आयोग की प्रश्नावली में इस विषय पर भी विचार आमंत्रित किए गए और यह पाया गया कि अधिकांश लोगों का यह विचार था कि प्रस्तावित विधान के अधिनियमन से ठीक पूर्व के इस प्रकार के संव्यवहारों को अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए।

3.2.7 इन राज्य अधिनियमितियों में एक अन्य कमी यह है कि इनमें अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व विवाहित पुत्री को सहदायिकी संपत्ति के अधिकार से वंचित रख गया है, यद्यपि उक्त संशोधनकारी अधिनियमों के प्रवर्तन में आने के पश्चात विवाहित पुत्री को यह अधिकार प्राप्त है। इसके परिणामस्वरूप, किसी विवाहित पुत्री का उसके पैतृक परिवार की संयुक्त संपत्ति में हित बना रहेगा यदि उसका विवाह अधिनियम के पश्चात हुआ है परन्तु विधि के प्रवर्तन से पूर्व विवाहित किसी पुत्री को उसके पैतृक परिवार की संयुक्त संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार का विभेद अनुचित तथा अवैध प्रतीत होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक निर्णय में इस मत को समर्थन प्राप्त हुआ है।

सविता शमदेवी बनाम भारत संघ मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विवाहित और अविवाहित पुत्री के बीच अन्तर असंवैधानिक है । न्यायमूर्ति श्री पुंछी द्वारा की गयी टिप्पणीया संगत हैं; "विवाहित पुत्री की पात्रता अविवाहित पुत्री के समान ही होनी चाहिए (क्योंकि एक समय वह ऐसी ही स्थिति में थी) ताकि वह लाभ का दावा कर सके.....6"

3.2.8 विधि आयोग की प्रश्नावली के अधिकांश उत्तरों में भी यही मत अभिव्यक्त किया गया है कि विवाहित तथा अविवाहित पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिएं। आवास गृह के संबंध में भी यही विचार व्यक्त किया गया है।

3.2.9 इसके अतिरिक्त यह महसूस किया गया है कि एक बार पुत्री को पुत्र के समान ही सहदायक बना दिए जाने पर सहदायक के रूप में उसके अधिकार अक्षरश: वास्तविक होने चाहिए। उस स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 को निकाल दिया जाना चाहिए। धारा 23 में यह प्रावधान है कि किसी निर्वसीयती हिन्दू की मृत्यु पर, आवास गृह के बारे में जो पूर्णतया संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा धारित हैं, महिला उत्तराधिकारी को विभाजन की मांग करने का अधिकार नहीं है जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी ऐसा करना चाहते हों। इस धारा में आगे पुत्री के आवास के अधिकार में भी कमी कि गई है, यदि वह अविवाहित या परित्यकता या अपने पति से उसका संबंध विच्छेद नहीं हो गया है या वह विधवा नहीं है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 को पूरी तरह से निकाल दिए जाने की आवश्यकता है और इस विचार को प्रश्नावली के उत्तरों में समाज को विभिन्न वर्गों से बहुत अधिक समर्थन प्राप्त हुआ हैं ।

3.2.10 आवास गृह में निवास करने के किसी विधवा के अधिकार को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है । परिवार का आवास गृह विधवा की सहमति और आवास गृह के विक्रय के लिए उसके सहमत हो जाने के पश्चात् उसे वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए बिना अन्य संक्रमित नहीं किया जाना चाहिए ।

3.2.11 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रियों को तथा मृतक सहदायक की विधवा को मृतक पुरुष सहदायक के हित में अंश प्रदान किया गया है। तथापि, चार हिन्दू उत्तराधिकार (राज्य संशोधन) अधिनियमों में, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, पुत्रों तथा पुत्रियों को समान सहदायिकी अधिकार दिए गए हैं; इस प्रकार जन्म सिद्ध अधिकार को सुरक्षित रखा गया है और मिताक्षरा सहदायिकी में पुत्रियों के लिए भी इसका विस्तार किया गया है। इसके अप्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विधवा का उत्तराधिकार अंश कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यदि सहदायकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो पति का हित कम हो जाता है ।

3.2.12 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में सहदायिकी की अवधारणा को समाप्त नहीं किया गया जो समाप्त की जानी चाहिए थी। परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार (राज्य संशोधन) अधिनियमों में किसी सहदायक की पुत्री को पुत्र की भांति सहदायक बनाने का अधिकार दिया गया है जिससे भाई-बहिन संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रतीत होता है कि जहां पुत्रियों को सहदायक बनाया गया है वहां भी उसे कर्ता बनाने में हिचकिचाहट है क्योंकि सामान्यत: पुरुषों के विचार में वह संपत्तियों के प्रबंध और कारोबार चलाने के लिए सक्षम नहीं है और यदि वह विवाहित है तो उसके अपने पति या उसके परिवार के प्रभाव में आ सकती है। यह पूर्णतया अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि महिलाएं प्रत्येक कार्यक्षेत्र में समान प्रभावित हो रही है और महिलाएं अपने पति या उसके परिवार से प्रभावित हो सकती हैं तो पुरुष भी अपनी पत्नियों तथा उनके परिवारों से प्रभावित हो सकते हैं।

3.3 केरल माडल

केरल राज्य ने हिन्दू विधि समिति–वी०एन० राव समिति, (जिसे हिन्दू कोड बिल तैयार करने का कार्य सौंपा गया था) सहदायिकी की अवधारणा को समाप्त कर दिया है। केरल के

माडल से हिन्दू विधि का एकीकरण हुआ है और राव समिति की सिफारिशों का समर्थन करते हुए श्री पी० बी० काने ने कहा था :

> "जन्म-सिद्ध अधिकार को, जो मिताक्षरा शाखा की मुख्य कठिनाई है और जिसे हिन्दू संहिता के प्रारूपण में समाप्त करने का विचार किया है समाप्त करने से हिन्दू विधि के एकीकरण में सहायता मिलेगी8"

3.3.1 केरल संयुक्त परिवार प्रणाली (निरसन) अधिनियम, 1975 (यहां इसके बाद केरल अधिनियम के नाम से उल्लिखित) की धारा 4(1) में यह प्रावधान किया गया है कि मिताक्षरा सहदायिकी के सभी सदस्य इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से सामान्वियक अभिधारी के रूप में इस प्रकार से संपत्ति धारण करेंगे जैसे कि संपत्ति का विभाजन हो चुका है और प्रत्येक सदस्य अपने अपने अंश को पृथक-पृथक रूप से अभिधारित करेगा। इस केरल अधिनियम की मुख्य बात यह है कि इसने परम्परागत मिताक्षरा सहदायिकी तथा जन्म सिद्ध अधिकार को समाप्त कर दिया है। परन्तु केरल में मुरुमक्काटायम, अलियसन्तान तथा नम्बूदरी प्रणालियां भी विद्यमान थीं, और इनमें से कुछ मातृक वंश परम्परा पर आधारित थीं, और इस प्रकार के संयुक्त परिवारों को भी इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। केरल के माडल का परिणाम संभव तथा बड़े परिवारों में सौहार्द बनाए रखना है और यह एक न्यायोचित निर्णय प्रतीत होता है क्योंकि केरल में मातृक और पैतृक दोनों प्रकार के संयुक्त परिवार विद्यमान थे। यदि अन्य राज्यों में संयुक्त परिवारों को आज समाप्त कर दिया जाए तो विभाजन हुआ समझा जाएगा और महिलाओं को; उनके सहदायक न होने के कारण, कुछ भी नहीं मिल पाएगा, जब कि जहां उन्हें सहदायक बनाया गया है, वहां वे समान अंशधारी हैं।

3.3.2 तथापि, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश दोनों राज्यों की अधिनियमितियों में एक यह सामान्य कमी है कि ये किसी अन्य के पक्ष में वसीयती विलेख अथवा अन्य संक्रामण द्वारा पराजित होने से पुत्रियों, माताओं तथा विधवाओं के हितो की रक्षा करने में असफल हैं। वसीयती विलेख के विरुद्ध आलोचना पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित करने के मामले में भी की जा सकती है। यह प्रश्न कि क्या वसीयती विलेख करने पर कतिपय स्वीय विधियों की तरह कोई प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? यह विचार करने योग्य एक अन्य विषय है।

3.4 महिलाओं को बहतर संपत्ति अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से चार राज्यों ने हिन्दू उत्तरधिकार (राज्य संशोधन) अधिनियमों में इस विषय पर ध्यान दिया गया है और केरल ने संयुक्त हिन्दू परिवार की अवधारणा को समाप्त करके इस विषय को ध्यान में रखा है। इसके परिणामस्वरूप दो प्रकार के आन्ध्र प्रदेश तथा केरल माडल सामने आए हैं।

3.5 कतिपय समाचार पत्रों में हाल ही में प्रकाशित हुए समाचारों से पता चला है कि केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संयुक्त परिवार में महिलाओं को संपत्ति अधिकार प्रदान करने के लिए, उपयुक्त संशोधन करने के लिए कहा है। महिला तथा बाल–विकास विभाग ने बहुत से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में पुत्रियों को उनके सहदायिकी अधिकार का सम्यक अंश देने के उद्देश्य से संशोधन करने के लिए विधायी प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया है जैसाकि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य पहले कर चुके हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि केरल सरकार ने ऐसा केरल संयुक्त परिवार प्रणाली (निरसन) अधिनियम, 1975 अधिनियम करके ऐसी स्थिति की व्यवस्था की है जिससे उस राज्य में हिन्दू अधिकार अधिनियम की धारा 6 कार्यान्वित नहीं होती ।

3.6 उत्तराधिकार विधियों का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में आता है। इसलिए, इस विषय पर संसद तथा राज्य विधान मंडल दोनों ही विधियां अधिनियमित करने के लिए सक्षम हैं। यदि इस क्षेत्र में कोई अन्य राज्य कोई अन्य पद्धति विकसित करता हैं तो विधि में और अधिक विविधता हो जाने की संभावना रहेगी।

इसका परिणाम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन न करना होगा जिनमें राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह समस्त भारत में एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यदि वर्तमान में ऐसा करना संभव नहीं है तो कम से कम हिन्दूओं के विषय में तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। तदनुसार संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 246 के अधीन एक केंद्रीय विधि अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में इन पांच राज्यों द्वारा अधिनियमित की गयी विधियों, जब तक स्पष्ट रूप से निरसित न की जाएं, विरोध की सीमा तक निरसित समझी जाएंगी।

पाद–टिप्पण

1. केरल संयुक्त परिवार प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1975
   हिन्दू उत्तराधिकार (आन्ध्र प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1986
   हिन्दू उत्तराधिकार (तमिलनाडु–संशोधन) अधिनियम, 1989
   हिन्दू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 1994
   हिन्दू उत्तराधिकार (कर्नाटक-संशोधन) अधिनियम, 1994
   इन अधिनियमों के पाठ के लिए देखें **अनुबंध –IV**
2. बी० शिवरामैया। पुत्रियों को सहदायिकी अधिकार; संवैधानिक तथा व्याख्यात्मक विवाद्यक" (1997) 3 एस० सी० सी० (जे) पृष्ठ 25
3. **लोक सभा वाद-विवाद पृष्ठ 8014 (1955)**
4. निम्नलिखित अध्याय IV, पैरा 4.10
5. जेटी (1996) 1 पृष्ठ 680
6. उपरोक्त, पृष्ठ 683–684 पैरा 7
7. निम्नलिखित अध्याय IV पैरा 4.7
8. एम० पी० वी० काने, धर्मशास्त्र का इतिहास (**प्राचीन तथा मध्यकालीन धार्मिक तथा सिविल विधि**) (1946) खंड–III, पृष्ठ 823
9. पीटी आई "केन्द्र ने राज्यों से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने के लिए कहा "दी आबजर्वर 7.2.2000, देखें ट्रिब्यून 22-3-2000"

अध्याय IV

प्रश्नावली तथा उसके उत्तर

4.1 हिन्दू अविभाजित परिवार की मिताक्षरा संपत्ति में पुत्रियों को अधिकार देने के बारे में जनता के विचार जानने के उद्देश्य से विधि आयोग ने एक प्रश्नावली जारी की। इस प्रश्नावली के तीन भाग थे और उनमें 21 प्रश्न अन्तर्विष्ट थे। प्रश्नावली का उत्तर 67 प्रत्यार्थियों ने भेजा है। 30 प्रत्यार्थी विधि व्यवसायी है और शेष प्रत्यार्थी समाज विज्ञानी और गैर सरकारी संगठनों से है। प्रश्नावली के विभिन्न प्रश्नों के बारे में प्राप्त हुए उत्तरों का अनुबंध दो में विश्लेषण किया गया है और इन्हें सारणीबद्ध किया गया है।

प्रमुख प्रश्नों का सारांश इस प्रकार है ।

4.2 मिताक्षरा संयुक्त परिवार रखा जाए अथवा नहीं तथा ऐसा करने का कारण

67 प्रत्यार्थियों में से अधिकांश ने मिताक्षरा सहदायिकी को रखने का विरोध किया है। इसके विरोध में दो मुख्य कारण दिए गए है, सहदायिकी प्रणाली में महिलाओं के प्रति भेदभाव किया गया है और विधायी परिवर्तनों से सहदायिकी प्रणाली की उपयोगिता विखंडित हुई है । कतिपय प्रत्यार्थियों, जिन्होंने इस प्रणाली को रखने का समर्थन किया है, का यह विचार है कि यह प्रणाली परिवार के आर्थिक रूप से दुर्बल सदस्यों को संरक्षण देती है, पुरुषों को बहतर अधिकार देती है और परिवार के कृषि तथा व्यावसायिक क्रियाकलापों में सहायक है।

4.3 लिंग-विभेद को समाप्त करने के लिए उपाय

तथापि, अधिकांश प्रत्यार्थियों ने यह सुझाव दिया है कि यदि मिताक्षरा सहदायिकी को रखा भी जाए, तो भी, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से लिंग-विभेद को समाप्त करना उत्तम होगा। इसके परिणामस्वरूप वे चाहते हैं कि पुत्री को पुत्र की भांति सहदाय बनने का जन्मसिद्ध अधिकार दिया जाना चाहिए।

4.4 मिताक्षरा संयुक्त परिवार के रखे जाने की स्थिति में पुत्री का संयुक्त परिवार में कर्ता होना

लगभग आधे प्रत्यार्थियों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि यदि मिताक्षरा संयुक्त परिवार रखा जाता है तो संयुक्त परिवार में पुत्री को कर्ता होने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

4.5 अधिनियम (पारित होने पर) कब से प्रवर्तनीय होना चाहिए

इस विषय पर स्पष्ट रूप से मतान्तर था और केवल 11 प्रत्यार्थी अधिनियम के पारित होने से 10–15 वर्ष पहले से इसे भूतलक्षी प्रभाव देने के पक्ष में थे, 14 प्रत्यार्थी क्रेताओं के हित के पक्ष में थे, संरक्षण देने जिन्होंने सद्भावपूर्वक संपत्ति क्रय की थी, 12 प्रत्यार्थी निहित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने के पक्ष में थे और कुछ प्रत्यार्थियों ने इस प्रश्न पर अपने विचार ही व्यक्त नहीं किए।

4.6 क्या प्रस्तावित विधान द्वारा माता को भी सहदायिकी अधिकार दिया जाना चाहिए ?

अधिकांश प्रत्यार्थियों ने माता को सहदायिकी अधिकार देने के पक्ष का समर्थन किया है।

4.7 क्या प्रस्तावित विधान के अधिनियम से तुरन्त पूर्व विभाजन विक्रय द्वारा विधान के उद्देश्य को पराजित करने के प्रयासों को अवैध घोषित किया जाना चाहिए ?

अधिकांश प्रत्यार्थियों ने इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा है कि इस प्रकार के संव्यवहारों को अवैध घोषित किया जाना चाहिए।

4.8 आवास गृह में निवास करने या उसका विभाजन कराने का पुत्री का अधिकार

अधिकांश प्रत्यार्थियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि विधि में ऐसा प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि जहां केवल एक ही पैतृक गृह हो वहां भी महिला उत्तराधिकारी उसके विभाजन की मांग कर सके। इस प्रश्न पर कि क्या विवाहित पुत्रियों को आवास गृह में निवास का अधिकार दिया जाना चाहिए, अधिकांश प्रत्यार्थियों ने विवाहित तथा अविवाहित दोनों को ही समान अधिकार देने के पक्ष का समर्थन किया है और कतिपय प्रत्यार्थियों ने तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 को पूर्ण रूप से निकाल देने का सुझाव दिया है।

4.9 आवास गृह में निवास करने का उसके विक्रय से इंकार करने का विधवा का अधिकार

61 प्रत्यार्थियों ने आवास गृह में निवास करने के विधवा के अधिकार को विशेष संरक्षण देने के पक्ष का समर्थन किया है। इस प्रकार के अन्य वैकल्पिक सुझाव दिए गए कि परिवार के आवास गृह को विधवा की सहमति के बिना या आवास गृह के विक्रय के लिए उसके सहमत हो जाने पर उसे वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए बिना, अन्य संक्रामित नहीं किया जाएगा या अमरीका तथा कनाडा की भांति पत्नी/विधवा को वासस्थान अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।

4.10 किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर संपत्ति में अपना-अपना अंश दर्शाते हुए सभी उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करना

अधिकांश प्रत्यार्थियों ने यह सुझाव दिया था कि उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी किए जाऐ चाहिए परन्तु वे चाहते थे कि ऐसे प्रमाण-पत्र मुंसिफ के न्यायालय द्वारा जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए "मार्गनिर्देशक न्यायालय" स्थापित किए जाने चाहिए।

4.11 प्रस्तावित विधान लाने के लिए किस माडल को अपनाया जाना चाहिए?

(क) केरल माडल, 1976

(ख) आन्ध्र माडल, 1986

(ग) हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 6 का संशोधन करना या उसे नया रूप देना

(घ) धारा का पूर्णतया लोप करना और धारा 8 के नीचे स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित करना।

आयोग ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार आमंत्रित किए कि यदि पुत्रियों को अधिकार देने के उद्देश्य से उसे नए विधान की सिफारिश करनी है तो किस माडल का अनुसरण करना चाहिए। 67 प्रत्यार्थियों में से 24 प्रत्यार्थियों ने आन्ध्र माडल का समर्थन किया है और 22 ने केरल माडल का। तथापि, कतिपय प्रत्यार्थियों ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 को नया रूप देने का सुझाव दिया है और कुछ ने कहा है कि धारा 6 का लोप कर दिया जाना चाहिए।

4.12 वसीयती विलेख के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाना

अधिकांश प्रत्यार्थियों ने वसीयती विलेख के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष का समर्थन किया है। 22 प्रत्यार्थियों ने इसे संपत्ति में अंश के आधे भाग तक सीमित करने का सुझाव दिया है और इतनी ही संख्या में प्रत्यार्थियों ने इसे $\frac{1}{3}$ भाग तक सीमित करने का सुझाव दिया है।

अध्याय V

निष्कर्ष तथा सिफारिशें

निष्कर्ष

5.1 किसी विधि में उपयुक्त सुधारों का सुझाव देने के लिए, विधि के वर्तमान उपबंधों का तथा जिस रिष्टि का उपचार किया जाना है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों तथा उनसे उत्पन्न विभिन्न असमानताओं के बारे में चर्चा की गई है। इस अध्याय में हमारे अध्ययन के निष्कर्ष दिए गए हैं और इसके पश्चात हमने कतिपय सुझाव दिए हैं।

5.2 मिताक्षरा प्रणाली में संयुक्त परिवार की संपत्ति का सहदायिकी में उत्तरजीविता के आधार पर न्यागमन होता है। मिताक्षरा विधि में उत्तराधिकारी वसीयत को मान्यता प्राप्त है परन्तु यह केवल ऐसी संपत्ति के लिए है जो किसी पुरुष या महिला द्वारा पृथक रूप से अर्जित की गई हो। (पैरा 1.3.3)

5.3 दयाभाग शाखा में न तो जन्म से और न ही उत्तराधिकार द्वारा अधिकार को कोई मान्यता दी गई है यद्यपि संयुक्त परिवार तथा उसकी सहदायिकी को मान्यता प्राप्त है। इसमें उत्तराधिकार की केवल एक पद्धति दी गई है और वसीयत/उत्तराधिकार के लिए वही नियम लागू होते हैं चाहे परिवार विभाजित है या अविभाजित और संपत्ति भी चाहे पैतृक है या स्वार्जित। पुत्र और पुत्रियां केवल पिता की मृत्यु पर सहदायक बनते हैं और पैतृक संपत्ति में समान रूप से अधिकारी हो जाते हैं। (1.3.4)

5.4 भारत के संविधान निर्माताओं ने समाज में महिलाओं की प्रतिकूल तथा विभेदात्मक स्थिति पर ध्यान दिया और महिलाओं के प्रति विभेद को रोकने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 14, 15(2) तथा (3) का उपबंध करके, विशेष प्रयास किया। राज्य ने नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान के भाग-चार में आगे यह व्यवस्था की गई है कि राज्य पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा। (पैरा 1.5)

5.5 संविधान में महिलाओं को समान अधिकारों की गारंटी दिए जाने के बावजूद भी उत्तराधिकार विधि में मिताक्षरा संयुक्त परिवार प्रणाली के अधीन हिन्दू महिलाओं के बहुत से विभेदात्मक तत्व अभी तक विद्यमान हैं क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार केवल पुरुषों को ही सहदायिकी के रूप में मान्यता दी गई है। (पैरा 2.4)

5.6 आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के उपबंधों में संशोधन किया है। और हिन्दू अविभाजित परिवार की मिताक्षरा सहदायिकी में परिवर्तन किए हैं। इन चारों राज्यों में पुत्री को सहदायक बना दिया गया है। तथापि, केरल राज्य ने सहदायिकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने के बजाय जन्म सिद्ध अधिकार का उत्सादन करके संयुक्त हिन्दू परिवार की मान्यता को ही समाप्त कर दिया। मिताक्षरा विधि से शासित परिवार के सदस्यों की, चाहे वे पुंलिग हों या स्त्रीलिंग, मान्यता समाप्त करने का परिणाम यह हुआ है कि वे संयुक्त परिवार की संपत्ति में सामान्यिक अभिधारी और अपने अंश के पूर्ण स्वामी हो गए। (पैरा 3.2.1 और 3.3.1)

सिफारिशें

5.7 विधि आयोग ने अपनी पहली प्रतिक्रिया के रूप में केरल माडल को पूर्ण रूप से स्वीकार करने की सिफारिश की क्योंकि इसमें मिताक्षरा सहदायिकी में पुरुषों के जन्मसिद्ध अधिकार का उत्सादन किया है और संयुक्त हिन्दू परिवार की अवधारणा को समाप्त कर दिया है। यह महिलाओं के लिए उचित प्रतीत होता है क्योंकि उन्हें जन्म से कोई अधिकार नहीं था,

7—3 M of L&J/ND/2001

परन्तु आगे की गई जांच से यह स्पष्ट हो गया कि यदि संयुक्त हिन्दू परिवार की मान्यता का उत्सादन कर दिया जाता है और केवल पुरुष सहदायक ही विभाजन हों, केवल तब ही वे सामान्यिक अभिधारी होंगे और महिलाओं को उससे अधिक कुछ नहीं मिल सकेगा जिसकी कि वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अधीन उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की हकदार हैं। इसलिए, आयोग का मत है कि पहले पुत्रियों को पुत्रों की भांति ही सहदायक बनाना उत्तम होगा ताकि वे विभाजन के समय या पुरुष सहदायक की मृत्यु हो जाने पर अधिकारी हो सकें और अपना अंश प्राप्त कर सकें और तत्पश्चात सामान्यिक अभिधारी बन सकें। हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

5.7.1 आन्ध्र प्रदेश माडल में पुत्रियों के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं किया गया है क्योंकि इसमें अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व विवाहित पुत्रियों को सहदायक बनने के अधिकार से वंचित रखा गया है। यह बात स्पष्ट है कि यह विधेयक इस धारणा पर आधारित है कि विवाह होने पर पुत्रियां परिवार से बाहर चली जाती है और इस प्रकार परिवार की पूर्व सदस्य नहीं रह जाती। आयोग विवाहित और अविवाहित पुत्रियों के बीच इस विभेद को दूर करना चाहता है, परन्तु पर्याप्त रूप से विचार करने के पश्चात उसने यह निर्णय किया कि यह व्यवस्था रहने दी जानी चाहिए क्योंकि विवाहित पुत्री को विवाह से समय उपहार प्राप्त हो चुके होते हैं यद्यपि ये पुत्र के अंश के, जिसकी मात्रा काफी होती है अनुरूप नहीं होते। इसे ध्यान में रखते हुए अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व विवाहित पुत्रियों तथा इसके प्रभावी होने के पश्चात विवाहित होने वाली पुत्रियों के बीच विभेद न्यायोचित प्रतीत होता है और इससे परिवार में द्वेष तथा तनाव व्याप्त नहीं होगा। वह पुत्री जो अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात विवाहित होगी सहदायक बन चुकी होगी और पैतृक संपत्ति में अंशधारी होगी अतः उसे विवाह के समय कोई सारवान पारिवारिक उपहार नहीं मिलेगा ऐसी आशा है कि इसके परिणामस्वरूप दहेज प्रथा का अन्त भी हो सकेगा।

5.7.2 केरल के अधिनियम ने पुत्र के पुनीत कर्तव्य के सिद्धान्त को समाप्त कर दिया जबकि आन्ध्र प्रदेश तथा राज्यों के संशोधन अधिनियम, जो अविवाहित पुत्रियों को सहदायिकी अधिकारी प्रदान करते हैं, इस विषय में मौन हैं सिवाय इस व्यवस्था के कि सहदायक के रूप में पुत्री सामान्य दायित्वों से बाध्यक है और संयुक्त परिवार में उसके कर्ता बनने की उपधारणा की गई है। हम पुनीत कर्तव्य के सिद्धान्त को समाप्त करने और पुत्री के पूर्ण रूप से सहदायिक बनने की सिफारिश करते हैं।

5.7.3 परिणामतः जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है। हमने आन्ध्र प्रदेश और केरल दोनों माडलों के संयोजन की सिफारिश की है। हमारा विचार है कि यह समन्वय न्याय सम्मत तथा पारिवारिक सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

5.7.4 हमारा यह भी मत है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23, जो आवास गृह के विभाजन का दावा करने के पुत्री के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, पूर्णता निकाल दी जानी चाहिए। हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

5.7.5 जैसाकि पहले अक्सर देखा गया है, पिता इच्छापत्र द्वारा अपनी संपत्ति का निपटारा कर देता है जिससे पुत्री को पिता की स्वार्जित संपत्ति में भी अंश नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त, अक्सर व्यक्ति इच्छापत्र लिख कर ऐसे व्यक्तियों को अपनी संपत्ति दे जाते हैं जो उनके संबंधी भी नहीं होते और इस प्रकार बच्चों और वैध उत्तराधिकारियों को, जिनकी न्यायोचित अपेक्षा होती है, संपत्ति से पूर्णतया वंचित कर दिये जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप वसीयती विलेख के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की प्रबल मांग की गई है। परन्तु समयक रूप से विचार करने के पश्चात आयोग इच्छा-पत्र द्वारा अपनी संपत्ति का न्ययन करने के किसी हिन्दू मृतक के अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगाना नहीं चाहता।

5.6 तदनुसार, हमने हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2000 नामक विधेयक तैयार किया है ताकि हमारी सिफारिशें सरकार द्वारा शीघ्र कार्यान्वित की जा सकें। विधेयक परिशिष्ट "क" के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति बी० पी० जीवन रेड्डी

अध्यक्ष

(ह०)

(डा० एन० एम० घटाटे)

न्यायमूर्ति श्रीमती लीला सेठ (सेवानिवृत्त)

सदस्य

(ह०)

(श्री टी०के० विश्वनाथन)

सदस्य-सचिव

दिनांक : 4.5.2000

(परिशिष्ट क)

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2000

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का आगे संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2000 है। (2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **1956 के अधिनियम 30 की धारा 6 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन** : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में (यहां इसके पश्चात मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"6 जन्म से सहदायक बनने का पुत्री का अधिकार और सहदायिकी संपत्ति में हित का न्यागमन—(1) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2000 प्रवृत्त होने की तिथि से, मिताक्षरा विधि से शासित किसी संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी सहदायक की पुत्री—

(क) जन्म से सहदायक बन जाएगी;

(ख) सहदायिक संपत्ति में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त हुए होत यदि वह पुत्र होती;

(ग) उक्त सहदायिकी संपत्ति में पुत्र के समान ही उसके दायित्व और निर्योग्यताएं होंगी।

किसी हिन्दू मिताक्षरा सहदायक के लिए कोई निर्देश किसी पुत्री को सम्मिलित करते हुए निर्देश समझा जाएगा।

परन्तु यह कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रवृत्त होने से पूर्व विवाहित पुत्री के लिए लागू नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के आधार पर कोई हिन्दू महिला जिस संपत्ति की हकदार बन जाती है वह उसे सहदायिकी स्वामित्व की प्रसंगति के साथ अभिधारित कर सकेगी और उस सम्पत्ति का वह इस अधिनियम में या उस समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी बात के होते हुए भी इच्छा-पत्र या वसीयती विनेख द्वारा व्ययन कर सकेगी।

(3) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रवृत्त होने के पश्चात जब किसी हिन्दू पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो मिताक्षरा विधि से शासित संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति में उसके हित का न्यागमन, यथास्थिति, वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा होगा उत्तरजीविता के आधार पर नहीं और सहदायिकी संपत्ति को, जैसाकि विभाजन हो चुका है विभाजित समझा जाएगा और—

(क) पुत्री को वही अंश आवंटित होगा जो पुत्र के लिए आवंटित किया गया है ;

(ख) पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री का अंश, जो उन्हें विभाजन के समय जीवित रहते हुए प्राप्त होता, ऐसे पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के उत्तरजीवी बच्चे को आवंटित किया जाएगा; और

(ग) पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्रों के पूर्व मृतक बच्चे का अंश, जो ऐसे बच्चे को विभाजन के समय जीवित रहते हुए प्राप्त होता, यथास्थिति, पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के ऐसे पूर्व मृतक बच्चे के बच्चे को आवंटित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन से हिन्दू मिताक्षरा सहदायक का हित संपत्ति, में वह अंश माना जाएगा, जो उसे अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व संपत्ति के हुए विभाजन से आवंटित होता चाहे वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं।

(4) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन), अधिनियम की प्रवृति के पश्चात, पिता, पितामह, प्रपितामह से किसी ऋण की वसूली के लिए किसी पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध, हिन्दू विधि के अधीन ऐसे किसी ऋण के उन्मोचन के लिए ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के पुनीत दायित्व के आधार पर, कोई कार्यवाही करने के किसी अधिकार को किसी न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी।

परन्तु यह कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रवृत होने से पूर्व हुई किसी ऋण संविदा के मामले में, इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित के लिए प्रभावी नहीं होगी—

(क) यथास्थिति, किसी पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने का लेनदार का अधिकार;

(ख) ऐसे किसी ऋण के संबंध में या सन्तुष्टि में किया गया कोई अन्य संक्रामण, और कोई ऐसा अधिकार या अन्य संक्रामण पुनीत दायित्व के नियम के अधीन उसी रूप में और उसी सीमा तक प्रवर्तनीय होगा जैसा कि उस समय प्रवर्तनीय होता जबकि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2000 अधिनियमित न किया गया होता।

स्पष्टीकरण—खंण्ड (क) के प्रयोजन से "पुत्र", "पौत्र" या "प्रपौत्र" नामक अभिव्यक्ति हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रवृत होने से पूर्व जन्म या दत्तक ग्रहण किए गए, यथास्थिति, पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के लिए निर्दिष्ट समझी जाएगी।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रवृत होने की तिथि से पूर्व हुए किसी विभाजन के लिए प्रभावी नहीं होगी।

3. **मूल अधिनियम की धारा 23 का लोप किया जाना** :—मूल अधिनियम की धारा 23 का लोप किया जाएगा।

8—3 M of L & J/ND/2001

अनुबंध I

प्रश्नावली--भारत का विधि आयोग

प्रत्यार्थियों का विवरण

संगत उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए :

1. प्रत्यार्थी — व्यक्ति / संगठन
2. पुरुष — महिला
3. यदि संगठन है तो निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं :--
   (क) विधिक व्यवसाय, विधि के अध्यापन सहित
   (ख) विधि के अतिरिक्त अध्यापन (विषय विनिर्दिष्ट करें
   (ग) व्यवसाय
   (घ) कृषि
   (ङ) सेवा
   (च) रचयिता/लेखक/पत्रकार
   (छ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
4. पता
5. शैक्षणिक पृष्टभूमि (व्यक्ति)
   (क) हाईस्कूल
   (ख) स्नातक
   (ग) स्नातकोत्तर
6. यदि संगठन है, तो कृपया अपने त्रियाकलाप विनिर्दिष्ट करें
   (क) गैर सरकारी संगठन
   (ख) सामाजिक कार्य
   (ग) अध्यापन
   (घ) बार एसोसियेशन
   (ङ) पत्रकार
   (च) अनुसंधान
   (छ) अन्य (स्पष्ट करें) ।

प्रश्नावली

1. हिन्दू विधि समिति (राव समिति) ने मिताक्षरा सहदायिकी और उसके जन्मसिद्ध अधिकार और दयाभाग सहदायिकी में उसके संपरिवर्तन को समाप्त करने का सुझाव दिया है। गैर अधिवक्ताओं के लाभार्थ यह बताया जा सकता है कि हिन्दू विधि की दो शाखाएं, अर्थात मिताक्षरा और दयाभाग है। दयाभाग विधि—बंगाल, असम तथा उडीसा के अधिकांश भागों में प्रचलित है तथा मिताक्षरा शाखा भारत के शेष भाग में है। केरल तथा कर्नाटक के भागों में माता प्रधान विधियां प्रचलित है। मिताक्षरा विधि के अन्तर्गत पिता के अधिकार में पैतृक संपत्तियों में पुत्र, पुत्र के पुत्र तथा पुत्र के पुत्र के पुत्र को जन्मना-अधिकार प्राप्त है और उनका हित पिता के हित के ही समान है। जन्म से ऐसा अधिकार

रखने वाले वर्ग को सहदायिकी कहा जाता है और सहदायिकी, इस प्रकार, संयुक्त परिवार के पुरुष सदस्यों तक ही सीमित है। परम्परागत परिभाषा के द्वारा, पैतृक संपत्तियां वे संपत्तियां है जो पिता, पितामह या प्रपितामह से प्राप्त होती है या संपत्ति के विभाजन पर प्राप्त अंश या स्वार्जित संपत्तियां या वे व्यक्तिगत संपत्तियां (मातामह से उत्तराधिकार में प्राप्त) है जो संयुक्त परिवार की संपत्तियां ले आयी जाती है। उच्चतम न्यायालय में, धन-कर आयुक्त, कानपुर बनाम चन्दर सेन ए. आई. आर. 1986 सु. को. 1753, मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधीन किसी पुत्र द्वारा प्राप्त संपत्ति उसकी पृथक संपत्ति होगी, पैतृक संपत्ति नहीं। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय ने संपत्तियों की एक बड़ी श्रेणी को समाप्त कर दिया जिसे पहले पैतृक संपत्ति माना जाता था] केरल राज्य में वर्ष 1976 में संयुक्त परिवार प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। क्या आप मिताक्षरा संयुक्त परिवार को बनाए रखने के पक्ष का समर्थन करते हैं ?

जी हां — जी नहीं

2. यदि आपका उत्तर "जी हां" है कि मिताक्षरा सहदायिकी को रखा जाना चाहिए तो किस कारण से —
   (क) यह पुरुषों को बेहतर अधिकार प्रदान करती है।
   (ख) यह परिवार के वित्तीय रूप से दुर्बल सदस्यों को संरक्षण देती है।
   (ग) यह परिवार के कृषि तथा व्यावसायिक कामों में सहायता करती है।
   (घ) या कोई अन्य कारण, कृपया स्पष्ट करें।

3. यदि प्रश्न एक के लिए आपका उत्तर "जी नहीं" है तो कृपया निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कारणों पर सही का चिन्ह लगाए—
   (क) परिवार में समन्वय नहीं है।
   (ख) विधायी परिवर्तनों से सहदायिकी प्रणाली की उपयोगिता क्षतिग्रस्त हुई है।
   (ग) व्यावसायिक या कृषि कार्य चलाते रहना अहितकर है।
   (घ) संयुक्त परिवार के कठोर परिश्रमी सदस्यों को हानि पहुंचाते हुए संयुक्त परिवार के आलसी सदस्य लाभ उठाते हैं।
   (ङ) मिताक्षरा सहदायिकी महिलाओं के प्रति विभेद करती है।
   (च) अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)।

4. मिताक्षरा सहदायिकी में केवल पुरुष सदस्य होते हैं। लिंग-भेद को समाप्त करने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे :
   (क) मिताक्षरा सहदायिकी तथा जन्मने अधिकार का उत्सादन।
   (ख) मिताक्षरा सहदायिकी को रखना परन्तु सहदायक की पुत्री या पुत्रियों को पुत्र के समान सहदायक बनने का अधिकार प्रदान करते हुए लिंग-विभेद को समाप्त करना।

5. यदि आप पुत्रियों को सहदायक बनने के समान अधिकार देते हुए मिताक्षरा सहदायिकी को रखने के पक्षधर है तब क्या आप यह चाहेंगे कि पुत्री संयुक्त परिवार में कर्ता या प्रबंधकर्ता बने ?

जी हां — जी नहीं

6. यदि आपने उत्तर "जी नहीं" दिया है तो इसका क्या कारण है :
   (क) महिलाएं सामान्यतया संपत्तियों तथा कृषि का प्रबंध करने में सक्षम नहीं होती है।
   (ख) वे व्यवसाय चलाने में भी सक्षम नहीं है।

(ग) विवाहित होने पर वे संयुक्त परिवार के निवास स्थान से अन्यत्र चली जाती है।

(घ) उनके अपने पति या पति के परिवार के सदस्यों से प्रभावित होने की आशंका रहती है।

(ङ) अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)।

7. यदि आप मिताक्षरा सहदायिकी में पुत्रियों को सम्मिलित करते हुए लिंग-भेद संबंधी असमानता को दूर करने के पक्ष का समर्थन करते हैं तो क्या आप चाहेंगे —

(क) अधिनियम के पारित होने के समय अविवाहित पुत्रियों के लिए, उन्हें सहदायिकी अधिकार प्रदान करते हुए, इसे सीमित करना।

(ख) अविवाहित तथा विवाहित दोनों को ही एक समान अधिकार देना।

8. यदि आपके विचार में सहदायिकी अधिकार विवाहित पुत्रियों को भी प्राप्त होने चाहिए तो इसके परिणामस्वरूप पुरुष सदस्यों द्वारा किए गए अन्तरण पूर्णतया या आंशिक रूप से अवैध हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए भूतलक्षी प्रभाव के संबंध में आप क्या सीमाएं रखना चाहेंगे :

(क) ऐसी अवधि का प्रावधान जिसमें भूतलक्षी प्रभाव लागू होगा, उदाहरण के लिए, अधिनियम के पारित होने से पूर्व 10 या 15 वर्ष।

(ख) क्रेताओं के हित का संरक्षण जिन्होंने सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए संपत्ति के लिए धनराशि या क्रय मूल्य का भुगतान किया है।

(ग) अन्य लोगों द्वारा अर्जित निहित अधिकारों में, अर्थात् जो अधिकार पूर्ण स्वरूप के अधिकार है चाहे उसके लिए संपत्ति का मूल्य दिया गया हो अथवा नहीं (जैसे दान), व्यवधान नहीं होना चाहिए।

(घ) कोई अन्य कारण जो आप चाहते हैं।

9. पुत्रों तथा पुत्रियों को सहदायिकी अधिकार प्रदान करके सहदायकों की माता की स्थिति दुर्बल हो जाती है, क्योंकि वह सहदायक नहीं है। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा द्राविड शाखा से शासित कर्नाटक तथा भूतपूर्व मैसूर क्षेत्र में भी उसका अंश कम हो जाता है क्योंकि वह सहदायक नहीं है। क्या आपके विचार से सहदायकों की माता को भी विधान द्वारा सहदायिकी अधिकार दिया जाना चाहिए।

जी हां जी नहीं

10. जब पुत्रियों को सहदायिकी अधिकार प्रदान करने के लिए विधेयक पुनःस्थापित किया जाएगा तब अधिनियम के उपबंधों को पराजित करने के उद्देश्य से संपत्ति का विभाजन या विक्रय करने के प्रयास किए जाएंगे। क्या अधिनियम से पूर्व अवधारित विधायी परिवर्तनों के उपबंधों को निष्प्रभावी बनाने के आशय से ऐसे संव्यवहारों को अवैध घोषित किया जाना चाहिए जैसा कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले विधानों के मामले में किया गया था।

जी हां जी नहीं

11. दक्षिण राज्यों में जहां रैयतवाडी अवधि का प्रचलन है, कृषि भूमि के अधिकार चाहे वे स्वामित्व के हो या अन्य किसी प्रकार के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 विकसित होंगे जबकि उत्तर में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, कृषि हितों के न्यागमन के लिए विशेष नियम है और जो उत्तराधिकारी स्वरूप के है और ये विशेष नियम पुत्रियों जैसी महिला उत्तराधिकारियों के मामले में भेद-भाव पूर्ण है। क्या आप उत्तर के कतिपय राज्यों में प्रचलित इस प्रकार के विशेष नियमों को समाप्त करना चाहेंगे और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,

1956 के अधीन इस प्रकार की अवधि (पट्टा) अथवा कोई अन्य कृषि हित विकसित करना चाहेंगे।

जी हां जी नहीं

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर "जी नहीं" है तो क्या इसका कारण है :

(क) सामाजिक मान्यताएं और रूढियां ऐसे नियमों की अपेक्षा करती है ;

(ख) यदि पुत्रियों को अधिकार दे दिया जाता है तो क्या वे कृषि तथा भूमि की देखभाल का कार्य नहीं कर सकेंगी ?

(ग) यदि पुरुष उत्तराधिकारी या पुत्र पुत्रियों के हितों को अभिप्राप्त करना चाहते हैं तो धनराशि के रूप में प्रतिकर देना होगा ;

(घ) कोई अन्य कारण।

13. अक्सर ऐसा महसूस किया गया है कि पैतृक गृह या उसके किसी भाग का कोई बटवारा नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु जब कोई पुरुष उत्तराधिकारी आवास गृह के विभाजन की मांग करता है तब विभाजन करना होता है। वर्तमान विधि के अनुसार, कोई महिला उत्तराधिकारी किसी आवास गृह, जिस पूरे गृह में उसके (पुरुष या स्त्री) परिवार के सदस्य रहते हों, विभाजन की मांग नहीं कर सकती जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी अपने अपने अंश का बटवारा न चाहते हों। तथापि, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 23 के अधीन उसे उक्त आवास गृह में निवास करने का अधिकार है परन्तु पुत्रियों के मामले में, यह अधिकार केवल, अविवाहित, परित्यक्ता या विधवा पुत्रियों के लिए ही सीमित है। अर्थात् विवाहित पुत्रियों को इस अधिकार से वंचित रखा गया है। क्या आपके विचार में :

(क) महिला उत्तराधिकारियों द्वारा विभाजन की मांग का उपबंध करने के लिए विधि में संशोधन किया जाना चाहिए। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो क्या केवल एक ही पैतृक गृह होने पर भी विभाजन होना चाहिए ?

जी हां जी नहीं

(ख) क्या आवास गृह में विवाहित पुत्रियों को भी निवास का अधिकार दिया जाना चाहिए ?

जी हां जी नहीं

14. (क) क्या धारा 23 का पूर्णतया लोप कर दिया जाना चाहिए ?

या

(ख) क्या हिन्दू महिला निर्वसीयतियों के आवास गृहों के लिए धारा 23 लागू नहीं होनी चाहिए ?

आप किस विकल्प को प्राथमिकता देना चाहेंगे ?

(क) (ख)

15. एक विचार यह है कि आवास गृह में निवास करने के विधवा के अधिकार को विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। क्या आप इस विचार से सहमत है ?

जी हां जी नहीं

16. यदि प्रश्न 15 के लिए आपका उत्तर "जी हां" है तो निम्नलिखित से आप किस विकल्प को प्राथमिकता देंगे ;

(क) क्या अमरीका तथा कनाडा के विधानों की भांति पत्नि या विधवा को वासस्थान अधिकार प्रदान करना चाहेंगे? इन विधानों की मुख्य बातें (यद्यपि ये पथक पृथक राज्यों में पृथक पृथक हो सकती है) है :

(i) केवल एक गृह को वासस्थान घोषित किया जाएगा,

(ii) वासस्थान के विरुद्ध लेनदारों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी,

(iii) वासस्थान के अन्य संक्रामण के लिए पति और पत्नि साथ होने चाहिए,

(iv) पति की मृत्यु पर वासस्थान अधिकार पत्नि के पक्ष में, कम से कम उसके जीवित रहने तक, रहेगा या

(ख) जहाँ पुत्र और पुत्रियां या विधवा माता के उत्तराधिकारी सहदायक है, वहां यह घोषणा करना कि माता की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना और सभी मामलों में जब तक विधवा को जो आवास गृह के विक्रय के लिए सहमत है संतोषप्रद वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता, परिवार के आवास गृह का अन्य संक्रामण नहीं किया जाएगा। विधवा की अनुमति के बिना विक्रय शून्य समझा जाएगा। यह उल्लेख किया जा सकता है कि विक्रय को इसलिए शून्य घोषित किया गया तो विधवा को कष्टदायक मुकदमेबाजी में जाना पड़ेगा।

17. सामान्यतया यह समझा जाता है कि महिलाएं अपने सांविधिक अधिकारों पर अपने पुरुष संबंधियों की भावनाओं को आहत करने के भय से बल नहीं देती है। क्या आप किसी व्यक्ति की मृत्यु पर सभी उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक समझते हैं जिसमें उनके अंशों को दर्शाया जाएगा और जिसे संपत्ति या संपत्तियों में उनके अधिकारों का प्रमाण माना जाएगा? इस प्रकार का दस्तावेज राजस्व नगर तथा अन्य अभिलेखों में नामांतरण के लिए आवश्यक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

जी हां जी नहीं

18. यदि प्रश्न सं० 17 का उत्तर "जी हां" है तो क्या आप इस प्रकार का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जिला मुंसिफ के न्यायालय या अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालय (जिला न्यायालय नहीं) जैसे न्यायिक प्रशासन के न्यूनतम स्तर से दिए जाने की शक्ति प्रदान करने के पक्ष का समर्थन करते है?

जी हां जी नहीं

19. यदि प्रश्न 18 के लिए आपका उत्तर "जी हां" है तो क्या आप नगरीय क्षेत्रों में स्थित न्यायालय में पहुंचने में दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों की कठिनाइयों से बचाने के लिए सचल न्यायालय स्थापित (जो समय-समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं) करने के पक्ष का समर्थन करते हैं?

जी हाँ जी नहीं (अन्य, स्पष्ट करें)

20. सभी पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए क्या आप पक्षधर है?

(क) केरल संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1975 (1976 का अधिनियम 30, 1978 के अधिनियम 15 द्वारा संशोधित) की भांति मिताक्षरा सहदायिकी के उत्सादन के, या

(ख) आन्ध्र प्रदेश मांडल के जिसमें सहदायिकी संपत्ति में पुत्रियों का समान अधिकार प्रदान करके हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में हिन्दू उत्तराधिकार (आन्ध्र प्रदेश संशोधन (अधिनियम, 1986) 1986 का अधिनियम सं० 13) द्वारा संशोधन किया गया है। इसी प्रकार के अधिनियम तमिलनाडु (1990 का अधिनियम I), महाराष्ट्र (1994 का अधिनियम 40) और कर्नाटक (1994 का अधिनियम 23) द्वारा पारित किए गए है, या

(ग) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करके इसे निम्नलिखित रूप में नया रूप देना चाहेंगे?

"6 हित का न्यागमन–सहदायिकी संपत्ति: हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का———अधिनियम) के प्रवृत होने के पश्चात किसी हिन्दू की मृत्यु हो जाती है जिसका उसकी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में हित विद्यमान है, तो इस अधिनियम के अधीन उसके हित का न्यागमन, यथास्थिति, वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा होगा उत्तरजीविता के आधार पर नहीं —

— परन्तुक का लोप किया जाए,
— स्पष्टीकरण–1 वर्तमान की भांति ही रहेगा,
— स्पष्टीकरण—2 का लोप किया जाए, या

(घ) धारा 6 का पूर्णतया लोप कर दिया जाए और धारा 8 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोडा जाए —

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन से, किसी हिन्दू पुरुष को संपत्ति, जो अपनी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी में सहदायिक है, सहदायिकी संपत्ति में उसका वह अंश माना जाएगा जो यदि उसकी मृत्यु से तुरन्त पूर्व संपत्ति का विभाजन किए जाने पर उसे आवंटित किया जाता चाहे उसे विभाजन का दावा करने का अधिकार था या नहीं"।

21. वसीयत व्ययन का अधिकार सिद्धान्त रूप में लिंग-भेद के आधार पर विभेदकारी नहीं है परन्तु व्यवहार में इसका उपभोग महिला उत्तराधिकारियों को, विशेषतया स्थावर संपत्ति से, वंचित रखने के लिए किया जा सकता है। इस शक्ति का दुरुपयोग विधिक अधिकारियों के हित के प्रतिकूल और इस प्रकार परिवार के प्रति उनके नैतिक दायित्वों का तिरस्कार करके अवांछनीय व्यक्तियों को संपत्ति देकर भी किया जा सकता है।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन, जो हिन्दूओं के लिए भी प्रवर्तनीय है, पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही वसीयती व्ययन के निर्बाधित अधिकार प्राप्त है जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार इसे अंत्येष्टि तथा ऋण संबंधी व्ययों को निकाल कर सम्पदा के एक तिहाई भाग तक सीमित रखा गया है। बहुत से योरोपिय देशों की उत्तराधिकार प्रणालियों में भी वसीयती व्ययन की शक्ति पर विधिक उत्तराधिकारियों को उनके अधिकारों से पूर्णतया वंचित किया जाना रोकने के लिए आंशिक प्रतिबंध लगाए गए है।

क्या आप वसीयती व्ययन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाये जाने के पक्ष का समर्थन करते है?

जी हां जी नहीं

यदि उत्तर "जी हां" है तो क्या यह प्रतिबंध संपत्ति के आधे या एक तिहाई भाग के लिए होना चाहिए?

आधा एक तिहाई

22. कृपया कोई अन्य संक्षिप्त टिप्पणी करें।

अनुबंध II

विधि आयोग की प्रश्नावली का विश्लेषण

विधि आयोग की प्रश्नावली तीन भागों में विभाजित है। पहला भाग प्रत्यार्थियों के बारे में जानकारी से संबंधित है, दूसरे भाग में सहदायिकी के प्रभाव तथा उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रत्यार्थियों के विचार और अन्तिम भाग में प्रत्यार्थियों से टिप्पणियां मांगी गई है। प्रत्यार्थियों से बहुत से विकल्पों का "जी हां" या "जी नहीं" में उत्तर मांग गया था। सडसठ प्रत्यार्थियों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। तीस प्रत्यार्थी मुख्यतया विधि विभाग से संबंधित थे और शेष या तो अधिवक्ता थे या समाजविज्ञानी अथवा गैर सरकारी संगठन आदि।

उत्तर नीचे दिए जा रहे है

1. **मिताक्षरा संयुक्त परिवार को रखा जाए अथवा नहीं ?**—67 प्रत्यार्थियों में से 49 ने इसे बनाए रखने का विरोध किया है और 17 ने इसके पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है और एक प्रत्यर्थी ने कोई उत्तर नहीं दिया (प्र० 1 द्वारा)

2. **मिताक्षरा सहदायिकी को बनाए रखने के पक्ष में बताए गए कारण**—समर्थक प्रत्यार्थियों ने मुख्यतया यह कारण दिया है कि यह वित्तीय रूप से दुर्बल सदस्यों को संरक्षण और पुरुषों को बेहतर अधिकार देती है।

(प्र० 2 के भाग (ख) और (क) के अनुसार)

3. **मिताक्षरा संयुक्त परिवार का रखना नकारने के कारण**—प्रश्न तीन के अनुसार प्रत्याक्षियों से यह कहा गया था कि यदि वे मिताक्षरा प्रणाली को रखने के पक्ष में नहीं है तो निम्नलिखित में से कोई आधार बताएं—(क) परिवर्तनों से पारिवारिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; (ख) कि विधायी परिवर्तनों से सहदायिकी प्रणाली पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है; (ग) कि इससे परिवार का व्यवसाय चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा ; (घ) कि संयुक्त परिवार के आलसी सदस्य परिवार के कठोर परिश्रम करने वाले सदस्यों के हित को हानि पहुंचाकर लाभान्वित होंगे और (ङ) कि सहदायिकी प्रणाली महिलाओं के प्रति भेद-भाव करती है।

33 प्रत्यार्थियों ने भाग (ङ) के पक्ष में विचार व्यक्त किए हैं 21 ने भाग (ख) के समर्थन में, 12 ने भाग (क) और 8 ने भाग (घ) के और 29 प्रत्यार्थियों ने एक से अधिक भागों का समर्थन किया है।

4. **लिंग-विभेद को समाप्त करने के लिए उपाय**—विधि आयोग ने लिंग-विभेद को समाप्त करने के लिए प्रश्न चार में दो विकल्पों का सुझाव दिया है।

अधिकांश प्रत्यार्थियों ने अर्थात 35 ने भाग (ख) का समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि मिताक्षरा सहदायिकी रहनी चाहिए परन्तु पुत्रियों को पुत्र के समान सहदायक बनने का अधिकार देते हुए लिंग-भेद को समाप्त किया जाना चाहिए ; 22 प्रत्यार्थियों ने भाग (क) का समर्थन किया है, अर्थात जन्म से सहदायिकी अधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए।

5. **संयुक्त परिवार में पुत्री का कर्ता होना**—33 प्रत्यार्थियों ने कहा है कि मिताक्षरा संयुक्त परिवार के रहते पुत्री को संयुक्त परिवार में कर्ता बनाने का अधिकार होना चाहिए, 10 ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया है और 8 ने प्रश्न 5 का कोई उत्तर नहीं दिया है।

यह बात नोट की जा सकती है कि यह प्रश्न सीधे प्रश्न एक से संबंधित है, जिसमें 17 प्रत्यार्थियों ने मिताक्षरा प्रणाली को बनाए रखने का समर्थन किया है और 33 प्रत्यार्थियों ने संयुक्त परिवार के पुत्री के कर्ता बनने के पक्ष का समर्थन किया है यदि संयुक्त परिवार रखा जाता है।

प्रश्न सं० 6 में पुत्रियों के कर्ता बनने के अधिकार को नकारने के बारे में कई तर्क दिये गये हैं जैसे—(क) महिलाएं सम्पत्ति अथवा कृषि के प्रबन्धन में अक्षम हैं: (ख) कारोबार चलाने में भी अक्षम है: (ग) एक बार विवाहित हो जाने पर वे अपने परिवार से दूर चली जाती है : (घ) वे अपने पति तथा परिवार के सदस्यों से प्रभावित हो सकती है : (ङ) अन्य कारण।

11 प्रत्यार्थियों ने भाग (ग) का, 5 ने (घ) का समर्थन किया है और 13 ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया।

6. **विवाहित तथा अविवाहित पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान करना**—36 उत्तरों में इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है कि विवाहित पुत्रियों को सहदायिकी सम्पत्ति में खण्ड (ख) के अनुसार समान अधिकार प्राप्त होने चाहियें, 14 उत्तरों में, अधिनियम के पारित और लागू होने के समय इस अधिकार को अविवाहित पुत्रियों के पक्ष में सीमित रखते हुए खण्ड (क) को प्राथमिकता दी गई है। 8 प्रत्यार्थियों ने प्रश्न सं० 7 के अनुसार इसका कोई उत्तर नहीं दिया है।

7. **अधिनियम (पारित होने पर) किस अवधि से लागू होना चाहिए**—21 प्रत्यार्थियों ने कोई उत्तर नहीं दिया है, 10 ने भाग (क) का समर्थन किया है अर्थात् अधिनियम को इसके पारित होने के समय से पूर्व 10 से 15 वर्ष तक की अवधि से भूतलक्षी प्रभाव देने के लिये आग्रह किया है, 15 प्रत्यार्थियों ने सम्पत्ति के सद्भाव पूर्व क्रेताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिये भाग (ख) का समर्थन किया है, 12 प्रत्यार्थियों ने निहित अधिकारों को प्रभावित न करने के लिये भाग (ग) का समर्थन किया है और 11 ने प्रश्न 8 के भाग (क) का समर्थन किया है।

8. **क्या प्रस्तावित विधान द्वारा सहदायक की माता को सहदायिकी अधिकार प्रदान किया जाना चाहिये** ?— 67 प्रत्यार्थियों में से 51 स्वीकारात्मक उत्तर दिया है, 5 ने नकारात्मक और 11 ने प्रश्न 9 का कोई उत्तर नहीं दिया है।

9. आयोग ने प्रश्न सं० 10 में यह बताया है कि विभाजन अथवा विक्रय द्वारा प्रस्तावित विधान के उपबन्धों को पराजित करने के लिए प्रयास किये जा सकते हैं। **क्या प्रस्तावित विधान के अधिनियमन से पूर्व ऐसे संव्यवहारों को अवैध घोषित किया जाना चाहिये** ?

प्रत्यार्थियों से "हां" या "ना" में उत्तर देने के लिए कहा गया था। अधिकांश अर्थात् 58 प्रत्यार्थियों ने प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया, 7 ने नकारात्मक तथा 9 ने कोई उत्तर नहीं दिया।

10. कृषि हितों के व्यागमन के लिये पुत्रियों के विरुद्ध विभेदकारी विशेष नियमों को समाप्त करने को प्राथमिकता दिये जाने के प्रश्न पर अधिकांश अर्थात् 54 प्रत्यार्थियों ने प्रश्न 11 का सकारात्मक उत्तर दिया है और केवल 7 ने नकारात्मक जबकि 6 प्रत्यार्थियों ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

11. 43 प्रत्यार्थियों ने विधि में इस आशय का प्रावधान करने के लिए संशोधन करने को प्राथमिकता दी कि महिला उत्तराधिकारी भी केवल एक पैतृक-गृह होते हुए भी विभाजन की मांग करनी सकेंगी जैसा कि प्रश्न 13 के भाग (क) में उल्लिखित है। इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या विवाहित पुत्रियों को भी आवास-गृह में निवास का अधिकार दिया जाना

चाहिये? 39 प्रत्यार्थियों ने इसका समर्थन किया और 24 ने विरोध । इसके अतिरिक्त 27 प्रत्यार्थियों ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 को निकालने का समर्थन किया है और 26 ने भाग (ख) में उल्लिखित कार्यवाही का अर्थात् धारा 23 को प्रश्न 14 के बारे में हिन्दू महिला निवसीयतियों के आवास–गृह के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए और शेष ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया ।

अधिकांश अर्थात् 61 प्रत्यार्थियों ने प्रश्न 15 के अनुसार विधवा के आवास––गृह में रहने के अधिकार को विशेष संरक्षण देने के पक्ष का समर्थन किया है, 26 प्रत्यार्थियों ने प्रश्न 16 के भाग (ख) में उल्लिखित कार्यवाही को प्राथमिकता दी हैं और कहा है कि परिवार के आवास–गृह का विधवा की सहमति में बिना या आवास–गृह के विक्रय के लिए उसके सहमत हो जाने पर उसे वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराये बिना अन्य संक्रमण नहीं किया जायेगा। 29 प्रत्यार्थियों ने अमरीका, कनाडा की भांति पत्नी/विधवा को "वास––स्थान अधिकार" प्रदान करने के लिये भाग (क) को प्राथमिकता दी है, और कुछ प्रत्यार्थियों ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है ।

12. **किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर सम्पत्ति में अपना अंश दर्शाते हुए सभी उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र**––प्रश्न सं० 17 के उत्तर में अधिकांश अर्थात् 55 प्रत्यार्थियों ने सभी उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का समर्थन किया ।

"उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र" निर्गत करने के प्राधिकार के प्रश्न पर 50 प्रत्यार्थियों ने कहा कि केवल जिला "मुंसिफ न्यायालय" को ही ऐसे उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्राधिकार प्रदान किया जाना चाहिए तथा प्रश्न सं० 18 के प्रत्युत्तर में 49 प्रत्यार्थियों ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रश्न सं० 19 के अनुसार सचल न्यायालयों की स्थापना का समर्थन किया ।

13. **प्रस्तावित विधान को लाने हेतु अनुसरणीय आदर्श**––

(क) केरल आदर्श, 1976

(ख) आन्ध्र आदर्श, 1986

(ग) एच० एस० ए० की धारा–6 का संशोधन व पुनर्वसारण

(घ) धारा–6 का पूर्णतः विलोपन तथा धारा–8 में एक व्याख्या का सहयोजन।

आयोग ने इस मुख्य प्रश्न पर राय मांगी कि यदि पुत्रियों को अधिकार दिए जाने के लिए नये विधान की संस्तुति की जाये तो उसके लिए कौन से आदर्श का अनुसरण किया जाये । 67 प्रत्यार्थियों में से 23 ने "आन्ध्र प्रदेश मॉडल" का समर्थन किया, 22 ने केरल मॉडल का पक्ष लिया, 16 प्रत्यार्थियों ने भाग (ग) के अनुसार एच० एस० ए० की धारा–6 के पुनःप्रसारण का प्रश्न–20 के अनुसार–समर्थन किया ।

14. **वसीयती व्ययन के अधिकार पर रोक लगाना**––44 प्रत्यार्थियों ने वसीयती व्ययन के अधिकार पर रोक लगाने का समर्थन किया जबकि केवल 21 ने इसे अपने भाग के आधे तक सीमित करने को कहा, 22 ने $\frac{1}{3}$ भाग तक तथा 19 प्रत्यार्थियों ने प्रश्न सं० 21 के अनुसार इस प्रकार के अधिकार पर कोई रोक लगाने का पक्ष नहीं लिया ।

अन्तिम प्रश्न में प्रत्यार्थियों से टिप्पणियां आमन्त्रित की गयी कोई अन्य टिप्पणियां

1. प्रश्न सं० 22 के प्रत्युत्तर में केवल 35 प्रत्यार्थियों ने सामान्य टिप्पणियां की। उनका सामान्य दृष्टिकोण था कि हिन्दू मिताक्षरा की अवधारणा स्वीकार्य नहीं क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच विभेदकारी है । यदि महिलाओं को मिताक्षरा सहदायिकी का अंग बना दिया जाये तो यह लिंगभेद की

असमानता को विचारणीय सीमा तक कम कर सकता है । इस उद्देश्य के लिए एच०एस०ए० की धारा–6, में संसद द्वारा संशोधन किया जाना चाहिए तथा इसे संशोधित रूप में सम्पूर्ण भारत में एकरूपता सहित लागू किया जाना चाहिए ।

2. पत्नियों/विधवाओं के हितों की सुरक्षा के लिए पग उठाये जाने चाहिए ।

3. कम से कम आधी सम्पत्ति के वसीयती व्ययन के अधिकार पर रोक लागू होनी चाहिए ।

4. कतिपय प्रत्यार्थियों ने सुझाव दिया कि एक "समानरूपी नागरिक संहिता" का निर्माण किया जाए ।

प्रत्यार्थियों में से एक ने आयोग से भारतीय-सहभागिता विषय के अध्ययन के लिये कहा न कि हल्के फुल्के ढंग से वर्तमान संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली के तिरस्कार का निर्णय लेने के लिये जो कि पारस्परिक प्रेम, लगाव सद्भावना तथा भौतिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने रहने पर आधारित है । इस प्रत्यार्थी के अनुसार एच० एस० ए० की धारा–6 के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध कोई लिंग आधारित पक्षपात नहीं है । यथार्थ में महिलाओं को एच० एस० ए० की धारा–6 तथा 14 के अन्तर्गत पिता के परिवार की तथा पति के परिवार की सम्पत्तियों में उत्तराधिकार प्राप्त हैं। वह दो परिवारों की चार स्थितियों में अर्थात् उत्तराधिकार प्राप्त करती है। इसकी तुलना में पुरुष केवल एक ही परिवार से उत्तराधिकार प्राप्त करता है तथा एक ही स्थिति में अर्थात् पुत्र (या पौत्र अथवा प्रपौत्र) के रूप में । इस प्रकार पक्षपात भी महिलाओं के ही पक्ष में है ।

अनुबंध III

हिन्दू विधि के अन्तर्गत पुत्रियों के सहदायिकी अधिकार पर कार्य-पत्र

पुरातन हिन्दू समाज के अन्तर्गत स्त्री को निम्न सामाजिक स्तर की समझा जाता था तथा उसके साथ सम्पत्ति के अधिकार से विहीत पराधीन जैसा व्यवहार किया जाता था। बौद्धयान की पुस्तकों के अनुसार उत्तराधिकार की हिन्दू योजना में स्त्री का कोई स्थान नहीं था तथा महिलाएं शक्तियों से वंचित और उत्तराधिकार में अक्षम थी किन्तु विशेष पुस्तक/पाठों के आधार पर विशेषोल्लिखित महिला उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था।

"दयाभाग विधि" तथा "मिताक्षरा विधि" के बनारस और मिथिला उपविद्यालयों ने महिलाओं के पांच संबंधों विधवा, पुत्री, माता, पैतृक दादी, पैतृक परदादी को उत्तराधिकार के लिये मान्यता प्रदान की तथा मद्रास व बम्बई उपविद्यालयों ने उत्तराधिकार की स्थिति के लिये अधिकतर महिला संबंधों को मान्यता प्रदान की[1]।

कभी-कभी स्वयं विधि ने महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव किया। यह विशेष रूप से भारत में परिवार विधि, जो कि व्यक्तिगत विधि अर्थात्, वह विधि जो किसी पुरुष या महिला पर उसके धर्म के आधार पर लागू है, के क्षेत्र में सत्य है। इन व्यक्तिगत विधियों में से कुछ में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के प्रबल रूप को दर्शाया है।

ब्रिटिश शासन के दौरान समाज सुधार आन्दोलनों ने समाज में महिलाओं की स्थिति के उत्थान का प्रश्न उठाया। महिलाओं को उत्तराधिकार योजना के अन्तर्गत लाने हेतु सर्वप्रथम विधान–हिन्दू विधि उत्तराधिकार अधिनियम, 1929 बनाया गया था। इस अधिनियम ने तीन महिला उत्तराधिकारियों अर्थात्––पुत्र की पुत्री,पुत्री की पुत्रियां, तथा बहन (जिवित रहने रियम की दृष्टि की एक भी सीमा सहित) को उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया। इस कालावधि में दूसरा उल्लेखनीय विधान–महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने वाला––हिन्दू महिला को सम्पत्ति में अधिकार अधिनियम XVIII, 1937 था। इस अधिनियम से हिन्दू विधि की सभी शाखाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया और न केवल सहदायिकी विधि पर ही प्रभाव पड़ा अपितु विभाजित सम्पत्ति का अन्य संक्रामण तथा उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण संबंधी नियम भी प्रभावित हुए[2]।

1937 के इस अधिनियम ने विधवा को इस योग्य बनाया कि वह पुत्र के साथ-साथ उत्तराधिकार प्राप्त कर सके और उतना ही भाग प्राप्त कर सके जितना कि पुत्र प्राप्त करता है। विधवा सहदायक नहीं है यथापि उसे सम्पत्ति में सहदायिकी हित के समान अधिकार प्राप्त है और वह संयुक्त परिवार की सदस्य है। तथापि अधिनियम के अधीन विधवा मृतक की सम्पत्ति में भागीदारी के दावे के अधिकार के साथ सीमित सम्पदा की हकदार थी कसी पुत्री को वास्तव में उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। परन्तु दोनों अधिनियमितियों में महिलाओं के विरुद्ध विभेदकारी मूल तत्वों को अधिकांश अछूता छोड़ दिया गया तत्पश्चात इनका निरसन हो गया।

हमारे संविधान निर्माता समाज में महिलाओं की निम्नतर स्थिति से अवगत थे और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधान रहे कि राज्य महिला को समान स्तर प्रदान करने के लिये ठोस कदम उठायेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(2) और (3) और 16 न केवल महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का निषेध करते हैं अपितु उपयुक्त परिस्थितियों में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिये राज्य को स्वतन्त्रता भी प्रदान करते हैं। ये उपबंध संविधान में गारंटी दिये गये मूल अधिकारों का भाग है।

संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अन्तर्विष्ट हैं जो समान कार्य के लिये समान वेतन जैसी पुरुष और महिला के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिये राज्य के

प्रशासन में कम मूलभूत नहीं है। समान स्तर सुनिश्चित करने के लिये इन उपबन्धों के उपरान्त भी महिला कतिपय विधियों और दृष्टिकोणों के कारण दुर्भाग्यवश आज तक न केवल अपने पैतृक परिवार में उपेक्षित है अपितु उस परिवार में भी जिसमें वह विवाहित होकर जाती है।

संविधान लागू होने के पश्चात हिन्दूओं से सम्बन्धित सम्पत्ति और वसीयत के बारे में केंद्रीय स्तर पर प्रथम विधि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 बनायी गयी थी। यह अधिनियम 17 जून 1956 से प्रभावी हुआ। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में उत्तराधिकार की एक समान तथा व्यापक प्रणाली निर्धारित की गई है और यह अन्य लोगों के साथ-साथ मिताक्षरा तथा दयाभाग शाखाओं से शासित लोगों पर तथा दक्षिण भारत के कतिपय मानों के उन लोगों के लिये भी लागू होती है जो पहले हिन्दू विधि की मरुमक्कट्टायम, अलीयसन्तान तथा नम्बूदिरी शाखाओं से शासित होते थे। यह अधिनियम उन सभी पर लागू होता है जो धर्म के किसी भी स्वरूप में हिन्दू हैं या ब्रहमोपंथ या आर्य समाज या कोई बौद्ध, जैन या सिक्ख धर्म के अनुयायी हैं। वसीयती विलेख की स्थिति में यह अधिनियम लागू नहीं होगा और मृतक का हित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 से शासित होगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस अधिनियम ने हिन्दू स्वीय विधि में सुधार किया और महिलाओं को सम्पत्ति में सीमित अधिकारों के बजाय, जो उन्हें धारा 14 के अधीन अपने पतियों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, इस अधिनियम की धारा 15 और 16 के अधीन विरासत के नए अधिकारों के साथ स्वामित्व के पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए महिलाओं को अधिक संपत्ति--अधिकार प्रदान किये। पुत्रियों को अपने पिता की सम्पदा में भी सम्पत्ति--अधिकार दिये गये। हिन्दू विधि में सुधार करने और उसे व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने के प्रयासों का हिन्दूओं के रूढिवादी वर्गों द्वारा विरोध किया गया तथापि तत्कालीन प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरु ने, जो इन सुधारों के प्रति वचनबद्ध थे विरोध को नकारने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया कि हिन्दू महिलाओं की असमानता और अक्षमता को पर्याप्त रूप से दूर करने के लिये टुकड़ों में विधान लाया जाये। परिणामस्वरूप हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को प्रभावी बनाना सम्भव हुआ।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन यदि हिन्दू पुरुष की निर्वसीयत मृत्यु होती है तो उसकी पृथक या स्वअर्जित सम्पत्ति का न्यागमन उत्तराधिकारियों की श्रेणी–I में विनिर्दिष्ट उसमें पुत्रों, पुत्रियों, विधवा तथा मां के बीच समान अंशों में होगा। तथापि सहदायिकी सम्पत्ति में हित का न्यागमन धारा 6 में निर्धारित किया गया है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की सम्पत्ति सहदायकी के हित का न्यागमन से संबंधित धारा 6 कहती है––

"जब कोई हिन्दू पुरुष अपनी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति में हित रखते हुए अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् मर जाये तब उस सम्पत्ति में उसका हित समांशिता के उत्तरजीवी के सदस्यों पर उत्तरजीविता के आधार पर न्यागत होगा, इस अधिनियम के अनुसार नहीं :

परन्तु यदि मृतक अनुसूची 1 में उल्लिखित किसी नारी संबंधिनी को या उस वर्ग में उल्लिखित ऐसे पुरुष संबंधी को जो ऐसी संबंधिनी के माध्यम से दावा करता हो, अपना उत्तरजीवी छोड़ें तो मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में मृतक का हित इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति, वसीयत या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा, उत्तरजीविता द्वारा नहीं"।

स्पष्टीकरण 1:–– इस धारा के प्रयोजनों के लिये हिन्दू मिताक्षरा सहदायिकी का हित संपत्ति में अंश समझा जायेगा जो उसे बांट से मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व

संपत्ति का विभाजन किया गया होता, इस बात का विचार किये बिना कि वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं ।

स्पष्टीकरण 2:— इस धारा के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उस व्यक्ति को जिसने मृतक की मृत्यु से पूर्व सहदायिकी से अपने को पृथक कर लिया हो, उसे या उसके किन्हीं वारिसों को निर्वसीयती की दशा में अंश पाने का दावा करने के लिए योग्य बनाती है जिसके प्रति उस परन्तुक में निर्देश दिया गया है ।

(धारा 6)

उपर्युक्त प्रावधान यह दर्शाता है कि जब किसी हिन्दू पुरुष की मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में हित रखते हुए मृत्यु हो जाती है और वह अनुसूची–1 में उल्लिखित किसी नारी संबंधिनी को या उस वर्ग में उल्लिखित ऐसे पुरुष संबंधी को जो ऐसी संबंधिनी के माध्यम से दावा करता हो, अपना उत्तरजीवी छोड़े तो मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में मृतक का हित इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति, वसीयत या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा उत्तरजीविता द्वारा नहीं । ऐसा न होने पर उसके हित का न्यागमन सहदायिकी के जीवित सदस्यों की उत्तरजीविता के आधार पर होगा ।

अधिनियम में "मृतक के हित" पर विशेष बल दिया गया है और यह उपबन्ध किया गया है कि किसी हिन्दू मिताक्षरा सहदायक का हित संपत्ति में वह अंश समझा जायेगा जो उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व संपत्ति का विभाजन होने पर उसे आवंटित होता । उच्चतम न्यायालय ने **गुरुपद** बनाम **हीराबाई**[3] मामले को **राज्य** बनाम **नारायणराव**[4] मामले में अभिपुष्टि करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 पर विचार किया था और उपर्युक्त दृष्टिकोण व्यक्त किया था ।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 में ऐसे पुरुष सदस्यों की सहदायिकी की विद्यमानता की अवधारणा है, जिनका संयुक्त परिवार की संपत्ति में जन्मता हित होता है। विभाजन से पूर्व किसी भी समय यह नहीं कहा जा सकता कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसका कितना अंश है (आधा, चौथाई या तिहाई) वह यह भी नहीं कह सकता कि संपत्ति की अमुक-अमुक मदें उसकी हैं, चाहे संपत्तियां कब्जे में हों या प्रयोग की जा रही हों । जब तक विभाजन नहीं होता तब तक यह अवीक्षणीय व अनिश्चयकारी हित है जो परिवार में किसी की मृत्यु से बढ़ सकता है तथा किसी के जन्म लेने से कम हो सकता है । प्रसिद्ध न्यायशास्त्री मैने के अनुसार प्रत्येक सहदायिकी को संयुक्त परिवार की संपत्ति में संयुक्त रूप से कब्जा रखने और उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है तथा इसकी अभिव्यक्ति यह कहकर की गयी है कि यह सामुदायिक हित और कब्जे को रोकता है ।

प्रत्येक सहदायिकी को संयुक्त परिवार के कोष में से विवाह के खर्चों सहित निर्वाह का अधिकार है तथा प्रत्येक सहदायिकी कर्ता द्वारा प्रबंध के लिये किये गये तर्क संगत कार्य और संपत्ति के लाभ या विधिक आवश्यकता के लिये किये गये बाह्य संक्रामण के प्रति आबद्ध हैं। प्रत्येक सहदायिकी को उसकी सहमति अथवा विधिक आवश्यकता के बिना कर्ता द्वारा किये गये बाह्य संक्रामण पर आपत्ति करने या चुनौती देने का अधिकारी है तथा प्रत्येक सहदायिकी को विभाजन एवं उत्तरजीविता का अधिकार प्राप्त है ।[5] कोई विधवा या पुत्री अपने पति/पिता की मृत्यु पर उत्तरजीवी होने का दावा नहीं कर सकती क्योंकि वह इस अधिनियम के अधीन सहदायक मान्य नहीं है ।

महिलाओं को न केवल समानता सुनिश्चित कराने की गारंटी के उपरान्त हिन्दू महिलाओं को पत्नी/विधवा तथा पुत्रियों के रूप में प्रदान किये संपत्ति अधिकारों के क्षेत्र में अभी भी विधि में अनेक विभेदकारी तत्व विद्यमान हैं। जब किसी महिला के साथ उसके पति के परिवार, में दुर्व्यवहार किया जाता है या दहेज की मांग की जाती है तब बहुत शोर शराबा होता है ससुराल वालों द्वारा बधू की हत्या/जलाने की घटनाएं हमारे समाज में छुपी नहीं हैं।

परन्तु यह जो प्रश्न है वह उसके अपने पैतृक परिवार के सदस्यों द्वारा उसके साथ विभेदकारी व्यवहार के बारे में है। हिन्दू पद्धति में पैतृक सम्पत्ति परम्परागत रूप से पुरुष सहदायिकों के संयुक्त हिन्दू परिवार द्वारा अभिधारित की जाती है । सहदायिकी संयुक्त परिवार के अन्तर्गत व्यक्तियों का एक अपेक्षाकृत लघु निकाय है जिसमें पिता, पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र होते हैं। एक सहदायिकी में पितामह तथा प्रपौत्र, या भाई या चाचा और भतीजा आदि हो सकते हैं। इस प्रकार पैतृक सम्पत्ति पूर्ण रूप से पिता की पुरुष वंश परम्परा द्वारा शासित होती रहती है जिसमें सम्पत्ति वंश परम्परा के माध्यम से दायक होती है क्योंकि संयुक्त हिन्दू परिवार के केवल पुरुष सदस्यों का ही संयुक्त या सहदायी सम्पत्ति में जन्मता हित होता है । क्योंकि महिला सहदायक नहीं हो सकती थी इसलिए उन्हें पैतृक संपत्ति में जन्मजात किसी अंश का हक प्राप्त नहीं था । निर्वसीयती पिता की संपत्ति में किसी पुत्र का अंश उस अंश के अतिरिक्त होगा जो उसने जन्म लेने पर अर्जित किया था जबकि किसी पुत्री/माता/पत्नी का अंश उस हित में से होगा जितना कि मृतक का उसकी मृत्यु के समय सहदायिकी में था ।

पुरुष प्रधान विचारधारा की पितात्मक मान्यताएं भी निर्वसीयती मृतक हिन्दू स्त्रियों को शासित करने वाली विधि में प्रतिबिम्बित होती हैं। और वह विधि निर्वसीयत पुरुष के मरने पर शासित करने वाली विधि से भिन्न है ।[6] सम्पत्ति का न्यागमन पहले उसके बच्चों और पति को होगा; दूसरे उसके पति के उत्तराधिकारियों को; तीसरे उसके पिता के उत्तराधिकारियों को, और अन्त में उसकी माता के उत्तराधिकारियों को । धारा 15(2) के उपबन्ध यह गारंटी देने का प्रयास करते हैं कि संपत्ति पुरुष उत्तराधिकारियों के माध्यम से, जिससे वह या तो उसके पिता के परिवार में या उसके पति के परिवार में प्रत्यावर्तित हुई, विरासत में प्राप्त होती रहेगी ।

भारत में महिलाओं के स्तर संबंधी रिपोर्ट 1971–74 से पता चला है कि हिन्दू कोड बिल, 1948, प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में, सहदायिकी को अर्थात् संपत्ति में पुरुषों के जन्मसिद्ध अधिकार और दाय भाग पद्धति में उसके संपत्तिवर्तन जहां पुत्रियों को भाईयों के साथ समान अंश प्राप्त होता है क्योंकि इसमें पुत्रों को कोई जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं है, समाप्त करने का सुझाव दिया गया था । इसके अतिरिक्त पुत्री के अंश का मामला अक्सर इस आधार पर भी रद्द किया गया है कि शायद ही किसी मामले में किसी पुत्री ने परिवार के साथ सद्भाव बनाये रखने के विचार को ध्यान में रखते हुए पिता के परिवार की संपत्ति में समान का दावा किया है और ऐसे दावे को समान की स्वीकृति भी नहीं हैं।

इस प्रकार विधि द्वारा पुत्रियों को सहदायिकी स्वामित्व में भागीदारी से (केवल उनके लिंग के कारण) वंचित रखने से न केवल महिलाओं के प्रति भेदभाव में योगदान किया गया है अपितु संविधान द्वारा गारंटी किये गये उनके मूल अधिकारों का दमन किया गया है, उन्हें नकारा गया है । इस प्रकार राज्य संविधान की अपेक्षा के अनुसार उपर्युक्त विधान लाने में असफल रहा है । विधि द्वारा ही महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करते हुए विधायी व्यवस्था करके इस प्रकार के दमन को दूर किया जा सकता है । ऐसा विधान जो प्रत्यक्षतः पुरुष और महिला के बीच भेदभाव करता है, लिंग-भेद-व्यक्त बनाया जाना चाहिए । इस प्रकार इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सहदायिकी को मिताक्षरा विधि में आमूल सुधारों की आवश्यकता है जिससे कि न केवल मृतक पुरुष की पृथक या स्व-अर्जित-संपत्ति का अपितु सहदायिकी संपत्ति में उसके अविभाजित हित के अंश का समान वितरण किया जा सके । यह संपत्ति उसके पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों, विशेषकर उसके पुत्र और पुत्रियों के बीच समान रूप में विभाजित होनी चाहिये । इससे एक प्रकार से हमारे समाज में व्याप्त दहेज प्रथा जैसी बुराइयों का उन्मूलन होगा और एक पुत्री को कम से कम उसके जन्म के परिवार में सम्मान तथा गरिमापूर्ण स्तर प्राप्त हो सकेगा ।

यह संतोष की बात है कि भारत के पांच राज्यों अर्थात् केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने इस तथ्य का संज्ञान किया है कि सामाजिक न्याय की अपेक्षा के अनुसार महिला को आर्थिक तथा सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में समान समझा जाना चाहिये । परिणामत: इन राज्यों का यह विचार है कि केवल लिंग के आधार पर पुत्रियों को सहदायिकी स्वामित्व में भागीदारी से वंचित रखना अनुचित है । इसलिए इन राज्यों ने मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में परिवर्तन करते हुए सहदायिकी संपत्ति में पुत्रियों को भी जन्मसिद्ध अधिकार प्रदान किया । उन्हें पुत्रों के समान ही जन्म से अधिकार दे कर उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्तर के उन्नयन की सामाजिक आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी क्योंकि इससे ठोस उपायों द्वारा दहेज जैसी कुप्रथा का उन्मूलन किया जा सकता था । दहेज प्रथा का समकालीन भारत में एक प्रमुख सामाजिक कुरीति बन गयी थी । इस कुरीति ने हमारे समस्त देश में जड़ रूप धारण कर लिया था । इस कुरीति को रोकने के लिये पारित किया गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 निष्प्रभावी विधान प्रमाणित हुआ है ।

इन चार राज्यों द्वारा (केरल विधि भिन्न है) पारित विधि के अनुसार मिताक्षरा विधि से शासित संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी सहदायक की पुत्री पुत्र के समान ही अपने अधिकार स्वरूप सहदायक बन जाती है और उसे सहदायिकी संपत्ति में वही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो उसे जब प्राप्त होते यदि वह पुत्र होती । उसे उत्तरजीविता का दावा करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है और पुत्र के समान ही उसके दायित्व और निर्योग्यताएं भी हो जाती हैं। यह ठीक है कि विधि में यह परिवर्तन पूर्वेक्षित है और इस विधि के प्रवृत्त होने से पूर्व विवाहित पुत्रियों को विधि के क्षेत्र से बाहर रखा गया । पांच राज्यों द्वारा पारित विधानों की एक सूची नीचे दी जा रही है और विधानों को अनुबन्ध IV के रूप में संलग्न किया जा रहा है ।

(1) केरल संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1975।
(2) हिन्दू उत्तराधिकार (आन्ध्र प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1986।
(3) हिन्दू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989।
(4) हिन्दू उत्तराधिकार (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 1994।
(5) हिन्दू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 1994।

इन राज्य विधियों का एक सुधारवादी लक्षण यह है कि इनकी भाषा न्यूनाधिक एक ही प्रकार की है यद्यपि केरल माडल कुछ भिन्न है । हिन्दू कोड बिल के बारे में गठित हिन्दू समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में केरल संयुक्त परिवार प्रणाली उत्सादन अधिनियम, 1975 द्वारा मिताक्षरा के तथा मरुमक्कातायम विधिक अधीन पुरुषों का जन्मसिद्ध अधिकार समाप्त कर दिया गया। केरल अधिनियम की धारा–3 में यह प्रावधान किया गया है कि इसके प्रवर्तन के बाद से अपने पूर्वज की किसी संपत्ति में किसी प्रकार के हित के दावे का अधिकार उस पुरुष/महिला के जीवन काल के दौरान केवल इस तथ्य के आधार पर कि दावेदार उस पूर्वज के परिवार में पैदा हुआ था मान्य नहीं होगा । इस प्रकार यह पूर्वत: पूर्वेक्षित है और आन्ध्र मांडल विधान के विपरीत वर्तमान सहदायिकी संपत्ति में पुत्रियों के अधिकार की पुष्टि करने में विफल है । केरल अधिनियम की धारा 4(1) में यह प्रावधान है कि मिताक्षरा सहदायिकी के सभी सदस्य इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को संपत्ति को सामान्यिक अभिधारी के रूप में धारण करेंगे जैसे कि संपत्ति का विभाजन हो गया हो और प्रत्येक स्त्री व पुरुष भागीदार अपने-अपने अंश का पृथक-पृथक अभिधारण करेगा । इस विधान में प्रमुख कमी यह है कि यह वसीयती विलेख या अन्य किसी रूप से पुत्री के अंश को पराजित किये जाने से संरक्षण देने में विफल है ।

अन्य राज्य विधान मंडलों का दृष्टिकोण विशेष रूप से भिन्न है। उन्होंने मिताक्षरा सहदायिकी में पुत्री को सहदायिकी स्थिति प्रदान कर दी है अर्थात् उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार प्रदान कर दिया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में किये गये उपर्युक्त राज्य संशोधनों

से इस प्रकार मिताक्षरा सहदायिकी की अवधारणा ही पर्याप्त रूप से परिवर्तित हो गयी है। पुत्री के एक बार सहदायक बन जाने पर वह अपने विवाह के पश्चात् भी अपने पिता के संयुक्त परिवार की सदस्य रहती है। इससे संयुक्त परिवार की विधि में दूरगामी परिवर्तन आये हैं । आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र अधिनियमों की धारा 29(क) और कर्नाटक अधिनियम की धारा 6(क) में यह प्रावधान है कि मिताक्षरा विधि से शासित एक संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी सहदायक की पुत्री, पुत्र की भांति ही अपने अधिकार स्वरूप जन्म से ही सहदायक बन जायेगी और उसे उत्तरजीविता के आधार पर दावा करने के अधिकार सहित सहदायिकी संपत्ति में वे सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें जो उसे तब प्राप्त होते जब वह पुत्र हुई होती और संपत्ति के बारे में पुत्र के समान ही उसके दायित्व और निर्योग्यताएं भी होगी।

संशोधनकारी अधिनियमों के अधीन पुत्र के समान ही सब से बड़ी पुत्री को संयुक्त परिवार का कर्ता बनने का अधिकार होगा और इस स्थिति के अधिकार स्वरूप वह संयुक्त परिवार के प्रयोजनों के लिये आय को व्यय करने के अधिकार का प्रयोग कर सकेगी और विधिक आवश्यकता के लिये या संपदा के लाभ के लिये संयुक्त परिवार की संपत्तियों का अन्य संक्रामण भी कर सकेगी । तथापि शास्त्रीय विधि के अधीन विवाहे हो जाने पर पुत्री पैतृक परिवार की सदस्य नहीं रहती परन्तु संशोधनकारी अधिनियमों से उसकी स्थिति इस प्रकार परिवर्तित हो गयी है जो हिन्दू पैतृक विचारधारा के लिए पूर्णता भिन्न स्वभाव की है । यद्यपि उसकी वास्तविक प्रबंधक के रूप में स्थिति की मान्यता तब आंकी गयी जब माताओं ने अपने पतियों की मृत्यु के पश्चात अपने अल्प आयु पुत्रों के संरक्षक के रूप में कार्य किया था। वैधानिक रूप से उसे अधिकार दिये जाने पर वह इस स्थिति से वंचित हो गयी।

उत्तराधिकार तथा संयुक्त परिवार नामक विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में अन्तर्विष्ट है और इस विषय पर केन्द्र तथा राज्य दोनों ही विधान बना सकते हैं। यह बात भी नोट की गयी है कि उपर्युक्त पांच राज्यों में भी अपनी–अपनी अधिनियमितियां पारित की हैं और उन पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने के लिये राज्यों द्वारा अलग–अलग विधान बनाये जाने के बजाय कम से कम हिन्दू परिवार के लिये इस विषय पर लिंग भेद को न करते हुए परिवार में जन्में बच्चों को समान अधिकार प्रदान करते हुए एक समान सिविल संहिता बनाने की आवश्यकता है। हमारे सुझाव से न केवल दहेज की कुप्रथा का समाधान होगा अपितु पुत्र प्राप्ति की इच्छा का भी और इससे लघु परिवार के सिद्धान्त को प्रोत्साहन मिलेगा तथा जनसंख्या दृष्टि पर नियंत्रण होगा । तथापि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में किये गये राज्य संशोधनों से बहुत से प्रश्न उत्पन्न हुए हैं और सभी राज्यों के लिये एक समान विधि बनाये जाने से पूर्व इनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है। सर्व प्रथम संशोधन से वह पुत्री सहदायिकी संपत्ति के अधिकार से वंचित हो गयी है जिसका विवाह संशोधनकारी अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व हुआ था। सभी अधिनियमों में उपबन्ध समान है और कर्नाटक का उपबन्ध नीचे उद्धृत किया जा रहा है :

> 6(घ) "खण्ड (ख) की कोई भी बात हिन्दू उत्तराधिकार (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवर्तन से पूर्व विवाहित किसी पुत्री या संपत्ति के किसी विभाजन के के लिए लागू नहीं होगी"।

पहले से ही विवाहित पुत्री को वंचित रखने का कारण सामाजिक और यह तथ्य प्रतीत होता है कि विवाह के समय उसे दहेज दिया गया था। बहुत से मामलों में दहेज में आभूषणों के अतिरिक्त स्थावर व जंगम संपत्ति भी सम्मिलित है। परन्तु ऐसे भी बहुत से मामले हो सकते हैं जहां दहेज में कुछ भी न दिया गया हो और वहां विवाहित तथा अविवाहित पुत्री के बीच भेद करने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता । हमारे विचार में संशोधनकारी अधिनियमों के प्रवर्तन के पूर्वतन की तिथि से पूर्व विवाहित पुत्रियों को अधिकार से वंचित रखना ठीक नहीं है क्योंकि सभी पुत्रियों को समान और पुत्रों के समतुल्य समझा जाना चाहिये । सहदायिकी संपत्ति में किसी विवाहहत पुत्री को समान अधिकारों से वंचित रखने से बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां इस लाभ से वंचित रह जायेंगी ।

सविता सामवेदी बनाम भारत संघ [8] मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये निर्णय से इस विचार को समर्थन मिला है कि विवाहित तथा अविवाहित पुत्री के बीच भेद करना असंवैधानिक होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा किसी विवाहित पुत्री को मनोनीत करने के चयन पर रोक लगाने वाला परिपत्र "पूर्णतया अनुचित अतर्कसंगत और लिंग-भेद प्रेरित है और संविधान अनुच्छेद 14 के अधीन विखंडित किये जाने योग्य है"। परिपत्र में विवाहित तथा अविवाहित पुत्री के बीच किये गये भेद का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति पुच्छी ने टिप्पणी की है "विवाहित पुत्री की पात्रता अविवाहित पुत्री के समान होनी चाहिये (क्योंकि वह भी एक समय इसी स्थितियों में रही थी) ताकि वह भी लाभ का दावा कर सके ———"।

संशोधनकारी अधिनियमों की प्रस्तावना में इन अधिनियमों का उद्देश्य ठोस उपाय करके मिताक्षरा सहदयिकी में अन्तर्निहित पुत्रियों के प्रति विभेद को दूर करना तथा दहेज की कुप्रथा का उन्मूलन करना और इस प्रकार मानव समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारना बताया गया है। यह केवल एक गौण या संपार्श्विक उद्देश्य है और यह नहीं कहा जा सकता कि संशोधनकारी अधिनियमों द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वह प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के लिये तार्किक रूप से संगत है[9]।

इस प्रकार कर्नाटक अधिनियम की धारा–6-क के खंड (च) तथा अन्य तीन अधिनियमों की धारा 29क के खंड (IV) को निकाल दिया जाना चाहिये और अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य विवाहित तथा अविवाहित दोनों पुत्रियों के बीच मिताक्षरा सहदायिकी में अन्तर्निहित भेद-भाव को दूर करना होना चाहिये।

सम्पूर्ण भारत में एक विधान होने का एक अन्य कारण यह भी है कि यदि संयुक्त परिवार की संपत्ति दो राज्यों में है तो एक जो संशोधनकारी अधिनियम से शासित होती है तथा दूसरी इस प्रकार से नहीं, तो इसका परिणाम दो कर्ता होना हो सकता है एक पुत्री तथा दूसरा पुत्र। संशोधनकारी अधिनियम को लागू करने में क्षेत्र संबंधी व विधि अवस्थान सिद्धान्त संबंधी कठिनाइयां भी उत्पन्न होंगी। इस प्रकार एक सम्पूर्ण भारतीय समान रूपी सिविल संहिता की अविलम्ब अधिक आवश्यकता है।

इस बात पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक अधिनियम की धारा 6-क तथा अन्य तीन अधिनियमों की धारा 29-क का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमों, 1956 की धारा 23 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 23 में प्रावधान है कि हिन्दू निर्वसीयती की मृत्यु हो जाने पर यदि पूरे आवासगृह में संयुक्त परिवार के सदस्य ही रहते हों तो किसी महिला उत्तराधिकारी को विभाजन की मांग करने का अधिकार नहीं है जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी ऐसा करना न चाहे; तथा दूसरे इसमें पुत्री के निवास करने के अधिकार में भी यह कहते हुए कटौती की गयी है कि यदि वह स्त्री उत्तराधिकारी पुत्री है तो वह उसमें रहने की अधिकारी तभी होगी जबकि वह अविवाहित है या उसके पति द्वारा परित्यक्त अथवा पृथक कर दी गयी है या विधवा है[10]। क्या ये प्रतिबंध स्त्री सहदायकों के मामले में लागू होंगे इस बात पर ध्यान देना होगा। हमें "सहदायकों तथा सहदायिकी हितों को उनके क्षेत्र से बाहर रखते हुए "हिन्दू निर्वसीयती" तथा "उत्तराधिकारी" शब्दों की व्याख्या पर भी ध्यान केंद्रित करनाहोगा। हिन्दू उत्तराधिकारी इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन के सभिवेश के बावजूद अधिनियम की धारा 6 में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाने के उपरान्त भी अविभाजित सहदायिकी हितों के न्यागमन के नियम को रहने दिया गया है। अधिनियम के अधीन यह स्पष्ट होना चाहिये आवंटन के मामले में मांग करने का अधिकार पुरुष सहदायकों के समकक्ष हो। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 को पूर्णतः निकाल दिए जाने की आवश्यकता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि पैतृक परिवार की संपत्ति में बराबर के अधिक की मांग पुत्री द्वारा किये जाने का मुश्किल से ही कोई मामला होगा तब भी जब कि उसको दिया गया दहेज पुत्र के अंश के बराबर नहीं है। ऐसा मुख्यतः विनम्रता वह प्रेम की बलवती भावना और सामाजक

निरनुमोदन के भय के कारण होता है। आन्ध्र प्रदेश में महिलाओं के विरासतीय अधिकारों के बारे में शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों के लिये तैयार किये गये अध्ययन से इस संबंध में बहुत कुछ पता चलता है[11]। यह देखा गया कि गोदावरी जिले में 38 प्रतिशत, कृष्णा जिले में 12 प्रतिशत महिलाओं ने पारिवारिक प्रतिष्ठा के विचार को, दोनों जिलों में 27 प्रतिशत प्रत्याथियों ने संबंधियों तथा दूसरे लोगों के बीच अपमानित होने के विचार को संपत्ति में अपना सम्यक पाने के लिये न्यायालय में न जाने का कारण बताया है। मुकदमे पर आने वाली लागत, विधि की जटिल प्रक्रिया, संपत्ति में अन्तर्ग्रस्त मूल्य के सन्दर्भ में संव्यवहार का अलाभप्रद स्वरूप, प्रत्याथियों ने इसके अन्य कारण बताये। संपत्ति में समान अधिकारों के लिये महिलाओं के सीमित प्राख्यान को ध्यान में रखते हुए, यह समझना आवश्यक है कि क्या समानता अधिकांश लोगों की जागरूकता तथा अनुमति से परे केवल एक अद्भुत वस्तु के रूप में विद्यमान है जिसे असमानता की सामाजिक परम्परा में रह रहीं महिलाओं के वर्ग द्वारा नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार सामाजिक जागरूकता और लिंग समानता की अवधारण के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। समय की यह भी मांग है कि एक समान विधि अधिनियमित करके सभी के लिए समान अधिकारों के पक्ष में सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाय। विधि आयोग ने यही सुझाव दिया है और एक विधेयक प्रारूप तैयार किया है जो संलग्न किया जा रहा है।

1998 का विधेयक संख्या .....हिन्दू अधिकार अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता को मूल अधिकार उद्घोषित किया गया है;

और यह कि केवल लिंग-भेद के कारण पुत्री को सहदायिकी स्वामित्व में भागीदारी से वंचित रखना इसके विपरीत है।

और यह कि पुत्री के इस प्रकार के अपवंचन से समाज में विनाशकारी दहेज प्रथा अपनी सामाजिक कुरीतियों के साथ विकसित हुई है।

और यह कि दहेज की इस कुप्रथा का ठोस उपाय करके उन्मूलन करना होगा जिससे हिन्दू समाज में महिलाओं का स्थिति में सुधार आयेगा।

अतः भारत की संसद द्वारा भारत गणराज्य के इक्यावनवे वर्ष में यह अधिनियमित किया जाय :

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2000 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह 1998 के .....दिवस से प्रवृत्त होगा।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का.....) के आधार पर निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जायें।

6क इस अधिनियम की धारा 6 में अन्तर्विशष्ट किसी बात के होते हुए भी :—

सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार

(i) मिताक्षरा विधि से शासित संयुक्त हिन्दू परिवार में एक सहदायिक की पुत्री अपने अधिकार में जन्म से उसी प्रकार सहदायक होगी जैसे कि पुत्र और उसे

उत्तर जीविता द्वारा दावा करने के अधिकार सहित सहदायिकी में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उसे तब प्राप्त हुए होते जबकि वह पुत्र होती, और उससे संबंधित पुत्र के समान ही उसके देयताएं और निर्योग्यताएं होंगी ।

(ii) ऐसे किसी संयुक्त हिन्दू परिवार में विभाजन पर सहदायिकी संपत्ति इस प्रकार विभाजित होगी कि पुत्री को पुत्र के आवंटनीय अंश के समान ही अंश आवंटित हो ।

परन्तु यह कि किसी पूर्व मृतक पुत्र या किसी पूर्व मृतक पुत्री का वह अंश, जो उसे विभाजन के समय आवंटित होता यदि वह (पुत्र/पुत्री) विभाजन के समय जीवित होता/होती, ऐसे पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के उत्तरजीवी बच्चे को आवंटित किया जायगा ;

परंतु यह और कि किसी पूर्व मृतक पुत्र या किसी पूर्व मृतक पुत्री के पूर्व मृतक बच्चों को, आवंटनीय अंश यदि विभाजन के समय ऐसा बच्चा जीवित होता, ऐसे यथास्थिति, पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के ऐसे पूर्व मृतक बच्चे के बच्चे को आवंटित किया जाएगा :—

(iii) खण्ड (i) के उपबन्धों के आधार पर कोई हिन्दू महिला यदि संपत्ति की हकदार हो जाती है तो वह संपत्ति उसके द्वारा सहदायिक स्वामित्व के साथ अभिधारित की जाएगी और इस विधेयक में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह उस संपत्ति को इच्छा-पत्र द्वारा या किसी अन्य वसीयती विलेख द्वारा व्ययन करने के लिये सक्षम होगी ।

6(ख). मृत्यु पर उत्तरजीविता द्वारा हित का न्यागमन

जब किसी हिन्दू महिला की हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् मत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में उसका कोई हित होता है तो संपत्ति में उसके हित का न्यागमन पुरुषों की भांति ही उत्तरजीविता द्वारा सहदायिकी के उत्तरजीवी सदस्यों को होगा, इस अधिनियम के अनुसार नहीं ।

परन्तु यह कि यदि मृतक का कोई बच्चा जीवित है या पूर्व मतृक बच्चे का कोई बच्चा जीवित है तो मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में मृतक के हित का न्यागमन इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति वसीयती विलेख या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा होगा उत्तरजीविता के आधार पर नहीं ।

स्पष्टीकरण-1—इस धारा के प्रयोजन से किसी हिन्दू महिला मिताक्षरा सहदायक का हित संपत्ति में वह अंश माना जायेगा जो उसे अपनी मृत्यु से तुरन्त पूर्व, इस बात का विचार किये बिना कि वह संपत्ति के विभाजन का दावा करने की हकदार थी अथवा नहीं; यदि संपत्ति का विभाजन हुआ होता ।

इस धारा के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात का भी यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे कोई व्यक्ति जिसने, मृतक की मृत्यु से पूर्व, अपने को (स्त्री या पुरुष) सहदायिकी से पृथक कर लिया हो, या उस का (स्त्री या पुरुष) कोई उत्तराधिकारी मृतक की निर्वसीयता पर उसमें उल्लिखित हित में किसी अंश का दावा करने में समर्थ होगा ।

6(ग). कतिपय मामलों में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार

(i) जहां हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रवृत्त होने के पश्चात् किसी निर्वसीयती की किसी स्थावर संपत्ति या उसके द्वारा (स्त्री या पुरुष) स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ किये गये किसी कारोबार में किसी हित का न्यागमन धारा 6(क) या धारा 6(ख) के अधीन दो या दो से अधिक उत्तराधिकारियों को होता है और ऐसे उत्तराधिकारियों में से कोई भी एक संपत्ति या कारोबार में अपने (स्त्री

या पुरुष) हित को अन्तरित करने का प्रस्ताव करता है तो वहां दूसरे उत्तराधिकारियों को हित के प्रस्तावित अन्तरण का अर्जन करने का अधिमानी अधिकार प्राप्त होगा ।

इस धारा के अधीन मृतक की संपत्ति में हित जिस प्रतिफल के लिये अन्तरित किया जायेगा, पक्षकारों के बीच किसी करार के न होने पर, न्यायालय द्वारा इस संबंध में उसे आवेदन दिये जाने पर, निश्चित किया जायेगा और हित को अर्जित करने के लिये प्रस्ताव करने वाला यदि कोई व्यक्ति निश्चित किये गये प्रतिफल के कारण उसे अर्जित करने का इच्छुक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को सभी खर्चों का या आवेदन के प्रासंगिक खर्चों का संदाय करना होगा ।

(iii) इस अधिनियम के अधीन किसी हित को अर्जित करने का प्रस्ताव जहां दो या दो से अधिक उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाता है वहां अन्तरण के लिये वह उत्तराधिकारी अधिमानी होगा जो सर्वाधिक प्रतिफल का प्रस्ताव करता है ।

स्पष्टीकरण :— इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसके क्षेत्राधिकार की सीमाओं में स्थावर संपत्ति या किया गया कारोबार स्थित है और इसमें वह न्यायालय भी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके विनिर्दिष्ट करे ।

पाद टिप्पण

1. वीमेन एंड फिव कन्टेम्परेरी प्राब्लम्स (1994) एल० सरकार तथा बी० शिवरामैया द्वारा संम्पादित में "वीमेंस असर्शन आफ लीगल राइट्स टु ऑनराशिप ऑफ प्रापर्टी" पृष्ठ 168, राम इन्दिरा देवी
2. मेने, ट्रीटीज ऑन हिन्दू लॉ एण्ड यूसेज, 14 वां संस्करण, अल्लादी कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित (1996)
3. ए० आई० आर० 1978 सु० को० 1239
4. ए० आई० आर० 1985 सु० को 716
5. वही
6. रत्ना कपूर और ब्रेंडा कोजमैन, फेमिनिस्ट एंगेजमेन्ट्स विद ला इन इंडिया (1996)
7. बी० शिवरामैया, "कोपार्सिनरी राइटस टु डाटर्स कान्स्टीट्यूशनल एण्ड इन्टरप्रिटेशनल इशयूज (1997) 3 एस सी सी (जे), पृष्ठ 25
8. (1996) 2 एस सी सी 380
9. वही
10. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 का परन्तुक
11. डिपार्टमेंट आफ कोआपरेशन एंड एप्लाइड इकनामिक्स, आन्ध्र नर्वासिटी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, रूरल डवलपमेंट एण्ड पावर्टी, सेलेक्टिड राइटिंग्स आफ जी० पार्थसारथी 497 (1998 उपर्युक्त सं० 1 में उल्लिखित रूप में)

अनुबंध IV

केरल संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1975*

(1976 का अधिनियम 30, 1978 के अधिनियम 15 द्वारा संशोधित रूप में)

केरल राज्य में हिन्दुओं के बीच संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली का उत्सादन करने के लिए अधिनियम ।

प्रस्तावना:—केरल राज्य में हिन्दुओं के बीच संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली का उत्सादन करना समीचन है ।

अतः भारत गणराज्य के 26वें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केरल संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1975 है;

(2) इसका विस्तार, सम्पूर्ण केरल राज्य पर है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में संयुक्त हिन्दू परिवार से संपत्ति के समदाय सहित हिन्दू परिवार अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(1) मद्रास मरुमक्कट्टायम अधिनियम, 1932, त्रावनकोर नायर अधिनियम II, 1100, ट्रावनकोर इजावा अधिनियम III, 1100, नानजीनाड वेल्ला अधिनियम 1101, ट्रावनकोर क्षत्रिय अधिनियम, 1108, ट्रावनकोर कृष्णावाका मरुमक्कट्टायम अधिनियम VII, 1115, कोचीन नायर अधिनियम, XXXIX, 1113 तथा कोचीन मरुमक्कट्टायम अधिनियम XXXIII, 1113 द्वारा शासित कोई तारवाड़ु या तावाजी,

(2) मद्रास अलियसन्तान अधिनियस, 1949 द्वारा शासित कोई कुटुम्ब या कावारु,

(3) केरल नम्बूदरी अधिनियम, 1958 से शासित कोई ईलम, और

(4) मिताक्षरा विधि से शासित कोई हिन्दू परिवार ।

3. परिवार में जन्म से सम्पत्ति का अधिकार उत्पन्न नहीं होगा— इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर तथा इसके पश्चात किसी पूर्वज की सम्पत्ति में, उसके (स्त्री या पुरुष) जीवन-काल में, किसी हित का दावा करने के किसी अधिकार को केवल इस आधार पर कि दावेदार का जन्म पूर्वज के परिवार में हुआ था, किसी न्यायालय में मान्यता नहीं होगी ।

4. संयुक्त अभिधृति के स्थान पर सामान्यिक अभिधृति—

(1) मिताक्षरा विधि से शासित किसी अविभाजित हिन्दू परिवार के सभी सदस्य, जिसके पास इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को सहदायिकी सम्पत्ति है वे उस सम्पत्ति के उस दिन से सामान्यिक अभिधारी समझे जाएंगे जैसे कि उस सम्पत्ति का अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन हो गया हो और उनमें से प्रत्येक अपने-अपने अंश का उस अंश के पूर्ण स्वामी के रूप में धारण करता है ।

*उपर्युक्त अधिनियम को 10 अगस्त को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, केरल राजपत्र, असाधारण सं० 484 दिनांक 17-8-1976 ।

**अधिनियम 01-12-1976 से प्रभावी हुआ, अधिसूचना सं० 17469 लैजि०(ए)/69 लॉ दिनांक 18-11-76 का०नि०आ० 1185/76 के०जी० सं० 46 दिनांक 23-11-76 द्वारा ।

परन्तु यह कि इस उपधारा में किसी भी बात से सहदायिकी सम्पत्ति से भरण-पोषण या विवाह या अन्त्येष्टि व्यय या निवास करने के अविभाजित हिन्दू परिवार के किसी सदस्य के उन व्यक्तियों को छोड़कर जो अपने अंश को पृथक रूप से धारण करने के हकदार हो गए है, किसी अधिकार पर, यदि कोई है, और यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता तो ऐसे अधिकार को प्रवर्तित किया जा सकता था, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) संयुक्त हिन्दू परिवार के सभी सदस्य, उपधारा (1) में उल्लिखित अविभाजित हिन्दू परिवार के अतिरिक्त, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को यदि संयुक्त परिवार की कोई सम्पत्ति धारण करते है तो उन्हें उस दिन से सामान्यिक अभिधारी समझा जाएगा, जैसे कि उपर्युक्त दिवस को जीवित सभी सदस्यों के बीच ऐसी संपत्ति का प्रति व्यक्ति विभाजन हो गया हैं, चाहे ऐसे सदस्य उनके लिए लागू विधि के अधीन वे ऐसे विभाजन का दावा करने के हकदार थे या नहीं, और जैसे कि इन सदस्यों में से प्रत्येक (पुरुष या महिला) अपने अपने अंश को उसके पूर्ण स्वामित्व के रूप में धारण कर रहा है ।

टिप्पण

इस अधिनियम के परिणामस्वरूप मरुमक्कट्टायम तारवाड़ु संयुक्त परिवार प्रणाली समाप्त हो गई है और इसके पश्चात संयुक्त परिवार की सम्पत्तियां संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा सामान्यिक अभिधारियों के रूप में अभिधारित की जाएगी जैसाकि संपत्तियों का विभाजन हो गया हो ।[1]

यदि प्रथा के अधीन कोई महिला विभाजन की मांग करने की अधिकारी है, या उसे उसके भरण-पोषण के अधिकार या विवाह व्यय के बदले में सम्पत्ति में एक अंश दे दिया जाता है, वह केवल तभी संपत्ति में अंश की अधिकारी होगी ।[2] जहां किसी निर्धारिती उसकी पत्नि और पुत्र से गठित परिवार में इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने से पूर्व विभाजन हो गया है, वहां यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्धारिती द्वारा अभिधारित संपत्ति उसकी निजी संपत्ति समझी जाएगी और उसकी पत्नि का उस संपत्ति में कोई अंश नहीं होगा । इसलिए, निर्धारिती को संपत्ति से होने वाली समस्त आयु का उसकी निजी आय के रूप में निर्धारण होगा ।[3]

संयुक्त परिवार उत्सादन अधिनियम, 1975 पारित होने के पश्चात, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 17, 18-06-1956 को (हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि को) जीवित व्यक्तियों तथा संयुक्त परिवार उत्सादन अधिनियम के 01-12-1976 को पारित हो जाने के पश्चात जिनकी मृत्यु हो गई उन व्यक्तियों के बारे में निष्प्रभावी नहीं हो जाती है । यह धारा 18-6-1956 को या इस तिथि को या इसके पश्चात जिनकी मृत्यु हो गई, व्यक्तियों के बारे में भी निष्प्रभावी नहीं होती है ।

5. हिन्दू पुत्र के पुनीत कर्तव्य के नियम को निराकृत किया गया :—

(1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात कोई भी न्यायालय, उपधारा (2) में उपबंधित के सिवाय, किसी पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध उसके पिता, पितामह या प्रतिपितामह पर किसी देय ऋण की वसूली के लिए कार्यवाही करने के किसी अधिकार को या ऐसे किसी ऋण के बारे में या उसकी पूर्ति के लिए संपत्ति के किसी अन्य संक्रामण को, हिन्दू विधि के अधीन ऋण की अदायगी के लिए पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के पुनीत कर्तव्य को मान्यता नहीं देगा ।

(2) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व ऋण संबंधी किसी करार के मामले में, उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात से निम्नलिखित प्रभावित नहीं होंगे :—

(क) यथास्थिति, किसी पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध ऋणदाता द्वारा कार्यवाही करने का अधिकार, या

(ख) ऐसे किसी ऋण के बारे में या ऋण की तुष्टि में किया गया कोई अन्य संक्रमण, और पुनीत कर्तव्य के नियम के अधीन ऐसा कोई अधिकार या अन्य संक्रमण उसी रूप में और उसी सीमा तक प्रवर्तनीय होता यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता ।

स्पष्टीकरण––उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए "पुत्र", और "पौत्र", और "प्रपौत्र" नामक अभिव्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व जन्मे या दत्तक, यथास्थिति, पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के लिए संदर्भित समझी जाएगी ।

इस धारा में "हिन्दू विधि" का अर्थ मुरुमक्काट्टायम विधि सहित, जो हिन्दू विधि का ही भाग है, व्यापक अर्थ में समझा जाएगा ।

6. अधिनियम पूर्व संविदा किए गए ऋणों के लिए संयुक्त परिवार के सदस्यों का दायित्व प्रभावित नहीं हुआ––

जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व संविदा द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों को परिवार के, यथास्थिति, करनवार, यजमान, प्रबंधक या कर्ता द्वारा ऋण के लिए आबद्धकर बनाया गया है वहां इसमें अन्तर्विष्ट किसी भी बात से ऐसे किसी ऋण के उन्मोचन के लिए परिवार के किसी सदस्य का दायित्व प्रभावित नहीं होगा और ऐसे किसी दायित्व का सभी या किसी सदस्य के विरुद्ध फिर से उसी रूप में और उसी सीमा तक प्रवर्तन किया जा सकेगा जैसाकि वह तब प्रवर्तनीय होता जब यह अधिनियम पारित न हुआ होता ।

7. निरसन––

(1) इस अधिनियम अन्यथा स्पष्ट रूप में उपबंधित के सिवाय, हिन्दू विधि का कोई भी पाठ, नियम या निर्वचन या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तुरन्त पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के भाग के रूप में प्रचलित कोई रुढ़ियां प्रथा ऐसे किसी मामले के संबंध में प्रभावी नहीं होगी जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है ।

(2) अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जहां तक वे समस्त केरल राज्य या उसके किसी भाग पर लागू होते है, इसके द्वारा निरसित हो जाते हैं ।

8. 1124 की उद्घोषणा IX तथा 1961 का अधिनियम XVI प्रभावी रहेंगे––

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, महाराजा कोचीन द्वारा प्रस्थापित 29 जून 1949 की उद्घोषणा (1124 की IX), वालियम्मा थम्पूरन कोविलाकम एस्टेट एण्ड पैलेस फंड (पार्टिशन) एण्ड एक्ट द्वारा संशोधित रूप में, केरल संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1978 और वालियम्मा थम्पूरन कोविलाकम एस्टेट एण्ड पैलेस फंड (पार्टिशन)[5] 1961 (1961 का 16), उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित रूप में, प्रभावी रहेंगे और उक्त उद्घोषणा की धारा 3 के अधीन विक्रय किए गए न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित वालियम्मा थम्पूरन कोविलाकम एस्टेट एण्ड पैलेस फंड के लिए लागू होंगे ।

अनुसूची

देखें धारा 7(2)

निरसित अधिनियम

(1) मद्रास मुरुमक्काट्टायम अधिनियम, 1932 (1933 का XXII);

(2) मद्रास आलियसन्तान अधिनियम, 1949 (1949 का IX);

(3) ट्रावनकोर नायर 1100 का अधिनियम II;

(4) ट्रावनकोर एजावा अधिनियम, 1100 का III;

(5) नानजीनाड वल्लाल अधिनियम, 1101 (1101 का IV);

(6) त्रावनकोर क्षत्रिय अधिनियम, 1108 (1108 का VII);

(7) त्रावनकोर कृष्णवका मुरुयक्काथायी अधिनियम, (1115 का VII);

(8) कोचीन थिय्या अधिनियम, 1107 का VII;

(9) कोचीन मक्काथायम थिय्या अधिनियम, 1115 का XVII;

(10) कोचीन नायर अधिनियम, 1113 का XXIX;

(11) कोचीन मरुमक्काथायम अधिनियम, 1113 का XXXIII;

(12) केरल नम्बूदरी अधिनियम, 1958 (1958 का 27) ।

पाद टिप्पण

1. डब्ल्यू० टी० ओ० बनाम माधवन नाम्बियार (के) (1988) 169 आई० टी० आर, सी० डब्ल्यू० टी० बनाम पदमानाभन (पी०एम०) (1989) 179 आई०टी०आर० 243

2. सी०डब्ल्यू०टी० बनाम पदमानाभन (1989) 179 आई०टी०आर० 243

3. डिप्टी ए०ए०ओ०आई०टी० बनाम चिदम्बरम (आर०एस०) (1994) 209 आई०टी० आर० 531 (केरल) सुरजीत लाल छाबडा बनाम सी० आई०टी० (1975) 101 आई०टी० आर० 776 (सु०को०) 1976(2) एस०सी०आर० 164, कृष्ण प्रसाद (सी) बनाम सी० आई०टी० (1974) 97 आई०टी०आर० 493 (सी), नरेन्द्र नाथ (एन०बी०) बनाम सी० डब्ल्यू०टी० (1969) 74 आई०टी० आर० 190 (सु०को०), 1970 सु०को० 14, गोवली भुड्डाना बनाम सी० आई०टी० (1966) 60 आई०टी०आर० 293 सु०को० ।

4. चेलय्या बनाम नारायण 1993 केरल 146 (एफ०बी०)

5. वेलियम्मा थम्पूरन कोविलाकम एस्टेट एण्ड पैलेस फण्ड (पार्टिशन) की धारा 8 द्वारा और केरल संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली (उत्सादन) संशोधन अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम 15) केरल संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1975 (1976 का अधिनियम) की धारा के पश्चात धारा 8 अन्तः स्थापित की गई और सदैव अन्तःस्थापित समझी जाएगी ।

आन्ध्रप्रदेश विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम पर, जो राज्यपाल द्वारा 10 अक्तूबर, 1985 को विचारार्थ तथा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा गया, इसे 16 मई, 1986 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और यह अनुमति एतद्द्वारा सर्वप्रथम 22 मई, 1986 को सामान्य जानकारी के लिए, आन्ध्रप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित हुई ।

1986 का अधिनियम 13

आन्ध्रप्रदेश राज्य में लागू करने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता की मूल अधिकार के रूप में उद्घोषणा की गई है,

और यह कि केवल लिंग भेद के कारण पुत्रियों को सहदायिकी स्वामित्व में भागीदारी से वंचित रखना इसके विपरीत है,

और यह कि पुत्री को इस प्रकार वंचित रखने के परिणामस्वरूप अपनी सामाजिक कुरीतियों के साथ समाज में अनिष्टकर दहेज प्रथा का जन्म हुआ है ।

और यह कि दहेज की इस विनाशकारी प्रणाली का ठोस उपाय करके उन्मूलन करना होगा जिससे हिन्दू समाज में महिलाओं की स्थिति के सुधार होगा,

अतः भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में आन्ध्रप्रदेश राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिन्दू उत्तराधिकार (आन्ध्रप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1986 है,

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण आन्ध्रप्रदेश राज्य पर है,

(3) यह 5 सितम्बर, 1985 से प्रवृत्त समझा जाएगा ।

केन्द्रीय अधिनियम, 1956 का 30 में नए अध्याय II-क का अन्तः स्थापन

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में यहां इसके पश्चात इस अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट अध्याय–II के पश्चात निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

अध्याय II-क

उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार

सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्री को समान अधिकार

(i) मिताक्षरा विधि से शासित संयुक्त परिवार में सहदायक की पुत्री जन्म से ही पुत्र की ही भांति अपने अधिकार स्वरूप सहदायक बन जाएगी और उसके, उत्तरजीविता द्वारा दावे के अधिकार सहित, सहदायिकी सम्पत्ति में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त होते जब वह पुत्र हुई होती और सम्पत्ति के बारे में पुत्र के समान ही उसके दायित्व और निर्योग्यताएं भी होंगी,

(ii) ऐसे किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के सहदायिकी सम्पत्ति का विभाजन इस प्रकार होगा कि पुत्र को आवंटनीय अंश के समान ही पुत्री को भी अंश का आवंटन किया जाएगा ।

परन्तु यह कि पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री को विभाजन के समय, यदि वह पुत्र या पुत्री विभाजन के समय जीवित होता/होती, जो अंश मिलता वह अंश ऐसे पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के उत्तरजीवी बच्चे को आवंटित किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि किसी पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के बच्चे को आवंटनीय अंश, यदि ऐसा बच्चा विभाजन के समय जीवित होता, यथास्थिति, पूर्व मृतक पुत्र या पुत्री के पूर्व मृतक बच्चे के बच्चे को आवंटित किया जाएगा ।

(iii) कोई सम्पत्ति जिसे कोई हिन्दू महिला खण्ड-1 के उपबंधों के परिणामस्वरूप पाने की हकदार हो जाती है वह उसे सहदायिकी स्वामित्व के साथ अभिधारित कर सकेगी और वह, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, उस सम्पत्ति का इच्छा-पत्र द्वारा या वसीयती विलेख द्वारा व्ययन कर सकेगी,

(iv) खण्ड–II का कोई उपबंध विभाजन पूर्व विवाहित पुत्री के लिए या हिन्दू उत्तराधिकार (आन्ध्रप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रारम्भ होने से पूर्व हुए विभाजन के लिए लागू नहीं होगा ।

मृत्यु पर हित का न्यागमन उत्तरजीविता द्वारा होगा

29–ख जब किसी हिन्दू महिला की हिन्दू उत्तराधिकार (आन्ध्रप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रारम्भ होने के पश्चात मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति में उसका हित होता है तब उसके हित का न्यागमन सहदायिकी के उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा होगा इस अधिनियम के अनुसार नहीं ।

परन्तु यह कि यदि मृतक का कोई बच्चा या पूर्व मृतक बच्चे का बच्चा जीवित है, तब मिताक्षरा सहदायिकी में मृतक के हित का न्यागमन इस अधिनियम के, यथास्थिति, अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा होगा उत्तरजीविता द्वारा नहीं ।

स्पष्टीकरण I:—इस धारा के प्रयोजनों से किसी हिन्दू महिला मिताक्षरा सहदायक का हित संपत्ति में वह अंश समझा जाएगा जो उसे उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व तब प्राप्त होता, जब सम्पत्ति का विभाजन हुआ होता । इस बात का ध्यान रखे बिना कि वह विभाजन का दावा करने की हकदार थी या नहीं ।

स्पष्टीकरण II:—इस धारा के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि कोई व्यक्ति जिसने मृतक की मृत्यु से पूर्व अपने को (स्त्री या पुरुष) सहदायिकी से पृथक कर लिया हो या उसका कोई उत्तराधिकारी निर्वसीयतता पर उसमें निर्दिष्ट किसी हित का दावा करने में सक्षम होगा ।

29–ग कतिपय मामलों में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार

(1) जहाँ, हिन्दू उत्तराधिकार (आन्ध्रप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के पश्चात, किसी निर्वसीयती की किसी स्थावर सम्पत्ति में या उसके द्वारा (स्त्री या पुरुष) किए गए, पूर्णतय स्वयं या किसी के साथ, किसी कारोबार में किसी हित का न्यागमन धारा 29-क या धारा 29-ख के अधीन दो या अधिक उत्तराधिकारियों को होता है और उनमें से कोई उत्तराधिकारी संपत्ति या कारोबार में अपने हित को अन्तरित करना चाहता है वहाँ दूसरे उत्तराधिकारियों को प्रस्तावित अन्तरण वाले हित को अर्जित करने का अधिमानी अधिकार होगा ।

(2) इस धारा के अधीन मृतक की सम्पत्ति का कोई हित जिस प्रतिफल पर अन्तरित किया जाएगा वह, पक्षकारों के बीच कोई करार न होने पर, न्यायालय द्वारा, इस संबंध में उसे आवेदन दिए जाने पर, निश्चित किया जाएगा और यदि हित को अर्जित करने का प्रस्ताव करने

वाला व्यक्ति निश्चित किए गए प्रतिफल पर उसे अर्जित करने का इच्छुक न हो, तो ऐसे व्यक्ति को समस्त खर्चों या आवेदन से संबंधित आनुषंगिक खर्चों का वहन करना होगा ।

(3) यदि इस धारा के अधीन किसी हित को दो या अधिक उत्तराधिकारी अर्जित करने का प्रस्ताव करते हैं तो अन्तरण के लिए अधिकतम प्रतिफल का प्रस्ताव करने वाले उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण:— इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसके क्षेत्राधिकार की सीमाओं में स्थावर संपत्ति या किया गया कारोबार स्थित है और इसमें ऐसा अन्य न्यायालय भी सम्मिलित होगा जो राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

तमिलनाडु अधिनियम तथा अध्यादेश

तमिलनाडु विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम को 15 जनवरी, 1990 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और इसे एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

1990 का अधिनियम 1

तमिलनाडु राज्य में लागू करने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए अधिनियम,

भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता की मूल अधिकार के रूप में उद्घोषणा की गई है,

और यह कि केवल लिंग भेद के कारण पुत्रियों को सहदायिकी स्वामित्व में भागीदारी से वंचित रखना इसके विपरीत है,

और यह कि पुत्री को इस प्रकार वंचित रखने के परिणामस्वरूप अपनी सामाजिक कुरीतियों के साथ समाज में अनिष्टकर दहेज प्रथा का जन्म हुआ है।

और यह कि दहेज की इस विनाशकारी प्रणाली का ठोस उपाय करके उन्मूलन करना होगा जिससे हिन्दू समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा,

अतः भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में तमिलनाडु राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिन्दू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 है,

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य पर है,

(3) यह 25 मार्च, 1989 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

2. नए अध्याय II-क का अन्तःस्थापन

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में (यहां इसके पश्चात मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) अध्याय–II के पश्चात निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

अध्याय II-क

उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार

सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्री को समान अधिकार

29 क—इस अधिनियम की धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(i) मिताक्षरा विधि से शासित संयुक्त परिवार में, सहदायक की पुत्री जन्म से ही पुत्र की ही भांति अपने अधिकार स्वरूप सहदायक बन जाएगी और उसके, उत्तरजीविता द्वारा दावे के अधिकार सहित, सहदायिकी सम्पत्ति में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे

जो उसे तब प्राप्त होते जब वह पुत्र हुई होती और सम्पत्ति के बारे में पुत्र के समान ही उसके दायित्व और निर्योग्यताएं भी होंगी,

(ii) ऐसे किसी संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति का विभाजन इस प्रकार होगा कि पुत्र को आवंटनीय अंश के समान ही पुत्री को भी अंश का आवंटन किया जाएगा :

परन्तु यह कि पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री को विभाजन के समय, यदि वह पुत्र या पुत्री विभाजन के समय जीवित होता/होती, जो अंश मिलता वह अंश ऐसे पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के उत्तरजीवी बच्चे को आवंटित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के बच्चे को आवंटनीय अंश, यदि ऐसा बच्चा विभाजन के समय जीवित होता, यथास्थिति, पूर्व मृतक पुत्र या पुत्री के पूर्व मृतक बच्चे के बच्चे को आवंटित किया जाएगा।

(iii) कोई सम्पत्ति जिसे कोई हिन्दू महिला खण्ड–I के उपबंधों के परिणामस्वरूप पाने की हकदार हो जाती है वह उसे सहदायिकी स्वामित्व के साथ अभिधारित कर सकेगी और वह, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, उस सम्पत्ति का इच्छा-पत्र द्वारा या वसीयती विलेख द्वारा व्ययन कर सकेगी,

(iv) खण्ड–II का कोई उपबंध विभाजन पूर्व विवाहित पुत्री के लिए या हिन्दू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ होने से पूर्व हुए विभाजन के लिए लागू नहीं होगा।

(v) खण्ड (II) में उपबंधित कोई बात ऐसे किसी विभाजन के बारे में लागू नहीं होगी जो हिन्दू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, के प्रवर्तन की तिथि से पूर्व प्रभावी हुआ है।

मृत्यु पर हित का न्यागमन उत्तरजीविता द्वारा होगा

29–ख. जब किसी हिन्दू महिला की हिन्दू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ होने के पश्चात मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति में उसका हित होता है तब उसके हित का न्यागमन सहदायिकी के उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा होगा इस अधिनियम के अनुसार नहीं :

परन्तु यह कि यदि मृतक का कोई बच्चा या पूर्व मृतक बच्चे का बच्चा जीवित है, तब मिताक्षरा सहदायिकी में मृतक के हित का न्यागमन, इस अधिनियम के यथास्थिति, अधीन, वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा होगा उत्तरजीविता द्वारा नहीं।

स्पष्टीकरण–I इस धारा के प्रयोजनों से किसी हिन्दू महिला मिताक्षरा सहदायक का हित संपत्ति में वह अंश समझा जाएगा जो उसे उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व तब प्राप्त होता, जब सम्पति का विभाजन हुआ होता। इस बात का ध्यान रखे बिना कि वह विभाजन का दावा करने की हकदार थी या नहीं।

स्पष्टीकरण–II इस धारा के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि कोई व्यक्ति जिसने मृतक की मृत्यु से पूर्व अपने को (स्त्री या पुरुष) सहदायिकी से पृथक कर लिया हो या उसका कोई उत्तराधिकारी निर्वसीयतता पर उसमें निर्दिष्ट किसी हित का दावा करने में सक्षम होगा।

29–ग कतिपय मामलों में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार

(1) जहां, हिन्दू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के पश्चात, किसी निर्वसीयती की किसी स्थावर सम्पत्ति में या उसके द्वारा (स्त्री या पुरुष)

किए गए, पूर्णतया स्वयं या किसी के साथ, किसी कारोबार में किसी हित का न्यागमन धारा 29–क या धारा 29–ख के अधीन दो या अधिक उत्तराधिकारियों को होता है और उनमें से कोई उत्तराधिकारी संपत्ति या कारोबार में अपने हित को अन्तरित करना चाहता है वहां दूसरे उत्तराधिकारियों को प्रस्तावित अन्तरण वाले हित को अर्जित करने का अधिमानी अधिकार होगा।

(2) इस धारा के अधीन मृतक की सम्पत्ति का कोई हित जिस प्रतिफल पर अन्तरित किया जाएगा, वह, पक्षकारों के बीच कोई करार न होने पर, न्यायालय द्वारा, इस संबंध में उसे आवेदन दिए जाने पर, निश्चित किया जाएगा और यदि हित को अर्जित करने का प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति निश्चित किए गए प्रतिफल पर उसे अर्जित करने का इच्छुक न हो तो ऐसे व्यक्ति को समस्त खर्चों या आवेदन से संबंधित आनुषंगिक खर्चों का वहन करना होगा।

(3) यदि इस धारा के अधीन किसी हित को दो या अधिक उत्तराधिकारी अर्जित करने का प्रस्ताव करते है तो अन्तरण के लिए अधिकतम प्रतिफल का प्रस्ताव करने वाले उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्पष्टीकरण:–इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसके क्षेत्राधिकार की सीमाओं में स्थावर संपत्ति या किया गया कारोबार स्थित है और इसमें ऐसा अन्य न्यायालय भी सम्मिलित होगा जो राज्य सरकार, तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

3. कतिपय विभाजन अकृत तथा शून्य होंगे

मूल अधिनियम में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां 25 मार्च 1989, को या इसके पश्चात और तमिलनाडु सरकार राजपत्र में इस अधिनियम के प्रकाशन की तिथि से पूर्व संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति का कोई विभाजन हुआ है और यह विभाजन मूल अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा संशोधित रूप में, के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, वहां ऐसा विभाजन अकृत तथा शून्य होगा और सदैव अकृत तथा शून्य रहेगा।

हिन्दू उत्तराधिकार (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 1990[1]

[1994 का कर्नाटक अधिनियम सं॰ 24]

कर्नाटक राज्य में लागू करने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए अधिनियम—

भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता की मूल अधिकार के रूप में उद्घोषणा की गई है,

और यह कि केवल लिंग भेद के कारण पुत्रियों को सहदायिकी स्वामित्व में भागीदारी से वंचित रखना इसके विपरीत है;

और यह कि दहेज की इस विनाशकारी प्रणाली का ठोस उपाय करके उन्मूलन करना होगा जिससे हिन्दू समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा,

अतः भारत गणराज्य के इक्तालीसवें वर्ष में कर्नाटक राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिन्दू उत्तराधिकमार (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 1990 है)

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

केन्द्रीय अधिनियम, 1956 का 30 में नई धाराओं का अन्तःस्थापन

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम, 1956 का 30) में धारा 6 के पश्चात निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"6क- सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्री को समान अधिकार : इस अधिनियम की धारा 6 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) मिताक्षरा विधि से शासित संयुक्त परिवार में, सहदायक की पुत्री जन्म से ही पुत्र की ही भांति अपने अधिकार स्वरूप सहदायक बन जाएगी और उसके, उत्तरजीविता द्वारा के अधिकार सहित, सहदायिकी सम्पत्ति में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त होते जब वह पुत्र हुई होती और सम्पत्ति के बारे में पुत्र के समान ही उसके दायित्व और निर्योग्यताएं भी होंगी,

(ख) ऐसे किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के सहदायिकी सम्पत्ति का विभाजन इस प्रकार होगा कि पुत्र को आवंटनीय अंश के समान ही पुत्री को भी अंश का आवंटन किया जाएगा।

परन्तु यह कि पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री को विभाजन के समय, यदि वह पुत्र या पुत्री विभाजन के समय जीवित होता/होती, जो अंश मिलता वह अंश ऐसे पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के उत्तरजीवी बच्चे को आवंटित किया जाएगा।

[1] 28 जुलाई, 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की तथा कर्नाटक असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया।

परन्तु यह और कि किसी पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के बच्चे को आवंटनीय अंश, यदि ऐसा बच्चा विभाजन के समय जीवित होता, यथास्थिति, पूर्व मृतक पुत्र या पुत्री के पूर्व मृतक बच्चे के बच्चे को आवंटित किया जाएगा।

(ग) कोई सम्पत्ति जिसे कोई हिन्दू महिला खण्ड-(क) के उपबंधों के परिणामस्वरूप पाने की हकदार हो जाती है वह उसे सहदायिकी स्वामित्व के साथ अभिधारित कर सकेगी और वह, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, उस सम्पत्ति का इच्छा-पत्र द्वारा या वसीयती विलेख द्वारा व्ययन कर सकेगी,

(घ) खण्ड-(ख) का कोई उपबंध विभाजन पर्व विवाहित पुत्री के लिए या हिन्दू उत्तराधिकार (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारम्भ होने से पूर्व हुए विभाजन के लिए लागू नहीं होगा।

6-ख मृत्यु पर हित का न्यागमन उत्तरजीविता द्वारा होगा

जब किसी हिन्दू महिला की हिन्दू उत्तराधिकार (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारम्भ होने के पश्चात मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति में उसका हित होता है तब उसके हित का न्यागमन सहदायिकी के उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा होगा इस अधिनियम के अनुसार नहीं।

परन्तु यह कि यदि मृतक का कोई बच्चा या पूर्व मृतक बच्चे का बच्चा जीवित है, तब मिताक्षरा सहदायिकी में मृतक के हित का न्यागमन, इस अधिनियम के यथास्थिति, अधीन, वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा होगा उत्तरजीविता द्वारा नहीं।

स्पष्टीकरण—(1) इस धारा के प्रयोजनों से किसी हिन्दू महिला मिताक्षरा सहदायक का हित संपत्ति में वह अंश समझा जाएगा जो उसे उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व तब प्राप्त होता, जब सम्पत्ति का विभाजन हुआ होता। इस बात का ध्यान रखे बिना कि वह विभाजन का दावा करने की हकदार थी या नहीं।

स्पष्टीकरण—(2) इस धारा के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि कोई व्यक्ति जिसने मृतक की मृत्यु से पूर्व अपने को (स्त्री या पुरुष) सहदायिकी से पृथक कर लिया हो या उसका कोई उत्तराधिकारी निर्वसीयतता पर उसमें निर्दिष्ट किसी हित का दावा करने में सक्षम होगा।

6-ग कतिपय मामलों में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार

(1) जहां, हिन्दू उत्तराधिकार (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रवर्तन के पश्चात् किसी निर्वसीयती की किसी स्थावर सम्पत्ति में या उसके द्वारा (स्त्री या पुरुष) किए गए पूर्णतय स्वयं या किसी के साथ किसी कारोबार में किसी हित का न्यागमन धारा 6-क या धारा 6-ख के अधीन दो या अधिक उत्तराधिकारियों को होता है और उनमें से कोई उत्तराधिकारी संपत्ति या कारोबार में अपने हित को अन्तरित करना चाहता है वहां दूसरे उत्तराधिकारियों को प्रस्तावित अन्तरण वाले हित को अर्जित करने का अधिमानी अधिकार होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन मृतक की सम्पत्ति का कोई हित जिस प्रतिफल पर अन्तरित किया जाएगा, वह, पक्षकारों के बीच कोई करार न होने पर, न्यायालय द्वारा, इस संबंध में उसे आवेदन दिए जाने पर, निश्चित किया जाएगा और यदि हित को अर्जित करने का प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति निश्चित किए गए प्रतिफल पर उसे अर्जित करने का इच्छुक न हो, तो ऐसे व्यक्ति को समस्त खर्चों या आवेदन से संबंधित आनुषंगिक खर्चों का वहन करना होगा।

(3) यदि इस धारा के अधीन किसी हित को दो या अधिक उत्तराधिकारी अर्जित करने का प्रस्ताव करते हैं तो अन्तरण के लिए अधिकतम प्रतिफल का प्रस्ताव करने वाले उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्पष्टीकरण:—इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसके क्षेत्राधिकार की सीमाओं में स्थावर संपत्ति या किया गया कारोबार स्थित है और इसमें ऐसा अन्य न्यायालय भी सम्मिलित होगा जो राज्य सरकार, कर्नाटक सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिट करे"।

[1994 का महाराष्ट्र अधिनियम सं० 40]

महाराष्ट्र राज्य में लागू करने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए अधिनियम,

भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता की मूल अधिकार के रूप में उद्घोषणा की गई है,

और यह कि केवल लिंग भेद के कारण पुत्रियों को सहदायिकी स्वामित्व में भागीदारी से वंचित रखना संवैधानिक उपबंधों के विपरीत है,

और यह कि दहेज की इस विनाशकारी प्रणाली का ठोस उपाय करके उन्मूलन करना होगा जिससे हिन्दू समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा,

और यह कि महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के कल्याण को प्रोत्साहन देने के विचार से हाल ही में अपनी नीति की उद्घोषणा की है,

और यह कि महिलाओं के लिए उक्त नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, मिताक्षरा विधि से शासित संयुक्त हिन्दू परिवार में एक सहदायक की पुत्री को सहदायिकी अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है,

और यह कि उक्त प्रयोजन से महाराष्ट्र राज्य में लागू करने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में और संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिन्दू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 1994 है,

(2) यह 22 जून, 1994 को प्रवृत्त समझा जाएगा।

1956 के अधिनियम 30 में नए अध्याय II-क का अन्तःस्थापन

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 के पश्चात् महाराष्ट्र राज्य में लागू करने के लिए (यहां इसके पश्चात् "मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट") निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अध्याय II—क

उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार

"**29-क सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्री को समान अधिकार**—इस अधिनियम की धारा 6 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(i) मिताक्षरा विधि से शासित संयुक्त परिवार में, सहदायक की पुत्री जन्म से ही पुत्र की ही भांति अपने अधिकार स्वरूप सहदायक बन जाएगी और उसके, उत्तरजीविता द्वारा

दावे के अधिकार सहित, सहदायिकी सम्पत्ति में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त होते जब वह पुत्र हुई होती और सम्पत्ति के बारे में पुत्र के समान ही उसके दायित्व और निर्योग्यताएं भी होंगी,

(ii) खण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी ऐसे संयुक्त हिन्दू परिवार के सहदायिकी सम्पत्ति का विभाजन इस प्रकार होगा कि पुत्र को आवंटनीय अंश के समान ही पुत्री को भी अंश का आवंटन किया जाएगा :

परन्तु यह कि पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री को विभाजन के समय, यदि वह पुत्र या पुत्री विभाजन के समय जीवित होता/होती, जो अंश मिलता वह अंश ऐसे पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के उत्तरजीवी बच्चे को आवंटित किया जाएगा।

परन्तु यह और कि किसी पूर्व मृतक पुत्र या पूर्व मृतक पुत्री के बच्चे को आवंटनीय अंश, यदि ऐसा बच्चा विभाजन के समय जीवित होता, यथास्थिति, पूर्व मृतक पुत्र या पुत्री के पूर्व मृतक बच्चे के बच्चे को आवंटित किया जाएगा।

(iii) कोई सम्पत्ति जिसे कोई हिन्दू महिला खण्ड (i) के उपबंधों के परिणामस्वरूप पाने की हकदार हो जाती है वह उसे सहदायिकी स्वामित्व के साथ अभिधारित कर सकेगी और वह, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, उस सम्पत्ति का इच्छा-पत्र द्वारा या वसीयती विलेख द्वारा व्ययन कर सकेगी,

(iv) इस अध्याय का कोई उपबंध हिन्दू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम 1994 के प्रारम्भ होने से पूर्व विवाहित पुत्री के लिए लागू नहीं होगा।

(v) खण्ड (ii) का कोई उपबंध हिन्दू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 1994 को प्रारम्भ होने से पूर्व किसी तिथि को हुए विभाजन पर भी लागू नहीं होगा,

29-ख मृत्यु पर हित का न्यागमन उत्तरजीविता द्वारा होगा

जब किसी हिन्दू महिला की हिन्दू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ होने के पश्चात् मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति में उसका हित होता है तब उसके हित का न्यागमन सहदायिकी के उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा होगा इस अधिनियम के अनुसार नहीं :

परन्तु यह कि यदि मृतक का कोई बच्चा या पूर्व मृतक बच्चे का बच्चा जीवित है, तब मिताक्षरा सहदायिकी में मृतक के हित का न्यागमन, इस अधिनियम के, यथास्थिति, अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा होगा उत्तरजीविता द्वारा नहीं।

स्पष्टीकरण (1)—इस धारा के प्रयोजनों से किसी हिन्दू महिला मिताक्षरा सहदायक का हित संपत्ति में वह अंश समझा जाएगा जो उसे उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व तब प्राप्त होता, जब सम्पत्ति का विभाजन हुआ होता। इस बात का ध्यान रखे बिना कि वह विभाजन का दावा करने की हकदार थी या नहीं।

स्पष्टीकरण (2)—इस धारा के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि कोई व्यक्ति जिसने मृतक की मृत्यु से पूर्व अपने को (स्त्री या पुरुष) सहदायिकी से पृथक कर लिया हो या उसका कोई उत्तराधिकारी निर्वसीयता पर उसमें निर्दिष्ट किसी हित का दावा करने में सक्षम होगा।

29-ग कतिपय मामलों में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार

(1) जहां, हिन्दू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवर्तन के पश्चात् किसी निर्वसीयती की किसी स्थावर सम्पत्ति में या उसके द्वारा (स्त्री या पुरुष)

किए गए, पूर्णतय स्वयं या किसी के साथ, किसी कारोबार में किसी हित का न्यागमन धारा 29-क या धारा 29-ख के अधीन दो या अधिक उत्तराधिकारियों को होता है और उनमें से कोई उत्तराधिकारी संपत्ति या कारोबार में अपने हित को अन्तरित करना चाहता है वहां दूसरे उत्तराधिकारियों को प्रस्तावित अन्तरण वाले हित को अर्जित करने का अधिमानी अधिकार होगा।

(2) इस धारा के अधीन मृतक की सम्पत्ति का कोई हित जिस प्रतिफल पर अन्तरित किया जाएगा वह, पक्षकारों के बीच कोई करार न होने पर, न्यायालय द्वारा, इस संबंध में उसे आवेदन दिए जाने पर, निश्चित किया जाएगा और यदि हित को अर्जित करने का प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति निश्चित किए गए प्रतिफल पर उसे अर्जित करने का इच्छुक न हो, तो ऐसे व्यक्ति को समस्त खर्चों या आवेदन से संबंधित आनुषंगिक खर्चों का वहन करना होगा।

(3) यदि इस धारा के अधीन किसी हित को दो या अधिक उत्तराधिकारी अर्जित करने का प्रस्ताव करते हैं तो अन्तरण के लिए अधिकतम प्रतिफल का प्रस्ताव करने वाले उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्पष्टीकरण :—इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसके क्षेत्राधिकार की सीमाओं में स्थावर संपत्ति या किया गया कारोबार स्थित है और इसमें ऐसा अन्य न्यायालय भी सम्मिलित होगा जो राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिट करे"।

3. **कतिपय विभाजन अकृत तथा शून्य होंगे**

मूल अधिनियम में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां 22 जून, 1994 को या इसके पश्चात और सरकारी राजपत्र में इस अधिनियम के प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति का कोई विभाजन हुआ है और यह विभाजन मूल अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा संशोधित रूप में, के उपबंधों के अनुरूप नही है, वहां ऐसा विभाजन अकृत तथा शून्य होगा और सदैव अकृत तथा शून्य रहेगा।

MGIPCBE—S-2—3 M of L & J/ND/ 2001—14-2-2002—75 Books.

©

PLD-92- CLXXIV (Hindi)
75—2001—DSK-IV

मूल्य : रु० 2915.00 (देश में) या (विदेश में) £112.63 या $174.64

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बत्तूर द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित।

2002